मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)
(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (Second Year)
(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–10

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास
(Panchayatiraj and Rural Development)

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) – 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल–10
पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास
Panchayatiraj and Rural Development

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)
(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता)

Bachelor of Social Work (Second Year)

(Specialization in Community Leadership)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला–सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

माड्यूल–10 : पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास (Panchayatiraj and Rural Development)

अवधारणा एवं रूपरेखा : संस्करण 2017

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति
जयश्री कियावत, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण
श्री उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

लेखक मण्डल :

डॉ. अमरजीत सिंह
डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास
श्री संजय राजपूत
डॉ. रेगी थॉमस

रेखांकन :

कु. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव (ग्रामोदय प्रकाशन की ओर से),
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.
ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

माड्यूल–10 : पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास (Panchayatiraj and Rural Development)

■■■

प्रस्तावना

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नहीं हो पायेगा जब तक की उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्चय प्राथमिकता में शामिल है। गांवों में लोगों को आवश्यकता की चीजें उपलब्ध हों साथ ही उनके पास रोजगार हो इसके लिये अनेक योजनाएं गांवों में क्रियांवित हो रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसा करना सिर्फ सरकार के द्वारा संभव नहीं है। सरकार के साथ स्वयंसेवी संगठन और जनता की सक्रिय भागीदारी हो यह भी जरूरी है। तभी गांवों के सम्पूर्ण विकास का सपना पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाएं और लोगों की भागीदारी हो।

ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व) में डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत–प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदायिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया था।

इस पाठ्यक्रम के चयन से आपने यह तो प्रदर्शित कर ही दिया है कि सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में बदलाव लाने की आपकी गम्भीर रुचि है। किन्तु केवल रुचि ही पर्याप्त नहीं। आपको समस्याओं की समझ और संसाधनों की पहचान के लिए न केवल सैद्धान्तिक अपितु व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी ज्ञान और अनुभव अर्जित करना आवश्यक होगा।

ग्राम स्तर पर विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। सैद्धांतिक विषयों की कड़ी में यह द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का दसवां मॉड्यूल है। शीर्षक है– **पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास।** इस माड्यूल में पंचायती राज व्यवस्था के उद्भव एवं विकास की जानकारी प्रदान करने के साथ ही पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ग्रामीण विकास के विविध योजनाओ की जानकारी भी प्रदान की गई है।

विश्वास है कि जानकारी और प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगी। चलिए! शुभकामनाओं के साथ पठन–पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

■■■

10.0 : हमारे गाँव में हमारा राज – एक संवाद

भारती : क्या पढ़ रही हो प्रेरणा।

प्रेरणा : मुंशी प्रेमचन्द्र जी की कहानी 'पंच परमेश्वर'।

भारती : अरे वाह! तो क्या सीखा इस कहानी से।

प्रेरणा : गाँव के फैसले जब पंच करते हैं तो आपसी राग–बैर से परे केवल सच्चाई का पक्ष लेते हैं। समाज की चिंता करते हैं। गाँव की भलाई सोचते हैं।



चित्र : 10.0.1 प्रेरणा और भारती

भारती : पर आज तो लगता है ये सब कहानियों की बात है। बीत चुकी और पुरानी। आज के समय में अपने गाँव को अपना मानकर, मिल–जुल कर, सभी की भलाई के लिए सोचना, काम करना, यह सब सपने जैसा लगता है। कोई हक अधिकार भी तो नही है, गाँव वालों के पास। करें भी तो क्या। बेबस और बेचारे।

प्रेरणा : अरे नहीं दीदी! सरकार ने पंचायती राज लाकर असली हक लोगों को दिया है। अपने प्रदेश में अब गाँव के फैसले भोपाल में नही चौपाल में होते हैं। बस जरूरत है। मिल बैठो। विचार करो। योजना बनाओ। सार्वजनिक धन का उपयोग गाँव की तरक्की और खुशहाली के लिए करो।

भारती : कहने की बातें हैं। किताब में लिख दिया। हकीकत तो वैसी नहीं है। गाँव में गाँव के लोगों की बात चले, राज चले कहीं हुआ भी है ऐसा।

प्रेरणा : दीदी आज मैं तुम्हें "हमारे गाँव में हम ही सरकार" का मंत्र देने वाले एक गाँव की कहानी सुनाती हूँ।

भारती : बताओ – बताओ।

प्रेरणा : महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है – **गढ़चिरौली।** जब मध्यप्रदेश का विभाजन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में नहीं हुआ था। तब यह बस्तर जिले से लगा हुआ था। प्राकृतिक संसाधन संपदा से भरपूर और वनवासी बन्धुओं से भरा–पूरा। इस जिले का एक गाँव है– मेंढा (लेखा)। यह इसी गाँव में आये सकारात्मक परिवर्तन की कहानी है।

भारती : सरकार पैसा–धेला दे और खूब योजनाएँ चला दे। लोग पढ़े–लिखें हों तो गाँव में बदलाव तो आता ही है।

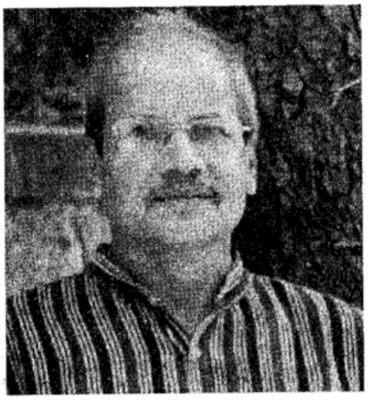
प्रेरणा : नहीं नहीं। मेंढा (लेखा) की कहानी ऐसी नहीं है। यहाँ तो 300 आदिवासी गोंड परिवार रहते थे। अशिक्षा, शराबखोरी, गैरजरूरी सरकारी हस्तक्षेप और शोषण, सब कुछ था इस गाँव में।

भारती : तो क्या इस गाँव को भी अन्ना हजारे जैसा मजबूत नेतृत्व मिल गया– जिसने गाँव की तस्वीर और तकदीर बदली।

प्रेरणा : अब सही बात पकड़ी तुमने। सक्षम और सार्थक नेतृत्व को जब लोगों का साथ मिलता है, तो मुसीबतें रास्ता छोड़ देती हैं और विकास का रास्ता खुल जाता है।

भारती : मेंढा (लेखा) गाँव में यह करिश्मा किसने किया?

प्रेरणा मोहन हीराबाई हीरालाल और काबिल सरपंच देवाजी तोफा ने।



चित्र:10.0.2 मोहन हीराबाई



चित्र:10.0.3 सरपंच देवाजी तोफा

भारती : और कैसे?

प्रेरणा : बताती हूँ। बताती हूँ। 1970 के आसपास तक तो मेंढा (लेखा) आम गाँवों की तरह था। सक्षम नेतृत्व ने वहाँ के वनवासी बन्धुओं को जागरूक किया। आस–पास के लगभग 1800 हेक्टेयर में फैली वनसंपदा की सुध ली गई। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बौद्धिक दल बने। शराबबंदी के प्रयास हुए। इस बदलाव से महिलाओं की दशा में भी सुधार हुआ।

बदलाव के इस दौर में इस आदिवासी वनवासी समुदाय ने जल्दी ही समझ लिया कि अभी सबसे बड़ी ताकत उनकी एकजुटता है और सबसे बड़ी संपदा जंगल और जमीन।

भारती : मेंढा (लेखा) के जागरूक समुदाय ने तो जल्दी ही समझ लिया होगा कि इस दौलत की रक्षा के लिये वन संपदा के औने–पौने दाम देकर बड़ा–बड़ा मुनाफा डकार जाने वाली कंपनियों और सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों से सावधान रहना होगा।

प्रेरणा : बिल्कुल। उन्होंने केवल समझा ही नहीं उचित व्यवस्था भी की। संयुक्त वन प्रबंधन (JFM : Joint Forest Management) समितियों के जरिये वनवासियों ने वन संपदा का उचित मूल्य, जंगल में प्रवेश के नियम व वन संपदा के विकास की अपनी नीति और कानून बना के नारा दिया–

"दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार
अपने गाँव में हम ही सरकार।।"

खुदमुख्तारी की दिशा में यह एक निर्णायक उद्घोष था।

भारती : देश में पंचायती राज व्यवस्था से पंचायतों के वास्तविक अधिकारों के लिए संविधान संशोधन 1993 में हुआ पर मेंढा (लेखा) में तो यह तस्वीर पहले ही उभर आयी!

प्रेरणा : हाँ दीदी।



चित्र:10.0.4 मेंढा (लेखा) के नागरिकों द्वारा अपने वनाधिकार के लिए संघर्ष।



चित्र:10.0.5 मेंढ़ा (लेखा) गांव के बैठक का दृश्य

■■■

इकाई 10.1.0 : लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन
(Democratic Decentralization & Local-Self Governance)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का स्वरूप क्या है?
- प्राचीन भारत में ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी?
- 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या थे?
- मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यस्था से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है?
- अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पांचवी अनुसूची क्या है?
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 क्या है?

10.1.1 : लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण क्या है? (What is Democratic Decentralization)

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अंग्रेजी के **"डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन"** (Democratic Decentralization) का हिन्दी रूपांतरण है। 'डेमोक्रेटिक' डेमोक्रेसी (democracy) शब्द से बना है। डेमोक्रेसी का तात्पर्य है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। अतः लोकतांत्रिक शासन का तात्पर्य है ऐसा शासन जिसमें शक्ति किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है।

प्राचीन काल में जब मनुष्य अपने घुमक्कड़ जीवन को छोड़कर सामुदायिक जीवन में प्रवेश किया तो एक शक्तिशाली व्यक्ति की अधीनता स्वीकार किया। ऐसे शासक या राजा के हाथ में सारी शक्तियाँ केन्द्रित होने के कारण वह निरंकुश हो जाता था और प्रायः प्रजा का शोषण भी होता था। पहले हर व्यक्ति की शासन में भागीदारी अकल्पनीय थी। किन्तु आज जनतंत्र एक हकीकत है, जिसमें अब एक व्यक्ति के स्थान पर सारी जनता के हाथ में शक्ति है।



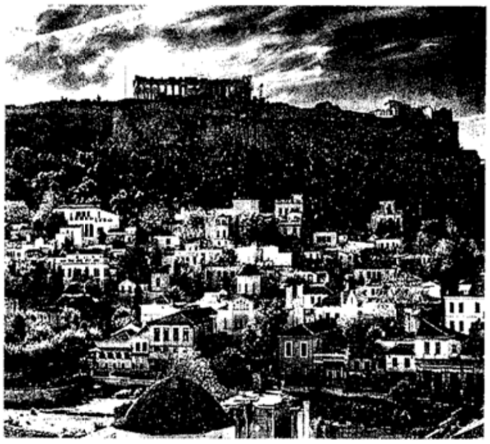
चित्र 10.1.1 : राजतन्त्रः राजा द्वारा शासन



चित्र10.1.2 : प्रजातन्त्रः जनता के हाथ में ताकत

प्राचीन यूनान में छोटे–छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। इनकी जनसंख्या कुछ हजार होती थी। नगर राज्यों में सारे नागरिक एक साथ बैठकर शासन संबंधी निर्णय लिया करते थे। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण थे। आज विश्व के अनेक देश जैसे भारत, चीन इत्यादि की आबादी अरबों में है। वे एक साथ बैठकर निर्णय नहीं ले सकते

हैं। अतः भारत जैसे देश में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से दिल्ली में शासन चलाती है। इसी प्रकार विभिन्नता आधारित विशाल देश में सुव्यवस्थित शासन चलाने के लिए प्रान्तों की आवश्यकता पड़ी। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पृथक–पृथक होने के कारण स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी।



चित्र 10.1.3 : प्राचीन यूनानी नगर राज्य



चित्र 10.1.4 : यूनानी नगर राज्य में प्रजातन्त्र

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर नियतकालिक चुनाव तथा वयस्क मताधिकार इत्यादि लोकतांत्रिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचित प्रतिनिधि मण्डल को

स्थानीय प्रशाशन से संबंधित शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। इसे ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के दो रूप देखने को मिलते हैं–

1. नगरीय स्थानीय स्वशासन।
2. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।

भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है, जिसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

10.1.2 : पंचायती राज व्यवस्था : राजतंत्र से गणतंत्र की ओर (Panchayatiraj System From Monarchy to Republic)

भारत वर्ष में पंचायत राज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पंचायतें भारतीय समाज का सदैव से ही अंग रही है। ये प्राचीन काल से ही सत्य और न्याय पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था के रूप मे कार्यरत थी। पुराने जमाने में **"पंच परमेश्वर"** की पद्वी से विभूषित थे एवं पंचायतें पवित्र संस्था के रूप में जानी जाती थी। पंचो के निर्णय की इतनी प्रतिष्ठा होती थी, कि उसे हर कोई सिर झुकाकर स्वीकार करता था। ग्राम प्राचीन काल से ही शासन का और सामाजिक जीवन का केन्द्र बिन्दु रहा है, जिसके आस–पास स्थानीय स्वशासन का सारा ढांचा सुविधा और सरलता से

घूमता रहा है। ग्राम पंचायतें भारत की राजनीतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। चीन और जापान इन विकेन्द्रीत ग्रामीण संस्थाओं के पुराने घर रहे हैं, परंतु स्थानीय स्वशासन की इन ग्रामीण संस्थाओं का विकास संसार में सबसे पहले भारत में ही हुआ और अधिक से अधिक समय तक इसने इसकी संस्कृति की रक्षा भी की है।

महाभारत के शांतिपर्व, शुक्रनीतिसार एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में जब आवागमन के साधन सुलभ नहीं थे, प्रत्येक ग्राम एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था। इनका राजधानी से कोई विशेष संबंध नहीं था। उस समय शांति और व्यवस्था बनाये रखना ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का ही कार्य था। विदेशी आक्रमण से इन ग्राम स्तरीय संस्थाओं के महत्व को आघात पहुंचा, किन्तु इनका अस्तित्व बना रहा।

जब अंग्रेजों का शासन यहाँ स्थापित हुआ तो ईस्ट इंडिया कम्पनी की एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायतों का उल्लेख इन शब्दों में किया है, **"यहां सीधे–सीधे स्वायत्त नागरिक शासन के नीचे अनादिकाल से ये लोग सुख से रहते आये हैं। राज्यों के उत्थान पतन की ये लोग चिन्ता नहीं करते, गाँव अपने–आप में स्वयं पूर्ण होते हैं।"**

1930 में तत्कालीन गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने इन ग्राम पंचायतों को छोटे–छोटे स्वतंत्र प्रजातंत्र की संज्ञा प्रदान की, जिनके पास सब साधन थे। ग्रामीण समाज के ये छोटे–छोटे संघ हैं। प्रत्येक अपने–आप में एक स्वतंत्र छोटा सा राज्य है। इन्होनें लोगों को सुखी रखा है और एक हद तक आजादी की रक्षा भी की है।

10.1.3 : स्वतंत्रता पूर्व किये गये प्रयास : गांधी जी और ग्राम स्वराज (Efforts Before Indpendence : Gandhiji & Gramswaraj)

गांधी जी का ग्राम पंचायतों के आधार पर देश के संगठन पर जोर देना काफी प्रसिद्ध है। गांधीजी के अनुसार भारत वह है जिसमें वास्तविक शक्ति गांव के लोगों के हाथ में हो और शक्ति का उपयोग भी ग्रामीण ही करते हों।



चित्र 10.1.5 :महात्मा गाँधी

ग्राम स्वराज को स्पष्ट करते हुए एक बार गांधी जी ने इस प्रकार कहा था कि "हिन्दुस्तान की आजादी का अर्थ है सारे हिन्दुस्तान की आजादी। भारत के सात लाख गाँवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी अधूरी है। हर एक गाँव में पंचायती राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता या ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गाँव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी जरुरतें खुद पूरी कर लेनी होगी, ताकि वह अपना कारोबार खुद चला सके, यहाँ तक कि सारी दुनिया के खिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके।"

स्वाधीन भारत की सत्ता को गांधी जी गाँवो में बांटना चाहते थे, गांधी जी को उस उत्पीड़न की जानकारी थी, जो एक केन्द्रीय सत्ता वाले राष्ट्र के निर्माण से दृष्टिगत होती है। ऐसा राष्ट्र जो भारी उद्योग, युद्ध–सामग्री और आधुनिक तकनीक पर निर्भर हो। यही कारण था कि उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि भारत को ऐसा मार्ग छोड़कर पंचायतों के जरिए स्वशासन की कार्य प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए।

गांधीजी का मानना था कि समाज के बहुमुखी विकास के लिये भी स्वावलम्बी ग्रामों का समूह अधिक लाभदायक है क्योंकि किस तरह का विकास आवश्यक है और वह कैसे किया जाय, इस बात का निर्णय जब आधार स्तर पर होता है तब विकास की गति अधिकतम होती है। इसके विपरीत शीर्ष स्तर पर बनाई योजनाएँ वास्तविकताओं से दूर हो जाती हैं और जन साधारण को समुचित लाभ नहीं दे पातीं। इसलिये गांधी जी यह चाहते थे कि विकास की योजनाएँ ग्राम स्तर पर बनाई जायें एवं ग्राम स्तर पर ही लागू की जायें।



चित्र10.1.3 : संविधान सभा

(Constituent assembly)

गांधीजी के इस विचार से नेहरू जी एवं बाबा साहब अम्बेडकर के सहमत न होने के कारण संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का अभाव था, जिससे गांधी जी सहमत नहीं हुए। अन्ततः उनके दबाव में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद–40 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किया गया।

संविधान के अनुच्छेद–40 में लिखा गया हैं कि – **"राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिये आवश्यक कदम उठायेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हों।"**

संविधान में स्थानीय स्वशासन (1947 से 1993) : मील के पत्थर

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) के दौरान ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत संचालित सामुदायिक सेवा के विस्तार व क्रियान्वयन्न के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए 1957 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
- इस समिति ने कार्यक्रम के असफलता के पीछे प्रमुख दो कारणों – कार्यक्रम के प्रति जागरूकता का अभाव एवं कार्यक्रमों में जन सहभागिता का अभाव को उत्तरदायी माना।
- कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति ने विकेन्द्रीत प्रशासनिक प्रणाली को निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में देकर स्थानीय स्वशासन के लिये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया था।
- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया।

- बलवन्त राय मेहता समिति की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई।
- पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिये जनता पार्टी की सरकार ने सन् 1977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक तेरह सदस्यीय समिति बनायी।
- 1985 में भारत सरकार ने डॉ. जी. व्ही. के. राव की अध्यक्षता में तथा जून (1986) में श्री एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में अध्ययन हेतु समितियों का गठन किया। इसके अलावा वी. के. थंगन समिति (1988), बी. एन. गाडगिल समिति (1989) ने भी सुझाव प्रस्तुत किये।
- उपरोक्त समितियों के सुझावों को ध्यान में रखकर संविधान का 64वां संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया किन्तु यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका।
- 73वां संविधान संशोधन विधेयक पर 12 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी तथा 24 अप्रैल, 1993 से यह पूरे देश में प्रभावशील हो गया।

10.1.4 : 73वाँ संविधान संशोधन (73rd Constitutional Amendment)

संविधान के अनुच्छेद–40 की मूलभावना के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से गाँवों में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन में कुछ खास प्रावधान बनाए गए। ये प्रावधान इस प्रकार हैं –

- प्रदेश के नीचे जिला, विकासखण्ड तथा ग्राम तीनों स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
- ये पंचायतें संसद तथा विधानसभा की तरह संवैधानिक संस्था होंगी।
- ग्राम स्तर पर गाँव के समस्त मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन होगा और यह ग्राम सभा भी संवैधानिक संस्था होगी।
- संसद तथा विधान सभा की तरह हर पाँच साल में पंचायतों के चुनाव होंगे। पंचायतों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करने के लिए राज्य स्तर पर एक स्वायत्तशासी राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय और सिद्धांतों का सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा।
- पंचायतों का प्रमुख काम यह होगा कि वे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए अपनी पंचायत के आर्थिक विकास की योजना तैयार करें तथा इसे क्रियान्वित करें।
- पंचायतों के काम को संविधान की 11वीं अनुसूची में स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार पंचायतों के कार्य क्षेत्र में 29 विषय शामिल हैं।
- पंचायतों में समाज के कमजोर तबकों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पद और स्थान दोनों में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

10.1.5 : 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान एवं उनका म.प्र. में क्रियान्वयन (Major Provisions of 73rd Constitutional Amendment & their Implimentation in MP)

क्र.	विषय	संशोधन के प्रमुख प्रावधान	मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन
1.	स्तर	3 स्तर – जिला, विकासखण्ड या उसके समकक्ष जैसे तालुक एवं ग्राम	जिले स्तरपर जिला पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत
2.	ग्राम सभा	पंचायत के मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन होना	न्यूनतम एक हजार या उससे अधिक संख्या पर ग्राम सभा का गठन। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मतदाता सदस्य। प्रत्येक वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम में ग्राम सभा का गठन
3.	पंचायत चुनाव	प्रति 5वें वर्ष पंचायत चुनाव होना अनिवार्य	1993 के पश्चात पंचायत चुनाव प्रति 5वें वर्ष आयोजित किया जाता है।
4.	राज्य चुनाव आयोग	राज्य स्तर पर चुनाव आयोग गठन का प्रावधान	राज्य स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन के लिए प्रान्तीय चुनाव आयोग का गठन किया गया है।
5.	वित्त आयोग	पंचायतों की स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय और सिद्धान्तों का सुझाव देने के लिये राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।	राज्य स्तर पर इस प्रावधान के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है।
6.	11वीं अनुसूची	पंचायतों के काम को संविधान की 11वीं अनुसूची के अन्तर्गत 29 विषयों में शामिल किया गया है।	11वीं अनुसूची के 29 विषयों को स्वीकार करके मध्यप्रदेश शासन ने अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है। राज्य के 23 विभागों की ग्रामीण क्षेत्र से सम्बिन्धित योजनाओं के कार्यक्रम का हस्तान्तरण पंचायत राज संस्थाओं को किया गया।
7.	आरक्षण	कमजोर वर्गो और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतो में पद एवं स्थान दोनो में इन वर्गो के लिए आरक्षण का प्रावधान है।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग को उनकी प्रदेश मे जनसंख्या के मान से पदों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित क्षेत्रों के सभी पंचायतों के सरपंच के स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है।

प्रदेश में पंचायती राज के इतिहास बिन्दु

- 1 नवम्बर 1956 में म0प्र0 के अस्तित्व में आने के पूर्व तक मध्यप्रदेश में शामिल मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश और महाकौशल अलग–अलग राज्य थे तथा प्रत्येक में पंचायत से संबंधित भिन्न–भिन्न व्यवस्थाएं थीं।
- पंचायत विधियों मे समन्वय लाने हेतु म0प्र0 पंचायत अधिनियम 1962 पारित किया गया।
- 1981 एवं 1990 में संशोधनो के साथ में नया पंचायत अधिनियम पारित किया गया।
- भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत राज प्रणाली के संबंध में निर्धारित प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से 1993 में मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया।
- 1994, 1995, 1996, 1997 एवं 1999 में पंचायती राज अधिनियम में विधानसभा द्वारा आंशिक संशोधनों के द्वारा परिवर्तन किए गए।

10.1.6 : मध्यप्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2001

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 नवम्बर 1999 को मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू करने हेतु एक टास्कफोर्स समिति का गठन किया गया तथा इसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम पारित कर इसे 26 जनवरी, 2001 से सारे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा ग्राम सभा को अधिकाधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं जो निम्नांकित हैं परन्तु इस व्यवस्था में 2004 के संशोधन विधेयक द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, जिनका वर्णन इसके अंत में प्रस्तुत हैः–

1. **ग्राम सभा** –

   - एक पंचायत के प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए अलग–अलग ग्राम सभा का गठन।
   - ग्राम सभा की बैठक माह में एक बार होगी।
   - इसकी नियमित बैठकों के अलावा धारा 6 (ख) के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों में से 10 प्रतिशत या 50 सदस्य जो भी कम हो की मांग पर कभी भी बैठक।
   - इसकी गणपूर्ति कुल सदस्यों का 20 प्रतिशत है। इनमें से 1/3 महिलायें होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की उपस्थिति क्रमशः उनके आबादी के अनुपात में होनी चाहिए।

2. **ग्राम सभा की समितियां** – गाँव मे चल रही विकास से संबंधित गतिविधियों के समुचित संपादन के लिए, ग्राम सभा की निम्नलिखित स्थाई समितियां गठित की गई थीं :–

   1. ग्राम विकास समिति
   2. ग्राम सार्वजनिक सम्पदा समिति
   3. ग्राम कृषि समिति

4. ग्राम स्वास्थ्य समिति
5. ग्राम रक्षा समिति
6. ग्राम अधोसंरचना (निर्माण) समिति
7. ग्राम शिक्षा समिति
8. ग्राम सामाजिक न्याय समिति

- ग्राम विकास समिति को छोड़कर सभी समितियों के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते थे।
- प्रत्येक समिति का एक सभापति होता था, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होता था।
- सभी समितियों के सभापति, ग्राम विकास समिति के सदस्य होते थे।
- सरपंच एवं उपसरपंच, ग्राम विकास समिति के सभापति एवं उपसभापति होते थे।
- पंचायत का सचिव ही ग्राम विकास समिति का सचिव होता था।
- प्रत्येक ग्राम सभा एक स्वैच्छिक सचिव रखेगी। सरकारी कर्मचारी को भी ग्राम सचिव रखा जा सकता है। प्रत्येक समिति का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम सभा के किसी भी सदस्य को उसका सचिव चुना जा सकता है, यह पद अवैतनिक होगा।

3. **वित्त व्यवस्था** :– प्रत्येक ग्रामसभा में एक ग्राम कोष होगा, इसके निम्नलिखित अंग होंगे –

- अन्न कोष श्रम कोष
- वस्तु कोष
- नगद कोष ।

मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2004

इस अधिनियम को 13 दिसम्बर, 2004 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 14 दिसम्बर, 2004 को मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र मे प्रकाशित किया गया। मध्य प्रदेश में सन् 2003 के निर्वाचन में कांग्रेस सरकार के दस वर्ष के शासन को विराम लगाने के पश्चात्, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई। इस सरकार ने अपने पूर्ववर्ती शासन द्वारा लागू की गयी। पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज व्यवस्था में अनेक परिवर्तन लाये। इस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित है –

2004 में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में किए गए प्रमुख परिवर्तन :

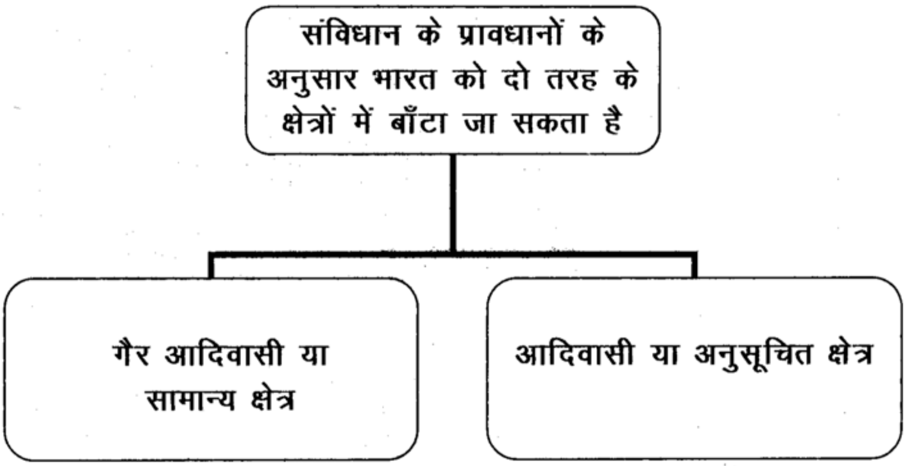
क्रम	विषय	ग्राम स्वराज व्यवस्था 2001	ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004
1.	ग्राम सभा की समितियां	आठ स्थाई समितियों का गठन	केवल दो स्थाई समितियाँ होंगी 1. ग्राम निर्माण समिति, 2. ग्राम विकास समिति।
2.	ग्राम सभा की बैठक	महीने में कम से कम एक बैठक	वर्ष में कम से कम चार बैठक– जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में
3.	कोरम	20 प्रतिशत अथवा 500 जो भी कम हो। (1/3 महिलाओं एवं अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में उपस्थित अनिवार्य)।	10 प्रतिशत अथवा 500 जो भी कम हो।

10.1.7 : अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और संविधान (Schedule Tribes Area & Constitution)



चित्र 10.1.6: अनूपपुर के अनुसूचित जनजाति

भारत देश में, सामाजिक व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन का काम सदियों से लोग खुद करते आए हैं। देश में हुए बाहरी हमलों और नयी संस्कृतियों से मिलने के साथ–साथ देश में सामाजिक व्यवस्था और समाज के संसाधनों पर नियंत्रण की स्थिति में बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत में आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य जैसे–जैसे भारत में मजबूत होता गया वैसे–वैसे देश के अधिकांश हिस्सों में लोग संसाधनों के प्रबंधन की भूमिका से दूर हटते चले गए लेकिन देश के आदिवासी क्षेत्रों में यह बदलाव न तो बहुत प्रभावी हो पाया और न ही आदिवासी समाज ने इन बदलावों को बहुत आसानी से स्वीकार किया। आजादी के बाद संविधान बनाते समय देश के आदिवासी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर विस्तार से बातचीत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि आदिवासी इलाकों के प्रशासन को अलग ढंग से देखने और समझने की जरूरत है। आजाद देश में आदिवासी और जनजातीय अस्मिता बनी रहे इसके लिए पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग कानून बनाया गया।



देश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों को संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। इस अनुसचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानून के हिसाब से, संसद और विधानमण्डलों के ऊपर, देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायी यानि कानून बनाने की शक्ति दी गयी है। अतः संविधान, लोकतंत्र और स्वराज को समझते समय संविधान के इन विशेष क्षेत्रों और प्रावधानों को समझना भी जरूरी है। इस अध्याय में हम विशेष रूप से संविधान की पाँचवीं अनुसूची और उससे जुड़े क्षेत्रों में राज्यपाल के अधिकारों पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे।

अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन : संविधान की पाँचवीं अनुसूची

छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल और आंध्रप्रदेश में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों हैं। देश के दूसरे प्रान्तों की तुलना में इन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत काफी ज्यादा है। जैसे मध्यप्रदेश में 25.79 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी वर्ग की है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 31.8 प्रतिशत। इन सभी प्रांतों के आदिवासी बहुलता वाले इलाकों को सम्बन्धित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया और राष्ट्रपति ने इन्हीं क्षेत्रों को पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है।

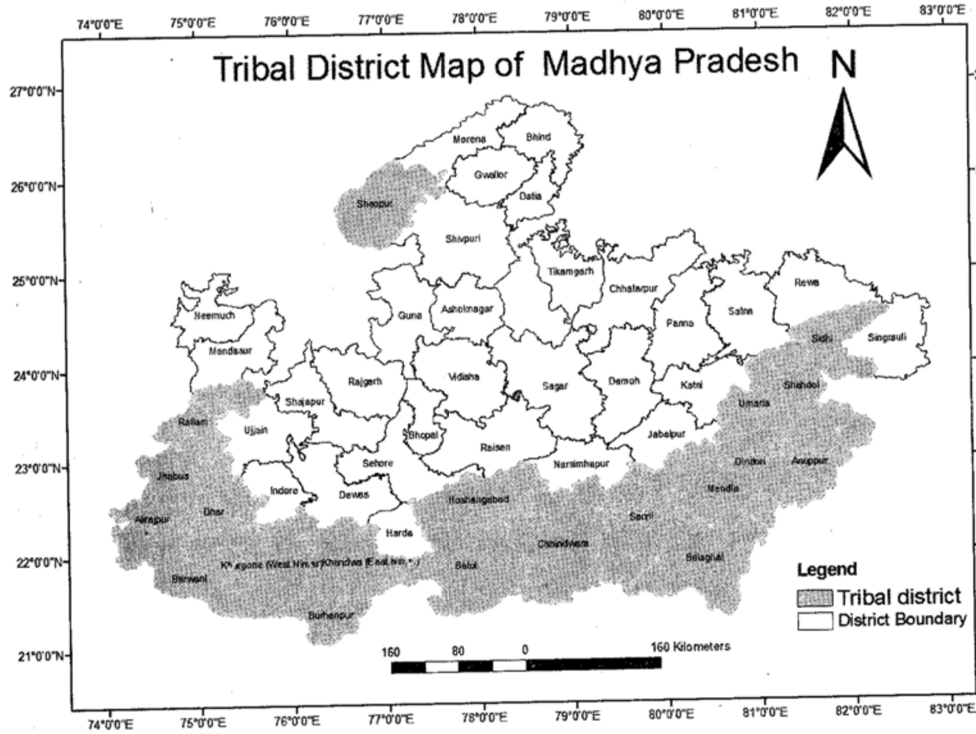
सभी प्रदेशों में जहाँ आदिवासी हैं और अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, वहाँ

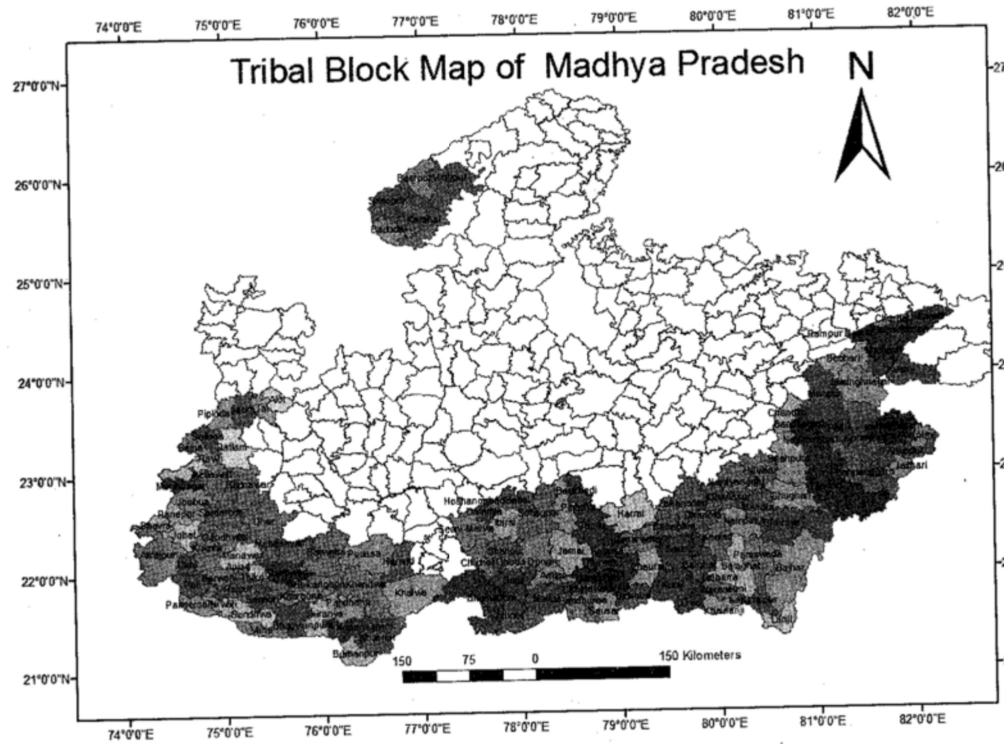
- या तो जिला पूर्ण रूप से पाँचवीं अनुसूची के रूप में पहचाना गया है
- या फिर जिले के कुछ तहसील, ब्लाक या पटवारी हल्कों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

अतः यह जानकारी होना जरूरी है कि प्रदेश के किन जिलों में अनुसूचित क्षेत्र हैं और जिले का कौन सा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र है तथा कौन सा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जहाँ–जहाँ आदिवासी रहते हों वह सभी इलाके पाँचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित ही हो। उदाहरण के रूप में देखें तो मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के कुण्डम ब्लाक में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 70 है लेकिन यह ब्लाक और इसके गाँव तथा पंचायतें सामान्य क्षेत्र में आते हैं। अतः यहाँ पाँचवी अनुसूची के प्रावधान नहीं लागू होते। इसी तरह रायसेन जिले में सिलवानी विकासखण्ड में आदिवासी जनसंख्या का कुल जनसंख्या 35 प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन यह क्षेत्र भी पाँचवीं अनुसूची में नहीं है। अतः यह समझना जरूरी है कि–

- आदिवासी आबादी का मतलब पाँचवीं अनुसूची नहीं है ।
- आदिवासी विकासखण्ड का मतलब पाँचवीं अनुसूची का क्षेत्र नहीं।

मध्य प्रदेश के 20 आदिवासी जिले एवं 89 विकासखण्डों की स्थिति निम्नांकित मानचित्र में स्पष्ट की गई है:—





देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद स्थापित पंचायतीराज व्यवस्था को देश के कई राज्यों ने पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में भी लागू कर दिया। राज्य सरकारों के इस कदम का विरोध करते हुए कई लोग अदालत में गए और सर्वोच्च न्याायलय ने इसे गलत माना। देश की संसद ने पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए वरिष्ठ आदिवासी सांसद श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर देश की संसद ने पाँचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 बनाया।

भूरिया समिति और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343ड के खण्ड (4) (ख) के अनुसार संसद में ''पंचायत उपबंध'' (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया। इस अधिनियम को प्रभावशील करने का मुख्य उद्देश्य संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण है।

10.1.8 : 'पेसा' (PESA: Panchayat Extension to Scheduled Areas)– एक कानून

'पेसा' एक सरल लेकिन व्यापक और शक्तिशाली कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों के गाँवों को अपने क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देने की शक्ति देता है। यह अधिनियम संविधान के भाग–9 का, जो कि पंचायतों से संबद्ध है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है। 'पेसा' के जरिए पंचायत प्रणाली का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है जिसमें अधिनियम में उल्लेखित कुछ अपवाद और संशोधन शामिल हैं।

'पेसा' की अनुकूलता

'पेसा' संविधान की पांचवीं अनुसूची में उल्लेखित नौ राज्यों के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। 'पेसा' के प्रावधानों को लागू करने के वास्ते राज्य विधानमण्डलों के लिए अपने–अपने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कानून बनाना आवश्यक था। इन कानूनों में न केवल 'पेसा' के सभी बिंदुओं को शामिल किया जाना था बल्कि उनमें केन्द्रीय 'पेसा' को ध्यान में रखते हुए शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का आवंटन किया जाना था। राज्यों के लिए यह जरूरी था कि वे अपने संबद्ध पंचायत कानूनों या संबद्ध विषय कानूनों या दोनों को केन्द्रीय कानून के समकक्ष लाने के लिए उनमें आवश्यक संशोधन करें।

'पेसा' का महत्व

विकेन्द्रीकृत स्वशासन का मुख्य उददेश्य गाँव के लोगों को स्वयं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देना है। ऐसे विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए एक संस्थागत ढ़ांचे की आवश्यकता है तथा ढ़ाचे के भीतर ही शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का आवंटन भी जरूरी है। 'पेसा' ग्रामीण समुदाय को शासन की मूल इकाई के रूप में स्वीकार करता है और पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्तरों पर स्थापना का उल्लेख करता है। ग्राम स्तर पर यह ग्राम सभा के गठन का प्रस्ताव करता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों का चुनाव करती है, जो कि ग्रामसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन अनिवार्य है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को संयुक्त रूप से उपयुक्त स्तर पर पंचायत कहा जाता है। साथ ही पेसा' ग्रामीण समुदाय को गाँव के विकास की योजना बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और परंपरागत रीति–रिवाजों और

प्रथाओं के तहत विवादों को सुलझाने का अधिकार भी देता है। यह सशक्तिकरण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम में कुल पाँच धाराएँ है। जिनमें निम्नांकित प्रावधान है :–

धारा – 1 में अधिनियम का नाम उल्लेखित है।

धारा – 2 में परिभाषाएँ है, जिसमें एक मात्र शब्द **"अनुसूचित क्षेत्र"** को परिभाषित किया गया है।

धारा – 3 में संविधान के भाग–9 के उपबंध अर्थात् 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को ऐसे अपवाद और उपान्तरणों के अधीन रखते हुए जैसा कि इस अधिनियम की धारा – 4 मे उल्लेख है, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में विस्तार किया गया है।

धारा – 4 में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम–सभा और पंचायतों के कृत्य और शक्तियों को वर्णित किया गया है।

धारा – 5 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम से प्रभावित केन्द्र/राज्य के अधिनियमों में एक वर्ष के भीतर संशोधन कर संगत प्रावधान किए जाएंगे और यदि एक वर्ष के भीतर संशोधन नहीं किए जाते हैं तो इस अधिनियम अर्थात् पेसा एक्ट, 1996 के प्रावधान लागू हो जावेंगे।

हमने जाना

- प्राचीन काल में एक शासक या राजा के हाथ में सारी शक्तियाँ केन्द्रित होने के कारण वह निरंकुश हो जाता था और प्रायः प्रजा का शोषण भी करता था, किन्तु आज जनतंत्र एक हकीकत है, जिसमें अब एक व्यक्ति के स्थान पर सारी जनता के हाथ में शक्ति है।
- संविधान में पंचायती राज का प्रावधान जो मात्र नीति निर्देशक सिद्धान्तों की सूची में था अब वह 73वें संविधान संशोधन (1993) के द्वारा संविधान का अंग बन गया है। सभी राज्यों ने भी इसके अनुक्रम में अपने कानून बनाये हैं।
- मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज की अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2001 निर्मित किया गया, जो अब 2004 में किए गए संशोधनों के साथ प्रदेश में लागू है।
- 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन के कारण पूर्व में जो शासन की शक्तियाँ प्रदेश शासन के हाँथों में केन्द्रित थी अब वे प्रदेश की 22825 ग्राम पंचायतों एवं 264 नगर पंचायतों को हस्तान्तरित हो गयी हैं।
- पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा या उसमें क्या परिवर्तन होगा इसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जायेगा।
- विधान सभा या संसद से बना कोई भी नियम पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल उचित न समझे।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **पंचायती राज**– पंचायतों द्वारा किए जाने वाले स्थानीय ग्रामीण शासन की प्रक्रिया को स्वतन्त्रता के पश्चात "पंचायती राज" कहा गया।
- **प्रतिनिधि मण्डल** – जनता द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना समूह।

- **सामुदायिक विकास कार्यक्रम** – भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1952 में भारत के ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास के लिये लागू की गयी महत्वाकांक्षी योजना।

अभ्यास के प्रश्न

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का तात्पर्य बताइए।
- पंचायतीराज व्यवस्था को राजतन्त्र से गणतन्त्र की तरफ बढने वाला कदम क्यों माना गया है?
- गाँधीजी संविधान में किस प्रावधान को शामिल होना आवश्यक बताया है?

आओ करके देखें

अपने पंचायत में जाकर निम्न सूचनाओं को एकत्रित कीजिए :–

1. आपका क्षेत्र नगरीय शासन या ग्रामीण शासन में आता है।
2. आपके द्वारा चयनित पंचायत में कुल कितने राजस्व एवं वन ग्राम हैं?
3. आपके द्वारा चयनित पंचायत के अंदर कितने वार्ड हैं?
4. प्रत्येक वार्ड से चयनित पंचों के नाम लिखिए।
5. ग्राम पंचायत की कुल आबादी कितनी है तथा उसमें पुरुष तथा महिला कितनी हैं। सूची मुहल्लेवार बनायें।
6. ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में दर्ज मतदाताओं की संख्या बताइए।
7. ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी बताइए।
8. सरपंच के चुनाव में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

निम्नांकित फिल्मों का अवलोकन करें :

1. संशोधन (1996)।
2. अपना सुराज (2001) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं IGNOU द्वारा निर्मित एवं दूरदर्शन पर अनेक बार प्रसारित।
3. **''भारत के संविधान''** का निम्नांकित प्रावधान–
   - अनुच्छेद–40
   - अनुच्छेद–243
   - पांचवीं अनुसूची
   - 11वीं अनुसूची

■■■

10.2.0 : ग्राम सभा – ग्राम की संसद (Gram Sabha : Parliament of Village)

उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया क्या हैं?
- ग्राम सभा के बैठक से संबंधित क्या प्रावधान है?
- ग्राम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं?
- ग्राम सभा की समितियाँ कैसे कार्य करती हैं?
- ग्राम सभा की योजना और बजट का निर्माण कैसे होता है?
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किस प्रकार किया जाता है?
- पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा से संबंधित क्या प्रावधान है?

10.2.1 : ग्राम सभा (Gram Sabha)

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम (2004) के अनुसार ग्राम सभा क्या है? आइये इसे विस्तार से समझते हैं–

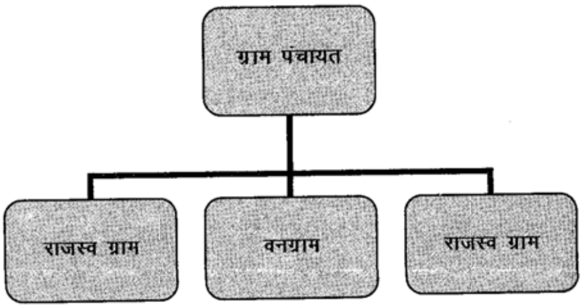
कम से कम एक हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा मुहल्ले एक ग्राम पंचायत के अन्दर आते हैं। ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड एवं आबादी अधिक होने पर अधिकतम 20 वार्ड के गठन का प्रावधान है।

स्थानीय स्वशासन की ग्राम स्तर की यह इकाई दो निकायों – ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित होती है। ग्राम सभा जनरल बाडी या आम सभा की शैली मे कार्य करती है जबकि ग्राम पंचायत उक्त आम सभा के कार्यकरिणी समिति के रूप में कार्य करती है।

आइये सबसे पहले हम ग्राम सभा की संरचना, कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में जानें।

10.2.2 : ग्राम सभा : गठन, अधिकार एवं कर्तव्य (Gram Shabha : Constitution, Rights & Duties)

ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गाँव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर गठित की जाती है। यानि गाँव का प्रत्येक मतदाता ग्रामसभा का सदस्य होगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रदेश अधिनियम के अनुरूप हर राजस्व ग्राम या वन ग्राम के लिए एक अलग ग्राम सभा गठित होगी यानि एक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में आने वाले प्रत्येक राजस्व ग्रामों में एक ग्राम सभा होगी। अतः एक ग्राम पंचायत में एक या एक से ज्यादा ग्राम सभाएं गठित हो सकती हैं। यदि ग्राम पंचायत में तीन राजस्व/वन ग्राम हैं तो उस पंचायत में तीन ग्राम सभाओं का गठन होगा।

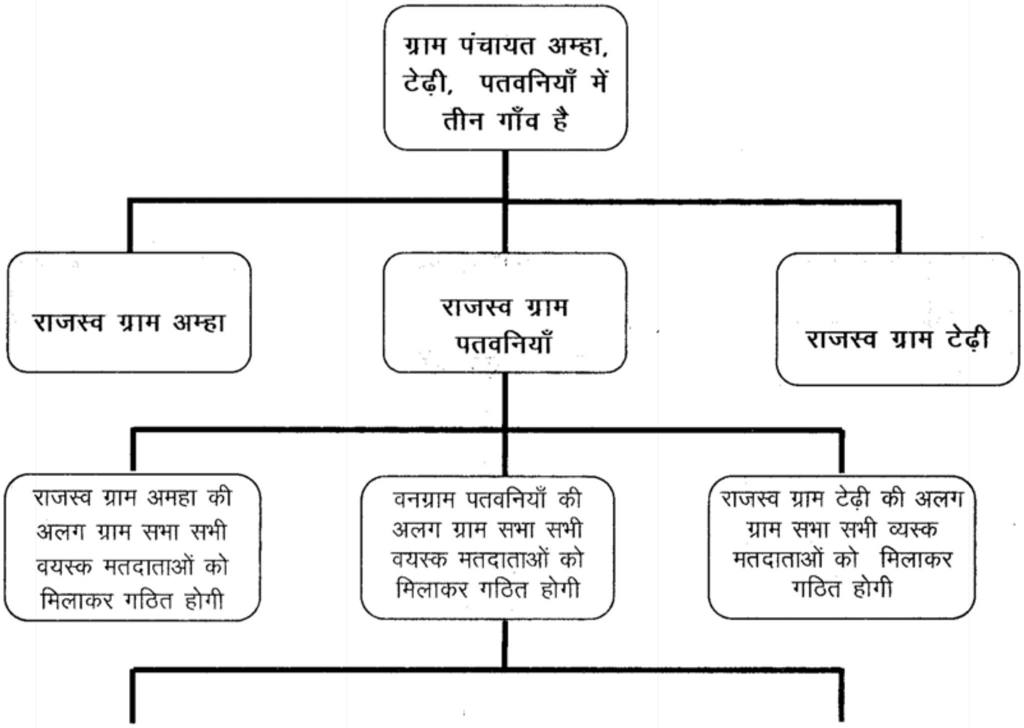


10.2.3 : ग्राम सभा की बैठक (Meeting of Gram Sabha)

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम चार बार बैठक होना जरूरी है।



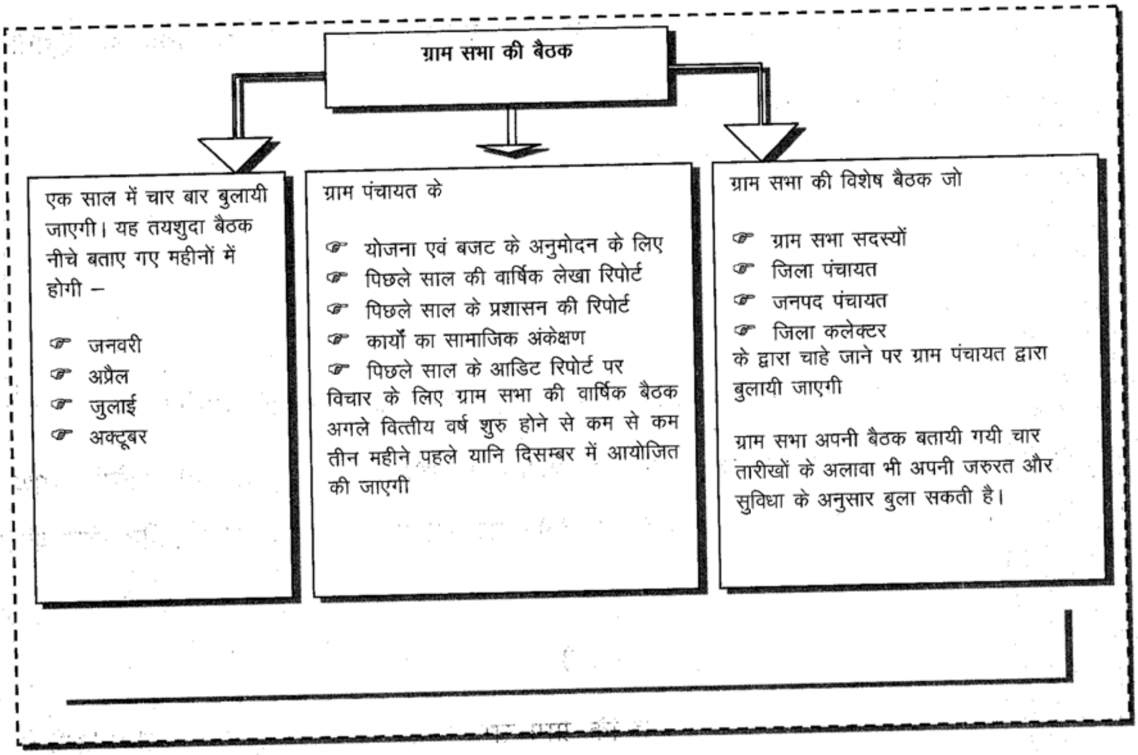
चित्र:10.2.1 ग्राम सभा की बैठक



यदि एक से अधिक ग्राम सभाओं की बैठक होती है तो इनके मध्य समन्वयन कौन करेगा? यह समन्वयन सरपंच के द्वारा होता है। क्योंकि वह हर एक ग्राम सभा में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होता है। ग्राम पंचायत की वार्षिक बैठक के समय तीनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक होगी या किसी एक विषय पर दो ग्राम सभाओं के बीच विवाद होने पर तीनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक होगी।

ग्राम सभा की एक वार्षिक बैठक भी आयोजित होगी जो कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से कम–से–कम तीन महीने पहले बुलायी जाएगी। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में ग्राम सभा की बैठक के लिए चार बैठकें

तय की हैं, जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में होंगी, इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती हैं तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अतिरिक्त बैठक बुलायी जा सकती हैं। जिले का कलेक्टर ग्राम सभा की बैठकों के समुचित इंतजाम के लिए एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को ग्राम सभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियुक्त करेगा।



उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि ग्राम सभा की :

- वर्ष में चार बैठकें– जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में होंगी।
- इन बैठकों में योजना, बजट एवं विगत वर्ष के कार्यों का अंकेक्षण होगा।
- इसके अलावा गाँव के लोगों जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एवं जिला कलेक्टर की मांग पर विशेष बैठकें सचिव द्वारा बुलायी जायेंगी।

ग्राम सभा की बैठक में विषय सूची (एजेण्डा)

⇨ ग्राम सभा अपनी हर बैठक में पंचायत के द्वारा किए गए कामकाज की समीक्षा करेगी, पंचायत के आय–व्यय की समीक्षा करेगी।

⇨ पंचायत द्वारा नये प्रस्तावित काम और गतिविधियों पर विचार करेगी।

⇨ जनपद और जिला पंचायत अगर ग्राम पंचायत को कोई काम सौंपते हैं तो वह भी उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में विचार के लिए रखा जाएगा।

⇨ अगर राज्य सरकार कलेक्टर या अन्य किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से पंचायत को कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह काम भी विचार के लिए पंचायत द्वारा सभी ग्राम सभाओं की बैठकों में रखा जायेगा।

⇨ ग्राम सभा अपनी बैठक में इन सभी विषयों पर विचार करेगी तथा पंचायत को सुझाव और निर्देश देगी।

ग्राम सभा के सुझाव और निर्देश मानना पंचायत के लिए जरूरी है।

ग्राम सभा की बैठक की सूचना

ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना ग्राम सभा सदस्यों को देना जरुरी है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना

⇨ बैठक से कम–से–कम सात दिन पहले दी जाएगी।

⇨ जिसमें

- बैठक का स्थान
- बैठक की तारीख
- बैठक में क्या काम काज होगा, चर्चा के क्या विषय होंगे (एजेण्डा) की जानकारी रहेगी।

ग्राम सभा की बैठक की सूचना गाँव के सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चिपका कर दी जावेगी, साथ ही सूचना डोंडी पिटवाकर भी दी जाएगी। किसी आपात स्थिति या विशेष दशा में ग्राम सभा की बैठक तीन दिन की सूचना पर भी बुलायी जा सकती है।

ग्राम सभा की बैठक का कोरम (कम से कम उपस्थिति)

प्रदेश पंचायत अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा की बैठक होना तभी वैध मानी जायेगी जब ग्राम सभा की उस बैठक में ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग या 500 सदस्य, जो भी कम है, की उपस्थिति हो।

ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में –

- ❑ बैठक की कार्यवाही
- ❑ कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज
- ❑ ग्राम सभा का फैसला तथा
- ❑ ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या

इन सभी बिन्दुओं को ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाएगा और जो भी ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं वे इसकी पुष्टि करेंगे (पुष्टि करने का मतलब है कार्यवाही प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर करना)। कार्यवाही रजिस्टर में सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी यदि कोई सदस्य उक्त कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना चाहे तो उसके हस्ताक्षर भी कराये जा सकेंगे।

ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता

प्रदेश अधिनियम (धारा) 6 (3) के अनुसार सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा या करेगी। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप–सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर सरपंच तथा उपसरपंच दोनों मौजूद नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की बैठक के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बहुमत द्वारा उस दिन की बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे।

किन्तु अनुसूचित क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली ग्राम सभाओं की बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या किसी पंच द्वारा नहीं की जायेगी। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा उपस्थित सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को उस दिन की ग्राम सभा की बैठक के लिये सभापति चुने जाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बैठक की कार्यवाही का संचालन किया जायेगा।

ग्राम सभा सभापति के निम्न काम होंगे :–

- बैठक के विषयों की चर्चा का क्रम तय करना।
- चर्चा के दौरान सदस्यों को बोलने का अवसर देना ताकि बैठक शांतिपूर्वक चले और एक साथ कई लोग न बोलें।
- किसी विषय पर फैसला लेते समय ग्रामसभा सदस्यों में आपस में मतभेद होने पर मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- किसी सदस्य की ग्राम सभा में सदस्यता या बैठक में भाग लेने पर विवाद होने की दशा में यह तय करना कि वह व्यक्ति बैठक में भाग लेगा कि नहीं।

ग्राम सभा के संबंध में पंचायत सचिव की भूमिका

- प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह ग्राम सभा के बैठक के संचालन में सभापति की सहायता करे।
- ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करे।
- पंचायत के सभी रिकार्ड व दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर आए।

ग्राम सभा में फैसला

ग्राम सभा में जो भी विषय विचार के लिए रखे जाएंगे ग्राम सभा उन विषयों पर विचार करेगी और उसके बाद उन पर निम्नांकित विधि से फैसला लिया जाएगा :–

1. ग्राम सभा की बैठक में जितने भी विषयों पर विचार होगा उनमें यह प्रयास किया जाएगा कि सभी विषयों पर एकमत से फैसला हो।
2. यदि ग्राम सभा में पहली बार में एकमत से फैसला हो जाता है तो वह फैसला निर्णायक होगा।

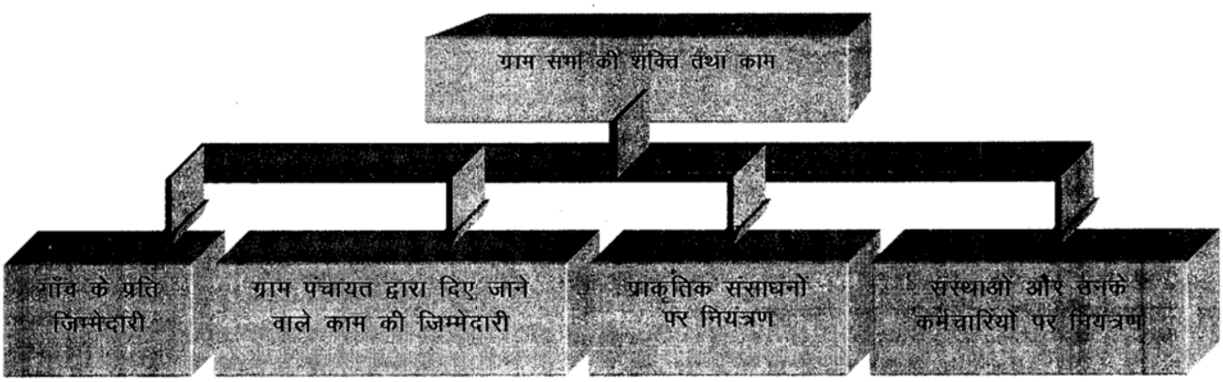
3 .यदि बैठक में एकमत से फैसला नहीं हो पाता तो ग्राम सभा में सामान्य सहमति बनाने का प्रयास किया जायेगा। सामान्य सहमति का मतलब है सदस्यों में आपस में चर्चा करके विरोध खत्म करना। यानि जो लोग विरोध कर रहे है वे और दूसरे लोग आपस में चर्चा करके विरोध खत्म करें और एक फैसले पर पहुँचें।

4. यदि सामान्य सहमति नहीं बन पाती है और फिर भी विरोध बना रहता है तो वह फैसला अगली ग्राम सभा के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।

5. दूसरी ग्राम सभा में वह फैसला फिर ग्राम सभा के समाने रखा जायेगा। इस ग्राम सभा में यदि एकमत या सामान्य सहमति हो जाती है तो वह फैसला मान्य होगा। अगर इस बैठक में भी सामान्य सहमति नहीं बन पाती है तो अगली बैठक में ग्राम सभा में गुप्त मतदान होगा। वही फैसला अंतिम होगा। जिस विषय, पक्ष या बात के समर्थन में अधिक लोग वोट देंगे, वही विषय या पक्ष या दल की बात ग्राम सभा का फैसला होगा।

10.2.4 : ग्राम सभा के अधिकार एवं उसके कृत्य (Responsibilities and Functions of Gram Sabha)

ग्राम स्वराज अधिनियम में ग्राम सभा की शक्ति और जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया है। इन शक्तियों तथा जिम्मेदारियों को हम निम्न लिखित श्रेणियों में बाँट सकते हैं।



आइये इन दिये गये अधिकारों को विस्तार से देखें:

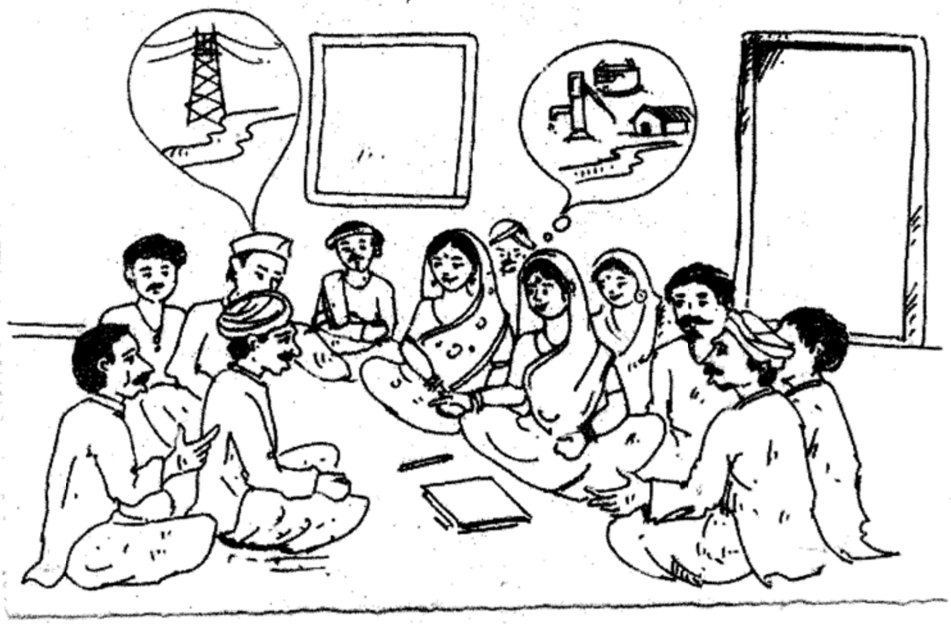
ग्राम सभा की गांव के प्रति जिम्मेदार

ग्राम सभा को यह अधिकार तथा जिम्मेदारी दी गयी है :

- गाँव के आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं या स्कीमों को पहचानना तथा उनके क्रियान्वयन के लिए सिद्धांत बनाना।
- गाँव में गरीबी उन्मूलन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए हिताधिकारियों को पहचानना तथा उनका चुनाव कराना।
- हितग्राही मूलक सभी स्कीम तथा कार्यक्रमों का नियंत्रण और इनकी मॉनिटरिंग करना। साथ ही यह भी देखना कि गाँव में जितने भी कार्यक्रम और योजनाएँ चल रही हैं उनके उचित क्रियान्वयन के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना कि इन स्कीमों और कार्यक्रमों के लाभ समुदाय में समानता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत के संबन्ध में जिम्मेदारी

ग्राम सभा की यह शक्ति तथा जिम्मेदारी है कि वह पंचायत द्वारा चलायी जा रही वार्षिक योजना सहित सभी योजनाओं, अन्य परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को उनके क्रियान्वयन के पहले अनुमोदित करें। साथ ही ग्राम सभा की यह भी जिम्मेदारी है कि :–



- ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करके उस पर सिफारिश करे।
- ग्राम पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट पर विचार करे।
- ग्राम पंचायत द्वारा चलायी जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों तथा वार्षिक योजना और इसके धन के ठीक– ठीक उपयोग को सुनिश्चित करे।
- ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के उपयोग पर सलाह दे।
- ग्राम पंचायत के पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट पर विचार करे।
- ग्राम पंचायत के अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर विचार करे।

10.2.5 : ग्राम सभा की समितियाँ (Committees of Gram Sabha)

ग्राम स्वराज के अन्तर्गत ग्राम सभा अपने काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दो स्थायी समितियाँ बनायेगी :

1. ग्राम निर्माण समिति।
2. ग्राम विकास समिति।

स्थायी समितियों का गठन

- ग्राम निर्माण समिति ग्राम पंचायत की सहायक अभिकरण के रूप में कार्य करेगी और पांच लाख रूपये तक के सारे निर्माण कार्य तथा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों को करेगी।
- ग्राम विकास समिति समस्त ऐसे कार्य करेगी जो उसे नियमों के अंतर्गत प्रदान किये जायेंगे।
- ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का पदेन अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच होगा।
- ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का सचिव होगा।
- ग्राम विकास समिति तथा ग्राम निर्माण समिति साथ मिलकर पूरे ग्राम के लिए आगामी दस वर्षों में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को ध्यान में रखकर ग्राम के दीर्घकालीन विकास के लिए एक योजना तैयार करेंगी और इसे ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए देंगी।

तदर्थ समितियों का गठन

उपर्युक्त दो स्थायी समितियों के अतिरिक्त, ग्राम सभा किसी समयबद्ध कार्य के कियान्वयन के लिए एक या अधिक ऐसी तदर्थ समितियों का गठन कर सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे। समिति में ऐसे सदस्य समाविष्ट होंगे जो समिति को सौंपे गये कार्य में हित रखते हैं (स्टेक होल्डर)। समिति ग्राम सभा द्वारा कार्य की समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात अस्तित्व में नहीं रहेगी।

उदाहरण के लिए:–

- मेला समिति
- शांति समिति
- बाढ़ / सूखा / भूकम्प (प्राकृतिक आपदा) समिति

10.2.6 : ग्राम सभा स्तर पर तैयार की जाने वाली कार्ययोजना (Workplan to be formulated at Gram Shabha Level)

ग्राम सभा आगामी दस वर्षों में प्राप्त होने वाली अनुमानित निधि का मूल्यांकन करेगी और विशेषज्ञों की सहायता से ग्राम विकास के लिए दस वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी। ग्राम सभा की भूमि उपयोग योजना तथा बुनियादी सुख–सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष ग्राम सभा के ग्राम कोष को प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों पर आधारित वार्षिक योजना के माध्यम से दीर्घकालिक योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएगी।

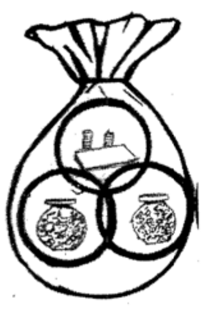
ग्राम सभा द्वारा करारोपण एवं ग्राम कोष का गठन

अनिवार्य कर	ऐच्छिक (optional) कर
• **भवन या भूमियों पर कर,** • **निजी शौचालयों पर कर,** • **प्रकाश कर – ग्राम सभा द्वारा प्रकाश व्यवस्था किये जाने की स्थिति में,** • **ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापार करने वाले पर धन्धा कर।**	• बोझा ढोने वाले पशुओं पर कर, • सरायों, धर्मशालाओं विश्राम गृहों, वधशालाओं तथा पड़ाव स्थलों के उपयोग के लिये फीस– मण्डी क्षेत्र को छोड़कर। • क्रेता, अभिकर्ता, आढ़तिया, तुलैया या मापक का धन्धा करने वाले व्यक्तियों पर कर, • लोकोपयोगिता के विशेष संकर्मों पर अस्थाई कर, • सफाई कर, बैलगाड़ी तथा तांगा स्टेन्ड के लिये फीस, अस्थायी शेड आदि के निर्माण पर फीस, ग्राम सभा के अन्तर्गत आने वाले चारागाहों पर पशुओं को चराने के लिये फीस आदि।

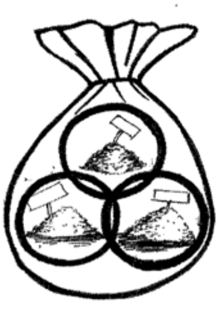
किसी भी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि कर या फीस अधिरोपित की जाती है तो उसके लिये उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अपने क्षेत्र में कर या फीस अधिरोपित करनी होगी।

ग्राम कोष

जनवरी 2001 के संशोधन के बाद एक पंचायत में प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा स्थापित हो गयी। लेकिन इन ग्राम सभाओं के पास अपनी समस्याओं को दूर करने और योजनाओं को लागू करने के लिए अलग से कोई धन नहीं था। ग्राम पंचायत के संसाधन ही ग्राम सभाओं की योजना और समस्या के समाधान का एकमात्र स्त्रोत या साधन था। पहले यह भी तय नहीं था कि ग्राम पंचायत को मिलने वाले धन को पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले गाँवों के बीच कैसे बाँटा जाएगा। ग्राम स्वराज के लिए किए गए संशोधन के अनुसार अब हर ग्राम सभा के पास पंचायत निधि की तरह अपनी भी एक निधि होगी। इस निधि के चार भाग होंगे और इस निधि का नाम ग्राम कोष होगा :–



चत्र : 10.2.3
नगद कोष



चित्र : 10.2.4
अन्न कोष



चित्र : 10.2.5
श्रम कोष



चित्र : 10.2.6
वस्तु कोष

(क) **अन्न कोष**– प्रत्येक ग्रामसभा ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के माध्यम से एक अन्न कोष की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम सभा विकास कार्यो के लिये संसाधन के रूप में अन्न के अंशदान को संग्रहीत करने के लिए सक्षम है। ग्राम सभा में दान के रूप में प्राप्त होने वाले प्रत्येक भू–स्वामी के सहयोग से प्राप्त अन्न जमा किया जाता है। जमा किए जाने वाले अन्न की मात्रा का निर्धारण आम राय से निर्णय लेकर तय किया जावेगा। ग्राम सभा के अनुमोदन से किसी भी जरूरतमन्द व्यक्ति को अन्न कोष से उधार दिया जा सकेगा। किसी व्यक्ति को उधार देने की सीमा, ग्राम सभा द्वारा नियत की जायेगी। किसी आपात स्थिति में अन्न कोष से अधिकतम 50 कि.ग्रा. अन्न ग्राम सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा आहरण के लिये मंजूर किया जा सकेगा ।

(ख) **वस्तु कोष**–प्रत्येक ग्राम में एक वस्तु कोष का संधारण किये जाने का प्रावधान है। ग्राम सभा ग्रामवासियों से तथा अन्य किसी भी स्रोत अथवा माध्यम से वस्तु प्राप्त कर सकती है। वस्तु कोष में प्राप्त प्रत्येक सामग्री का लेखा–जोखा रखा जाता है। वस्तु कोष में सामग्री का उपयोग ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाता है। वस्तु कोष से किसी वस्तु का ग्राम सभा के अनुमोदन से उपयोग किया जायेगा या उसका अन्यथा निपटारा किया जोगा। वस्तु कोष में ग्राम सभा के अस्थाई उपयोग के लिये प्राप्तियां जैसे– ट्रेक्टर, ट्राली, सिंचाई, नलकूप तथा अन्य उपकरण प्राप्त कर सकेगी।

(ग) **श्रम कोष**– ग्राम सभा द्वारा पंचायत के ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से विकास कार्यों हेतु श्रम दान करने के इच्छुक हों उनका पंजीयन करती है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति से जबरिया अथवा बच्चों से श्रम का कार्य नहीं कराया जाए। श्रमदान करने वाले व्यक्तियों का पृथक से पंजीकरण किया जाता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके श्रम का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है।

(घ) **नगद कोष**–ग्राम कोष में केन्द्र शासन राज्य शासन से प्राप्त अनुदान राशि के साथ ही करारोपण से प्राप्त आय जमा की जाती है। प्रत्येक ग्राम सभा का नगद कोष का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जाता है। ग्राम विकास समिति इस कोष से राशि सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा निकाल सकती है। यह राशि आवश्यकता अनुसार आहरण की जाती है। ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि बजट अनुसार रकम राशि का खर्च हो। नगद कोष से उतनी ही राशि निकाली जाएगी जितने का बजट में प्रावधान है।

10.2.7 : ग्राम सभा का बजट (Budget)

बजट अनुमान तैयार किया जाना

ग्राम सभा द्वारा बजट में प्रत्येक प्रावधान और बजट के प्रस्तावित प्रावधानों को न्यायोचित कर विस्तार से स्पष्ट किया जाना चाहिये। ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति द्वारा बजट आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम का परीक्षण कर ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा बजट अनुमानों पर विचार करेगी और उसमें यदि ग्राम सभा चाहे तो आवश्यक संशोधन कर बजट का अनुमोदन करेगी। इस हेतु शासन द्वारा समय सीमा इस प्रकार नियत की गई है।

क्र	विषय	विहित प्राधिकारी	सबसे अन्तिम तारीख जिस तक कार्यवाही पूर्ण की जाना है।
1.	आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रस्तुति	ग्राम विकास समिति	**प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर**
2.	बजट अनुमान का प्रारूप तैयार करना	ग्राम विकास समिति	**प्रतिवर्ष 7 जनवरी**
3.	बजट अनुमान के प्रारूप के अनुमान	ग्राम सभा द्वारा	**प्रतिवर्ष 21 जनवरी**
4.	ग्राम सभा द्वारा बजट अनुमान का परीक्षण एवं अनुमोदन	ग्राम सभा द्वारा	**प्रतिवर्ष जनवरी का अन्तिम दिन**
5.	**उपान्तरण सहित या बिना उपान्तरण के समिति को वापिस**	**ग्राम सभा द्वारा ग्राम विकास समिति को**	**प्रतिवर्ष 15 फरवरी**

ग्राम विकास समिति द्वारा बजट अनुमानों को तैयार किये जाने हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये –

1. प्राप्तियों का अनुमान विस्तृत तथा सावधानी से तैयार किया जाना चाहिये और उसमें सभी बकाया तथा बजट वर्ष के दौरान होने वाले सभी स्रोतों का संग्रहण करने की व्यवस्था होना चाहिये।
2. बजट अनुमान इतना निकट और सही होना चाहिये जितना संभव हो सके। किसी अनुमान में बचत दिखाना उतनी ही बड़ी वित्तीय अनियमितता है जितनी बडी अनुमान में आधिक्य दिखाना ।
3. अनुदान सहित प्राप्तियों का अनुमान गत दो वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होगा और निश्चित प्राप्तियों के मामले में उस वास्तविक माँग पर आधारित होगा, जिसमें कोई भी बकाया रकम और उसकी वसूली की अधिसंभाव्यता सम्मिलित है ।
4. स्थायी स्थापनाओं पर और भाड़ा, भत्ते आदि के मद में होने वाले स्थायी मासिक आवर्ती प्रभारों पर व्यय का अनुमान, बचत पर ध्यान न देते हुए मंजूर किये गये वास्तविक मान के अनुसार तैयार किया जायेगा और उसमें आयकर आदि की कटौती किये बिना मंजूर किये गये सकल वेतन की व्यवस्था होगी।
5. आकस्मिक व्यय के लिए अनुमान, पिछले दो वर्षों के औसत वास्तविक व्यय पर आधारित होगा, इसमें इन वर्षों के दौरान किये गये व्यय की किसी विशेष मद को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।
6. विशिष्ट स्कीमों, कृत्यों एवं कार्यक्रमों के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार /जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित निधियों की व्यवस्था अन्य प्रयोजनों के लिए अपयोजन के बिना केवल उन्हीं स्कीमों, कृत्यों एवं प्रयोजनों के लिए की जायेगी।

7. ग्राम सभा द्वारा संविदा, किए गए उधार तथा उस पर देय ब्याज संबंधी सभी दायित्वों के सम्यक निर्वहन के लिए और बजट कालावधि के दौरान संदाय के लिए देय अन्य सभी प्रतिबद्धताओं के उपबन्ध किये जाने चाहिये।

8. बजट वर्ष के आंकडों और पिछले वर्ष के आंकडों में दस प्रतिशत से अधिक की घट–बढ़ को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिये।

9. अन्न कोष, वस्तु कोष, श्रम कोष से प्राप्तियों तथा सहायता प्राप्त या स्वयं सहायता संबंधी कार्यक्रमों के लिये जनता और संस्थाओं से प्रत्याशित नगद अंशदानों का यथोचित लेखा रखा जाएगा।

10. अपूर्ण निर्माण कार्यो को आगामी वर्ष या वर्षों में पूर्ण करने की दृष्टि से बजट में यथोचित रकम की व्यवस्था करनी चाहिये।

11. बजट में अनुमोदित रकम को सौ के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जाना चाहिये।

12. बजट के साथ बजट के प्रत्येक प्रावधान में इस प्रकार की गई रकम की व्यवस्था को न्यायोचित स्पष्ट करते हुये विस्तृत नोट भी होना चाहिये।

बजट आवंटन से अधिक व्यय –

ग्राम सभा में सम्मिलित नहीं की गई व्यय की किसी भी मद को प्राधिकृत करेगी। बजट आवंटन से अधिक व्यय के लिये उस स्रोत को स्पष्ट करना होगा जिससे प्रस्तावित व्यय करने के लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था की जानी है। यदि किसी प्रस्तावित व्यय के लिये नियमों के अनुसार किसी अधिकारी की मंजूरी अपेक्षित हो, वहां व्यय उपगत करने के पूर्व ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

ग्राम पंचायत स्तर परः–

ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि से वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की बैठक में वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तावों को पारित करा कर ग्राम सभा से उसका अनुमोदन अनिवार्य है। ग्राम सभा से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में से ही भविष्य में निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जायेंगे। ग्राम पंचायत यदि वार्षिक कार्य योजना में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उसके प्रस्ताव पर परिवर्तित कार्यों की सूची का अनुमोदन अगली ग्राम सभा में कराना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही ग्राम सभा/ग्राम पंचायत परिवर्तित कार्य ले सकेगी। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निर्माण कार्य का प्राक्कलन अपने स्तर पर तैयार करना होगा। निर्माण कार्य के प्राक्कलन में मजदूरी और सामग्रियों की अनुमानित मात्रा का उल्लेख होगा। प्राक्कलन निर्माण एवं विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत से संलग्न ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री की मदद भी ली जाय। निर्माण कार्य का प्राक्कलन ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित करवाया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम के दायरे में लागू किये जा सकने वाले सभी कार्यों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य सरपंच के बजाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्माण एवं विकास समिति द्वारा होगा। निर्माण कार्य समिति द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत

प्राक्कलन के अनुरूप कराया जायेगा। ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा चाहे जाने पर तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री द्वारा प्रदान किया जायेगा। जनपद पंचायत के अन्तर्गत पदस्थ उपयंत्रियों के मध्य ग्राम पंचायतों का बंटवारा किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक उपयंत्री को जवाबदार बनाया गया है। ग्रामसभा/ग्राम पंचायत द्वारा प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार करने में उपयंत्री द्वारा आवश्यकतानुसार मदद की जायेगी। उप यंत्री का यह दायित्व होगा कि वह माह में दो बार संबंधित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा मांगे मार्गदर्शन पर लिखित सलाह दे।

10.2.8 सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

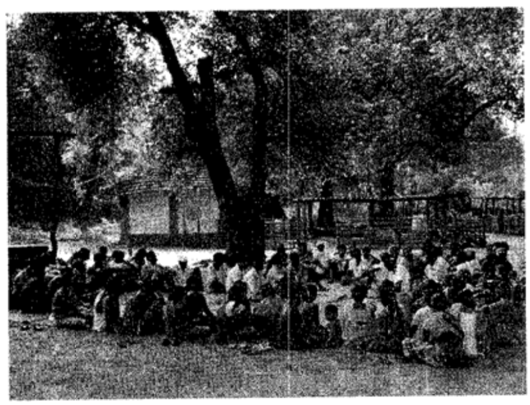
सार्वजनिक धन से होने वाले कार्यो के मानिटरिंग एवं मूल्यांकन का कार्य हितग्राही द्वारा किए जाने की प्रक्रिया को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत रोजगार मूलक योजनाओं से संबंधित कार्य, हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित कार्य एवं अन्य सामान्य कार्य, जिनमें ग्राम सभा/ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय विभागों द्वारा करवाये जाने वाले कार्य भी हैं, सम्मिलित होंगे।



चित्र:10.2.7 अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया–

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित दिनांकों में ग्राम सभा को आहूत करने का दायित्व सरपंच का है। उन तिथियों में यथा स्थान पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित होना चाहिये और इसमें निर्धारित कोरम की पूर्ति होना आवश्यक है। ग्राम सभा में सरपंच द्वारा निर्माणाधीन एवं पूर्ण किये गये कार्यों के संपूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत किये जायेंगे। निर्माणाधीन कार्यों के बारे में प्रगति का विवरण, जिसमें कार्य स्वीकृति का दिनांक, प्राक्कलन अनुसार धनराशि, व्यय की गई धनराशि, भौतिक प्रगति, तब तक लगी सामग्री का उल्लेख, सामग्री क्रय की दर, उस पर सामग्रीवार व्यय, मजदूरी पर व्यय, गुणवत्ता आदि शामिल होगा।



चित्र : 10.2.8 ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण

दो ग्राम सभाओं के बीच की अवधि का प्रतिवेदन एवं कार्य पूर्ण होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। मूल दस्तावेज ग्राम सभा में किसी को नहीं सौंपे जायेंगे आवश्यकता होने पर पढ़ कर सुनाये जायेंगे। अभिलेख की सुरक्षा का दायित्व सरपंच का होगा। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा या तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा या

आपत्ति होने पर अनुमोदन नहीं होने की अवस्था में लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजी जायेगी। इस सूचना में वह सभी बिन्दु सम्मिलित किये जायेंगे जिन पर ग्राम सभा जाँच करवाना चाहे। यह सूचना ग्राम सभा में उपस्थित पंचायत सचिव या किसी अन्य शासकीय कर्मचारी या स्वयं आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा दी जा सकती है। शासकीय विभागों द्वारा करवाये जा रहे कार्यों का विवरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कार्यवाही

ग्राम सभा से सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने न्यायालय में मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करेंगे। सूचना की जाँच करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समिति का गठन किया जायेगा। निर्माण कार्य से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर जाँच समिति में उस ग्राम पंचायत का एक पंच (जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य न हो) विकास खण्ड का उपयंत्री तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य होगें। हितग्राही मूलक योजना एवं विभागीय कार्य से संबंधित शिकायत होने पर जाँच समिति में उस पंचायत का एक पंच, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक जनपद सदस्य, संबंधित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी तथा क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य होंगे। इन समितियों के संयोजक उसमें नामांकित शासकीय कर्मचारी होंगे।

जाँच समिति द्वारा कार्यवाही

जाँच समिति जाँच हेतु तिथि निर्धारित कर उसकी सूचना संबंधित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को देगी। जाँच का कार्य मौके पर ही किया जायेगा। जाँच के दौरान सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। जाँच समिति को संबंधितों द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध करवाया जायेगा। यह समिति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सौंप देगी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी किसी अधिकारी को जाँच प्रतिवेदन अगली ग्राम सभा में पेश करने हेतु नियुक्त करेंगे। यह अधिकारी ग्राम सभा के दिन उपस्थित रह कर प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा। ग्राम सभा यदि प्रतिवेदन में दिए गऐ तथ्यों से संतुष्ट हो जाती है तो जाँच प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजेगी, अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण समाप्त कर देंगे। यदि ग्राम सभा प्रतिवेदन में दिए गये तथ्यों से संतुष्ट न हो तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगी। इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा लिखित में दी जायेगी। अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही की जायेगी।

समवर्ती अंकेक्षण (concurrent audit)

- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां त्रिस्तिरीय पंचायती राज संस्थाओं के समूचे संगठन के लिए वर्ष 2013–14 से समवर्ती अंकेक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। समवर्ती अंकेक्षण से इस बात में सहायता मिलती है कि राज्य सरकार जिस कोष का हस्तांतरण पहले जिला पंचायत से जनपद पंचायतों को और जनपद पंचायतों

से ग्राम पंचायतों को किया गया है उस कोष का उपयोग निर्धारित कार्यों के लिए हुआ है या नहीं। पहले अंकेक्षण की प्रक्रिया साल भर तक चलती थी जबकि अब एक माह में होने वाली खर्च का अंकेक्षण अगले माह आवश्यक रूप से हो जाता है। समवर्ती अंकेक्षण का मतलब है जब वित्तीय लेन–देन कर प्रक्रिया जारी हो उसी समय अंकेक्षण भी सम्पन्न हो जाये।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का सतत् समवर्ती अंकेक्षण किया जाएगा। हर 15 ग्राम पंचायत पर अंकेक्षण का एक सदस्य रहेगा जो जिला स्तर के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के मार्गदर्शन में अंकेक्षण कार्य करेगा।
- समवर्ती अंकेक्षण का कार्य सनदी लेखपाल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा किया जाता है। इसके लिए अंकेक्षण दल को सपोर्टिंग मस्टर रोल, वाउचर और बिल देने होते हैं।

10.2.9 : प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा

मध्यप्रदेश के चार जिले पूर्ण रूप से लगभग और 15 जिले आंशिक रूप से संविधान की पाँचवीं अनुसूची में आते हैं। (संबंधित कानून का जिक्र 10.1.8 के अन्त में आया है) संविधान की पाँचवीं सूची वाले क्षेत्रों में संसद और विधान सभा का कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होता जब तक कि प्रदेश के राज्यपाल उसकी अनुमति न दें। संविधान में यह व्यवस्था इसलिए है क्योंकि पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के लोग निवास करते हैं और संविधान में यह व्यवस्था है कि इन जनजातियों की परम्परा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास होना चाहिए। अतः अगर देश का कोई नियम कानून जनजातीय परम्परा के विपरीत है तो राज्यपाल उसे इन क्षेत्रों में नहीं लागू होने दे सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान नहीं बने थे अतः संसद से दिसम्बर 1996 में इन पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन व संचालन के लिए विशेष अधिनियम बनाया। दिसम्बर 1997 में मध्यप्रदेश की विधानसभा ने इन्हीं केन्द्रीय प्रावधानों के अनुरूप राज्य अधिनियम बनाए जिसमें ग्राम सभा को निम्न अधिकार दिए गए :–

ग्राम सभा का गठन (धारा 2(8), 129–क, 129–ख)

अधिनियम की धारा 129 ख के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के राजस्व ग्राम व वन ग्राम के भीतर भी एक या एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है यानी एक गाँव के छोटे–छोटे गाँवों या फालियों में ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। छोटे गाँव में ग्राम सभा गठित होगी या नहीं उस ग्राम सभा के सदस्यों पर निर्भर करेगा। इस प्रावधान की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में एक ही ग्राम सभा के मुहल्ले दूर–दूर फैले हुए हैं।

कोरम *(धारा 129–ख–3)*

अनुसूचित क्षेत्रों में कोरम : ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के एक दशमांश या 500 सदस्यों इसमें से जो भी कम हो।

ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता (धारा 129 (ख)–4)

अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा से जुड़े अधिनियम में सबसे विशेष तथ्य यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच या पंच सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष कौन होगा– इसका फैसला सभी उपस्थित ग्राम सभा सदस्य साधारण बहुमत से करेंगे। ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित ग्राम सभा का कोई भी सामान्य सदस्य जो पंचायत पदाधिकारी न हो, कर सकता है।


चित्रः 10.2.9 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा को मिले अधिकारों के साथ–साथ कई महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। ये अधिकार इस प्रकार हैं :–

- ग्राम सभा को यह छूट है और उसका अधिकार भी कि वह ग्राम पंचायत के किसी भी काम और जिम्मेदारी पर विचार करे तथा उस पर अपने गाँव की जरुरत के हिसाब से फैसला ले।

- ग्राम सभा जो भी फैसला लेगी वह पंचायत को मानना और लागू करना जरूरी है। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी फैसला जिसमें धन और संसाधन लगते हैं उसे पंचायत तभी लागू कर पाएगी जब उसके पास पंचायत निधि में उतना पैसा हो।

- अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह अपने यहाँ के जनजातीय समुदाय तथा व्यक्तियों की परम्परा, सांस्कृतिक पहचान तथा सामुदायिक साधनों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके।

- ग्राम सभा जनजातीय समुदाय (आदिवासी समुदाय) में आपसी झगड़ों तथा विवाद निपटाने के परम्परागत सामाजिक तरीकों को भी बचाएगी। इसका मतलब यह है कि ग्राम सभा आपसी विवाद व झगड़े की स्थिति में ग्राम सभा की बैठक में इन विषयों पर फैसला ले सकती है और यह फैसला दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। जो भी पक्ष ग्राम सभा के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है वह इसके खिलाफ जिला स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है। ग्राम सभा के फैसलों को कोई भी सरकारी अधिकारी बदल नहीं सकता।

- ग्राम सभा को अपनी सीमा के भीतर आने वाले जल, जंगल तथा जमीन का नियंत्रण करने की ताकत है। अतः ग्राम सभा अपनी स्थानीय परम्परा के अनुसार इन प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करेगी। प्राकृतिक संसाधानों का प्रबंधन करते समय या इनसे जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा करते समय ग्राम सभा यह ध्यान रखेगी कि उसके द्वारा किया गया फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ न हो।

- ग्राम सभा अपनी सीमा के भीतर आने वाले सभी बाजारों और सभी प्रकार के पशु मेलों पर नियन्त्रण रखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम सभा यह तय कर सकेगी कि मेला कब, कहाँ और कैसे लगेगा। बाजार में पशु बेचने पर कितना कर देना होगा, आदि। यहाँ भी ग्राम सभा के फैसलों पर कोई सरकारी अधिकारी दखल नहीं दे सकता।

- गांव में लागू की जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं जिसमें जनजातीय –उपयोजना भी शामिल है– पर ग्राम सभा का नियन्त्रण रहेगा। यानि ग्राम सभा ही यह तय करेगी कि कौन–सी योजना और उसके साधन ग्राम सभा में किस तरह से लागू होंगे। इन योजनाओं की धनराशि और खर्च पर किसी भी विभाग की जगह ग्राम सभा का अधिकार रहेगा।

हमने जाना

- प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रक्रिया से शासन करने के स्थान पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के द्वारा आमने–सामने बैठकर शासन करने की प्रक्रिया का एक उदाहरण है ग्राम सभा।
- ग्राम सभा में अपने स्थानीय संसाधन के नियोजन की जिम्मेदारी है
- ग्राम सभा को सहयोग देने के लिए इसकी दो समितियाँ– ग्राम निर्माण समिति एवं ग्राम विकास समिति है। इसके अलावा निश्चित कार्य के लिए अस्थायी समितियों को भी बनाया जा सकता है।
- ग्राम सभा के संसाधन में – ग्राम कोष एवं ग्राम निधि आते हैं। ग्राम निधि में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि शामिल होती है तथा इसमें ग्राम सभा द्वारा लगाया गया कर भी शामिल होता है। ग्राम कोष में – अन्न कोष, वस्तु कोष, श्रम कोष एवं नगद कोष शामिल है।
- आदिवासी, पहाड़ी एवं दूरस्थ स्थित क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और आदिवासी परम्परा संस्कृति की सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से इन इलाकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान–पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम (पेसा एक्ट) 1996 बनाया गया है।
- पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में राजस्व एवं वन ग्राम के अलावा मजरे या मुहल्ले में भी ग्राम सभा गठित करने का प्रावधान है।
- सामान्य ग्राम सभा अपने पंचायत के कार्यों की समीक्षा करके सुझाव दे सकती है, जबकि पाँचवीं अनुसूची की ग्राम सभा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला भी ले सकती है जिसका क्रियान्वयन पंचायत को करना पड़ेगा।
- आपसी विवादों की स्थिति में ग्रामसभा को न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्णय को कोई सरकारी अधिकारी बदल नहीं सकता किन्तु इसके विरूद्ध अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है
- पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र में कोई भी योजना यहाँ तक कि जनजातीय उपयोजना भी बिना ग्राम सभा की अनुमति के लागू नहीं की जायेगी।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **फालियों**– वन या राजस्व ग्राम के छोटे मुहल्लों या मजरों।
- **सामाजिक अंकेक्षण**– समाज से सीधे जुड़े हुए कार्यों का मूल्यांकन, मानिटरिंग एवं जांच इत्यादि के माध्यम से कार्य के प्रारम्भ से लेकर समापन तक की लाभार्थियों के द्वारा समीक्षा करने की प्रक्रिया।
- **तदर्थ समिति** – आकस्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थाई समितियों के अलावा गठित की जाने वाली अन्य समितियाँ जो कार्य की समाप्ति के पश्चात स्वयं समाप्त हो जाती हैं।

- **करारोपण** – संसाधन की कमी को दूर करने के लिये नियमानुसार कर लगाने की प्रक्रिया।
- **प्राक्कलन** (estimation) – किसी भी कार्य के पूर्व उस पर होने वाले व्यय का पूर्वानुमान।
- **कोष** – धन संग्रह करके रखना।
- **हितग्राही** – शासकीय स्कीम जिनके लिए चलाई जाती है वे लाभार्थी, हितग्राही या हिताधिकारी कहलाते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

- ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है?
- ग्राम सभा की बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
- कोरम से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए।
- मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को कौन–कौन से अधिकार दिये गये हैं?
- ग्राम सभा में समितियों का गठन क्यों किया जाता है? गठित की जाने वाली समितियों के प्रकार एवं उनके कार्य की विवचेना कीजिए।
- सामाजिक अंकेक्षण को स्पष्ट करते हुये ग्राम सभा द्वारा की जाने वाली सामाजिक प्रक्रिया बताइए।
- सामान्य ग्राम सभा से पांचवीं अनुसूची की ग्राम सभा किस प्रकार पृथक है?

आओ करके देखें

अपने पंचायत में जाकर निम्न सूचनाओं को एकत्रित कीजिए–

1. आपका क्षेत्र नगरीय शासन में आता है या ग्रामीण शासन में आता है।
2. आपके पंचायत में कुल कितने राजस्व एवं वन ग्राम हैं?
3. आपके पंचायत के अंदर कितने वार्ड हैं?
4. प्रत्येक वार्ड से चयनित पंचों के नाम लिखिए।
5. ग्राम पंचायत की कुल आबादी कितनी है तथा उसमें पुरुष तथा महिला कितनी हैं। सूची मुहल्लेवार बनायें।
6. ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में दर्ज मतदाताओं की संख्या बताइए।
7. ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी बताइए।
8. सरपंच के चुनाव में आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम।
- भारत का संविधान।

■■■

10.3.0 : ग्राम पंचायत – ग्राम का मंत्रिमंडल
(Gram Panchayat – Village Cabinate)

उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता हैं?
- ग्राम पंचायत के बैठक से संबंधित क्या प्रावधान है?
- ग्राम पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं?
- ग्राम पंचायत की समितियाँ कैसे कार्य करती हैं?
- ग्राम पंचायत के द्वारा योजना और बजट का निर्माण कैसे होता है?
- सरपंच के अधिकार एवं कार्य क्या हैं ?
- पंचायत प्रतिनिधियों को कैसे हटाया जाता है?
- अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है?

10.3.1 : ग्राम पंचायत : संरचना एवं मुख्य प्रावधान (Structure & Major Provisions)

- कम से कम एक हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है।
- ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड एवं अधिक से अधिक 20 वार्ड के गठन का प्रावधान है।
- ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है ।
- उपसरपंच का निर्वाचन पंचों में से किया जाता है ।
- सरपंच एवं उपसरपंच के निर्वाचन के पश्चात एक माह की अवधि में ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है।
- इस सम्मेलन की तिथि से आगामी पाँच वर्षों के लिए ग्राम पंचायत की अवधि गिनी जाती है ।
- ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन के पश्चात किन्हीं कारणों से रिक्त हुए पदों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति छः माह की अवधि में कराया जाता है, किन्तु ग्राम पंचायत के समय का साढे चार वर्ष का समाप्त होने पर ग्राम पंचायत में रिक्त हुए स्थान के लिऐ उपनिर्वाचन नहीं किया जाता है।
- ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उसके निर्वाचन के ढाई वर्ष की अवधि में नहीं लाया जा सकता है। ढाई वर्ष की अवधि के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में तीन स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है ।

ग्राम पंचायत : संचालन व्यवस्था

हर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य संचालन के लिये ग्राम पंचायत सचिव तथा एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त है। ग्राम रोजगार सहायक संविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर शिक्षित युवक है और इन्हें सहायक सचिव का दर्जा भी दिया गया है। हर 10 ग्राम पंचायत पर कार्य समन्वय के लिये पंचायत समन्वयक है। इसके साथ ही हर 8 ग्राम पंचायतों पर निर्माण कार्यो में तकनीकी सहायता के लिये संविदा पर उपयंत्री भी नियुक्त किये गये हैं। ये उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या मनरेगा की ओर से नियुक्त हैं। शीघ्र ही प्रत्येक पंचायत पर एक लेखापाल (एकाउन्टेंट) की नियुक्ति होगी। ग्राम पंचायत सरपंच इस अमले की मदद से कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को अच्छी तरह सम्पन्न कर सकेंगे।

10.3.2 : ग्राम पंचायत की बैठक (Meeting of Gram Panchayat)

पंचायत अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह बैठक आयोजित होना चाहिये। इसकी जिम्मेवारी सरपंच एवं सचिव की है। बैठकों का प्रमुख लाभ है कि –

- बैठक संस्थाओं के फेफड़ों में ताजी हवा भरने का काम करती हैं।
- बैठकें ही लोगों में संवाद शुरू करती हैं।
- बैठकें ही लोगों और समूहों को फैसले तक पहुंचाने का काम करती हैं।

पंचायत व्यवस्था में दिये गये अधिकार और ताकत का उपयोग तभी होता है जब हम बैठकों में जाते हैं, बैठक का महत्व समझते हैं और बैठक से जुड़ी प्रक्रिया को अपनाते हैं।

ग्राम पंचायत वेलगाँव में एक साथ कई काम शुरू हुए जैसे खरन्जा बनवाना, भवन का निर्माण, पांच नये हैण्डपम्प। पूरा गाँव यह सोचकर खुश हो रहा था कि अब उनके गाँव की दशा बदल जाएगी। एक दिन के काम के बाद गाँव को यह लगा कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। पहले तो गाँव में मिस्त्री और ठेकेदार से बात की। उन्होंने नहीं सुना तो सचिव से बोले। सचिव ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता आप लोग तो सरपंच से ही बात करो। गाँव के आम आदमी के साथ–साथ पंच भी बड़े निराश हुए जब सरपंच ने बोला कि काम ठीक–ठाक हो रहा है। पंचों ने तय किया कि वे इस बात को अगली तारीख को होने वाली बैठक में उठायेंगे।

बैठक के दिन मोहन लाल ने निर्माण कार्य पर चर्चा का मुद्दा उठाया। अध्यक्षता कर रहे सरपंच ने बोला कि तुमने पहले सूचना नहीं दी इसलिए यह विषय इस बैठक में नहीं उठा सकता। सभी सदस्य चुप हो गये अगली बैठक अगले महीने की 12 तारीख को शुरू हुयी। मोहन लाल ने फिर से मुद्दा उठाया। सरपंच ने फिर बोला आप मुद्दा नहीं उठा सकते। पूछने पर बताया कि आप लिखित रूप से सूचना नहीं दी है। मोहन लाल और बाकी पंचों ने हल्ला मचाया तो बैठक के सभापति या सरपंच ने बैठक स्थगित कर दी। अब सारे पंच पंचायत राज व्यवस्था और सरकार को कोस रहे थे और बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो इस्तीफा दे दो।

पंचायत की पहली बैठक और कार्यकाल

सरपंच, पंच तथा उप सरपंच के चुनाव के बाद इनके नामों का प्रकाशन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा। नामों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलायी जाएगी। पहली बैठक के दिन से ही पंचायत व उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल शुरू होगा जो अगले पांच साल तक चलेगा।

पंचायत की बैठक कौन बुलाएगा?

- धारा 44 (4) के अनुसार सरपंच की जिम्मेदारी है कि वह महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलायेंगे।
- अगर सरपंच बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो सचिव को यह अधिकार होगा कि वह पिछली बैठक के 25 दिन बीतते ही अगली बैठक की सूचना जारी कर दे।
- धारा 44 (6) के अनुसार यदि पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक (आधे से एक ज्यादा) सदस्य पंचायत की बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो सरपंच इस लिखित मांग के 7 दिन के भीतर पंचायत की बैठक बुलाएगें। अगर सरपंच यह बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो जिन सदस्यों ने लिखित मांग की है उन्हें अपने आप यह अधिकार मिल जाएगा कि वह बैठक बुला लें। इस बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा।
- पंचायत की बैठक कहां होगी, किस तारीख को होगी और समय क्या होगा यह तय करना पंचायत के सरपंच की जिम्मेदारी है।
- पंचायत की बैठक से जुड़ी सूचनाएं सदस्यों को देने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है। बैठक के स्थान, तारीख और चर्चा के विषय की सूचना सचिव, सदस्यों को बैठक से सात दिन पहले देंगे।

बैठक का संचालन कौन करेगा?

- महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वयं ही उस बैठक का संचालन करना होगा अन्य कोई भी (पति एवं अन्य परिजन) उनके स्थान पर बैठकों में भाग नहीं ले.सकेंगे।

  (मध्यप्रदेश शासन पं. एवं ग्रा.वि.वि. मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 462/178/2015/22–पी–2 भोपाल दिनांक 28.04.2015)

बैठक का कोरम

- ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत के कुल चुने हुए सदस्यों में से अगर आधे सदस्य आयें तो कोरम पूरा होगा। अगर आधे सदस्य नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित कर देंगे।

  यह स्थगित बैठक जब दुबारा बुलायी जायेगी तब कोरम का पूरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस बैठक में चर्चा उन्हीं बातों पर होगी जो पहले बैठक हेतु तय थे मतलब यह कि कोई नया विषय चर्चा के लिए नहीं लिया जायेगा।

पंचायत की बैठक की कार्यसूची

पंचायत की बैठक की कार्यसूची पंचायत के सचिव, पंचायत के सरपंच की सलाह से तैयार करेंगे। इस कार्यसूची में अगर जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर ने कोई विषय भेजा है तो उसे भी शामिल करेंगे।

बैठक में बोलना

पंचायत की बैठक में उसके सभी सदस्यों को बोलने और मत देने का अधिकार होगा। पंचायत की बैठक में बोलते समय संतुलित और संयमित व्यवहार जरूरी है। बैठक में बोलते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि –

- किसी भी न्यायालय में विचाराधीन विषय पर नहीं बोलेंगे
- पंचायत के काम–काज और उससे सम्बद्ध व्यक्ति के काम तथा जिम्मेदारी से जुड़े विषय पर ही बातचीत होगी।
- किसी भी स्तर की पंचायत, राज्य के विधानमण्डल (विधानसभा) और संसद की कार्यवाही या संकल्प से जुड़े किसी भी विषय पर संतापकारी (अपशब्द, व्यंग्यात्मक बात या गरिमा कम करने वाली बात) भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
- ऐसे शब्द जिनसे किसी की भी मानहानि होती हो उन शब्दों का प्रयोग व उच्चारण नहीं करेंगे।
- पंचायत के काम–काज को प्रभावित नहीं कर सकते।
- सभापति ही यह तय करेंगे कि कब कौन बोलेगा। सभापति जिस भी सदस्य को बोलेंगे वह सदस्य अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जायेगा।

ग्राम पंचायत बैठक में बैठना

बैठक में कौन कहां बैठेगा यह तय करना सभापति का अधिकार है, हो सकता है कि अभी सब लोग खाली स्थान और जगह पर बैठ जाएं लेकिन सभापति स्थान बदल सकते हैं। सभापति यह तय करेंगे कि सचिव की सीट कौन सी होगी, उपसरपंच की सीट कौन सी होगी और बाकी सदस्य कहां बैठेंगे।



चित्रः 10.3.1 ग्राम पंचायत की बैठक

बैठक में व्यवस्था भंग होने का दोष

पंचायत के किसी भी सदस्य और पदाधिकारी पर व्यवस्था भंग करने का दोष नीचे बतायी गयी परिस्थितियों में लगाया जा सकता है –

- अगर आपत्तिजनक भाषा या संतापकारी (अपशब्द, व्यंग्यात्मक बात या गरिमा कम करने वाली बात) शब्दों का उपयोग किया है और वह उन शब्दों को वापस लेने को तैयार नहीं है और न ही क्षमा मांग रहे हैं।
- बैठक के संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करते हैं।

- सभापति की बात या आदेश नहीं मानते।
- सभापति जब सदस्य को अपने स्थान पर बैठने को बोले तो उनकी बात नहीं मानते।

सदस्यों को अधिकार है कि वे –

- पंचायत के काम करने में गड़बड़ी,
- धन के दुरूपयोग तथा
- पंचायत क्षेत्र की जरूरतों

पर सभापति का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और जरूरी सुझाव दे सकते हैं।

बैठक में फैसला

पंचायत की बैठक में सभी सदस्य मिलकर फैसला लेंगे और जो भी प्रस्ताव पास होगा वह पंचायत का निर्णय माना जाएगा न कि सदस्य का फैसला।

फैसला तीन बातों का है –

- सभापति द्वारा किसी सदस्य के भाग लेने से रोकने पर
- पंचायत के सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए रखे गए संकल्पों और ध्यानाकर्षण पर
- पंचायत के प्रशासन और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर

पंचायत का फैसला वोट डालकर या मत विभाजन से होगा। किस विषय पर कब मत विभाजन से होगा यह सभापति तय करेंगे। पंचायत का अंतिम निर्णय साधारण बहुमत से होगा (मतलब 20 में से 11 सदस्य जिस बात के पक्ष में बोलेंगे वही फैसला होगा।)

बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा

बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेंगे। अगर सरपंच नहीं है तो उपसरपंच अध्यक्षता करेंगे। अगर उपसरपंच भी नहीं हैं तो पंच आपस में किसी एक सदस्य को उक्त दिवस की बैठक के लिए सभापति मनोनीत करेंगे।

सभापति या अध्यक्ष की शक्ति

पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सभापति को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं– जो इस प्रकार हैं :

1. अगर सभापति को यह लगता है कि बैठक में जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर जो निर्णय होगा उससे किसी सदस्य को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से धन मिल सकता है तो वह उस सदस्य को बैठक में मतदान या चर्चा से रोक सकता है। अगर सभापति किसी को मत देने से रोकते हैं तो वह सदस्य इसका विरोध कर सकता है और यह बात सभापति बैठक में रखेंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य यह फैसला करेंगे कि सभापति ने जो तय किया है, वह सही है या गलत इस बारे मे जो फैसला लेंगे वह अंतिम होगा। जब इस विषय पर वोट पड़ेंगे तो वह सदस्य जिसके बारे में चर्चा हो रही है, इससे जुड़े मतदान में वोट नहीं दे पायेगा।

2. पंचायत के सदस्य पंचायत से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा के लिये संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। यह संकल्प चर्चा के लिये रखा जायेगा या नहीं यह बात सभापति तय करेंगे। सभापति का फैसला अंतिम होगा सभापति ही सदस्यों द्वारा दिए गए संकल्प पर उन्हें बोलने और चर्चा शुरू करने की अनुमति देंगे। सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम बुलाए जाने पर संकल्प सबके सामने रखे या उसे वापस ले ले।

3. सदस्य का संकल्प चर्चा के लिये स्वीकार किया जाए या नहीं यह तय करना सभापति का अधिकार है। यह तय करते समय सभापति यह ध्यान देंगे कि संकल्प पंचायत अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। सभापति का फैसला अंतिम होगा।

4. सभापति सदस्य को व्यवस्था भंग करने के आरोप में बैठक से बाहर निकाल सकते हैं।

5. सभापति बैठक में अव्यवस्था होने पर उसे स्थगित कर सकते हैं।

6. कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर करेंगे।

पंचायत के सदस्यों के अधिकार

पंचायत की बैठक में लोकतंत्र और समानता के आधार पर बातचीत हो तथा फैसला लिया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए ही सदस्यों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। सदस्यों का एक बड़ा अधिकार है– बैठकों की सात दिन पहले जानकारी और यह भी पता चलना कि बैठक में मुद्दा क्या है। इसके साथ ही सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए भी संकल्प और ध्यानाकर्षण की व्यवस्था है। ध्यानाकर्षण हमने नीचे समझाया है :

ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण यानि किसी खास विषय पर पंचायत का ध्यान केन्द्रित करना या लगाना। कई बार ऐसा हो सकता है कि पंचायत अपनी रोज की जिम्मेदारी में कुछ बात या महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा न कर पाए ऐसी स्थिति में पंचायत का कोई भी सदस्य सम्बन्धित विषय या बात पर चर्चा करने के लिए पंचायत का ध्यान आकृष्ट (खींच) कर सकता है।

ध्यानाकर्षण भी दो तरह के होंगे –

- किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए
- कोई जानकारी मांगने के लिए

ध्यानाकर्षण की सूचना

दोनों तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पंचायत की बैठक से कम से कम पांच दिन पहले सदस्य द्वारा लिखित रूप से दी जाएगी। जिस विषय पर जानकारी मांगने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है, उस विषय पर पंचायत की बैठक में चर्चा नहीं होगी। सदस्य को सिर्फ जानकारी दी जाएगी।

संकल्प क्या है

पंचायत के सदस्य अपने काम–काज के लिये उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि पंचायत का सरपंच/अध्यक्ष या दूसरा कोई सदस्य। पंचायत सदस्य के रूप में कई बार यह महसूस हो सकता है कि पंचायत अपनी कुछ जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही या पंचायत का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है या पंचायत की बैठकें ठीक से नहीं हो

रही हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत का कोई भी सदस्य पंचायत के प्रशासन तथा जिम्मेदारी से जुड़े विषय पर अपनी इच्छा का प्रस्ताव रख सकता है। इसी को संकल्प कहा जाता है। संकल्प पूरी पंचायत के सामने रखा जाएगा और चर्चा के बाद पूरी पंचायत का संकल्प बनेगा तथा इस संकल्प को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायत की और उसके कर्मचारियों की होगी।

संकल्प का प्रारूप

संकल्प की भाषा समझ में आने वाली होनी चाहिए। संकल्प में पंचायत के प्रशासन तथा काम से जुड़े किसी विषय को उठाना चाहिए। संकल्प बनाते समय किसी तर्क, किसी अनुमान, व्यंग्यात्मक बात या अपमानजनक शब्द नहीं होना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति की निजी जिन्दगी या अतीत से जुड़ा विषय होना चाहिए।

संकल्प पर फैसला

सभापति को यह तय करना है कि वे कई संकल्पों पर एक साथ मतदान करवाएंगे या हर संकल्प के लिए अलग–अलग मतदान करवा कर फैसला करवाएंगे। फैसला साधारण बहुमत से होगा।

संकल्प पर चर्चा

किसी भी संकल्प पर होने वाली चर्चा खाली संकल्प तक ही सीमित रहेगी। चर्चा में संकल्प के बाहर का या कोई दूसरा नया विषय नहीं उठाया जायेगा।

संकल्प की सूचना

हम यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि संकल्प का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने या उसका अपमान करने के लिए नहीं किया जा सकता। अपने संकल्प की सूचना लिखित रूप से पंचायत के सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद और जिला के लिए) या सरपंच/अध्यक्ष को बैठक से पांच दिन पहले दी जा सकती है।

- संकल्प पर प्रस्तावक के दस्तखत होना जरूरी है।
- संकल्प की सूचना के साथ–साथ संकल्प की प्रतिलिपि भी देनी होगी।

यदि सभापति चाहे तो विशेष कारणों के आधार पर पांच दिन से कम समय में भी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं।

बैठक की कार्यवाही पुस्तिका

- हर पंचायत की एक कार्यवाही पुस्तिका होगी।
- उपस्थित सदस्यों के नाम
- उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम (रिपोर्ट)
- पंचायत की सभी कार्यवाही का कार्यवृत्त (रिपोर्ट)
- पंचायत में रखे गए संकल्प के पक्ष या विपक्ष में वोट देने वाले या तटस्थ रहने वाले सदस्यों के नाम होंगे।

- पंचायत बैठक की यह कार्यवाही, बैठक खत्म होने के दस दिन बाद, बैठक में आये सभी सदस्यों को दिखायी जाएगी।
- हर बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट पर उस दिन बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के दस्तखत होंगे।
- कार्यवाही देवनागरी (हिन्दी) में लिखी जायेगी और सदस्य जब भी इस कार्यवाही पुस्तिका को देखना चाहें यह खुली रहेगी। (कार्यालय समय के भीतर)
- बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजी जाएगी।

बैठक न बुलाने पर

अगर पंचायत के सरपंच धारा–44 की उपधारा (4) व (6) के अनुसार बैठक तीन बार बुलाने में असमर्थ रहते हैं तो –

ग्राम पंचायत के सचिव विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट देंगे। विहित प्राधिकारी पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा–40 और इससे जुड़े दूसरे नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करेंगे।

10.3.3 : ग्राम पंचायत के कार्य अधिकार एवं दायित्व (Rights and Resposibilities)

प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण, विकास की योजना का निर्माण जैसे विषयों के साथ–साथ ग्राम पंचायत का यह भी जिम्मेदारी है कि वह गाँव में विभिन्न नागरिक सुविधाओं की देखभाल करे तथा उन्हें समय–समय पर ठीक करती रहे ताकि गाँव में व्यवस्था बनी रहे।

पंचायत राज अधिनियम की धारा 49 में पंचायतों के काम की स्पष्ट व्याख्या है। अधिनियम की इस धारा के हिसाब से पंचायतों को निम्न प्रमुख क्षेत्रों में कुल मिलाकर 29 विषयों से संबंधित काम दिए हैं। इन सभी कामों के साथ पंचायत से यह भी अपेक्षा है कि वह अपने क्षेत्र में होने वाले अलग–अलग कामों के लिए संसाधन एकत्र करें।

ग्राम पंचायत की शक्ति



चित्र : 10.3.2 ग्राम पंचायत की शक्ति

ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेदारियों तथा ग्रमासभा द्वारा सौंपे गए काम को ठीक ढंग से कर सके इसलिए पंचायत को कुछ शक्तियां भी दी गयी हैं। प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है :–

- पंचायत क्षेत्र में होने वाले व्यापार को नियन्त्रित और संचालित करना।
- पंचायत क्षेत्र के विकास तथा उन्नति के लिए किसी संरचना (भवन आदि) तथा पेड़ को हटाने का अधिकार।

- स्वच्छता एवं साफ–सफाई, पानी निकासी और पानी के स्रोतों को बचाएं रखने की शक्ति।
- पंचायत में जल के उपयोग को संचालित करना ताकि सभी को जरूरत के अनुसार पानी मिल सके।
- पंचायत के पर्यावरण की सुरक्षा एवं बचाव करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार।
- पंचायत में किसी भी प्रकार के भवन के निर्माण से पूर्व पंचायत की अनुमति जरूरी है।
- पंचायत की सम्पत्ति पर से अतिक्रमण हटाने का पंचायत को अधिकार है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना।

ग्राम पंचायत के भीतर भवन निर्माण (धारा 55)

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को अगर भवन बनाना है तो उसे पंचायत से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी।
- ग्राम पंचायंत क्षेत्र में पुराने भवनों में सुधार बदलाव या नए निर्माण के लिए भी पंचायत से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी।

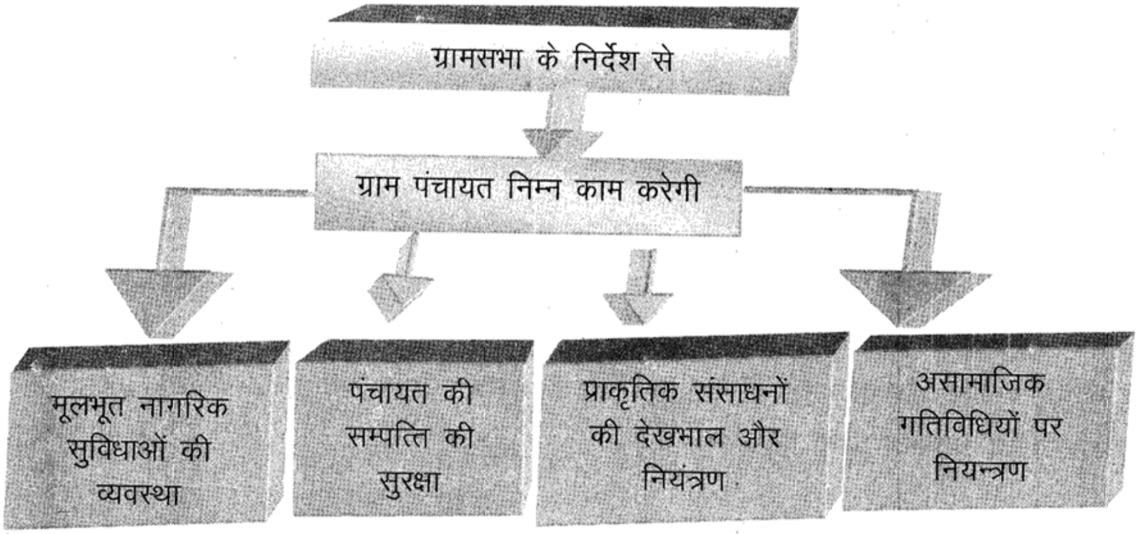
ग्राम पंचायत के लिए यह जरूरी है कि –

- अगर 45 दिन के भीतर पंचायत अपना फैसला नहीं देती तो यह माना जाएगा कि आवेदनकर्ता के प्रस्ताव से पंचायत को कोई असहमति नहीं है और आवेदनकर्ता को स्वतः ही अनुमति मिलना माना जाएगा।
- जो भी व्यक्ति पंचायत के आदेश को नहीं मानता पंचायत उसके खिलाफ जुर्माना लगा सकती है।
- इस जुर्माने की वसूली वैसे ही होगी जैसे जमीन के बकाए की वसूली होती है। तहसीलदार इस पूरी प्रक्रिया में पंचायत की मदद करेगा।

ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी

पंचायतों के काम तथा जिम्मेदारी को अधिनियम की धारा 49 में स्पष्ट किया गया है। ग्राम स्वराज के लिए किए गए संशोधन में धारा 49 में कुल 29 कृत्य थे जो पंचायत के कामों को परिभाषित करती थीं। नये संशोधन में 29 में से 28 कृत्य को समाप्त करके इन्हें ग्राम सभा के कामों की सूची में शामिल कर दिया गया है। सिर्फ सार्वजनिक बाजार व मेलों के प्रबंधन का काम पंचायतों के पास बचा है। धारा 49 (क) में कुल 17 कृत्य थे जिनमें से सिर्फ 6 कृत्य बचे हैं।

ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के काम और जिम्मेदारियों में गुणात्मक बदलाव आया है और पंचायत क्रियान्वयन संस्था से ग्राम सभा को सहयोग और दिशा देने वाली संस्था बन गयी है। ग्राम पंचायत की वर्तमान जिम्मेदारियों को निम्न क्षेत्रों में बांटकर देखा जा सकता है।



समन्वय, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग

ग्राम पंचायत की पहली जिम्मेदारी ग्राम सभा की समितियों के बीच आपस में जरुरी समन्वय और तालमेल बनाए रखना है। उदाहरण के तौर पर ग्राम सभा की दोनों समितियां अपना काम और अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से कर रही है या नहीं इसका मूल्यांकन करना भी ग्राम पंचायत की दूसरी जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह समितियों के काम काज का मूल्यांकन करके मूल्यांकन रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में रखे जिससे ग्राम सभा अपनी समितियों के काम–काज और उनकी क्षमता को समझ सके। ग्राम पंचायत की तीसरी जिम्मेदारी है समय–समय पर समितियों के काम को देखना। अगर समितियों को अपना काम करने में दिक्कत आ रही हो तो ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह इन समितियों को उचित सलाह और मार्गदर्शन तथा सहयोग दे।



चित्र : 10.3.3 मूल्यांकन कार्य

ग्राम सभा को धन देना

ग्राम सभा को जो भी काम और जिम्मेदारी दी गयी है उन्हें पूरा करने के लिए उसे धन चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार, ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को धन और साधन देते हैं। ग्राम स्वराज की व्यवस्था लागू होने के बाद से ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह –

- ग्राम सभा को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की योजना क्रियान्वयन के लिए धन और संसाधन दे।
- यह धन और संसाधन उन कामों के लिए होगा जो अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को करने हैं।

- ग्राम सभा को कितना धन देना है यह केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मापदंड के अनुसार होगा। मतलब यह कि अगर केन्द्र या राज्य सरकार कहे कि, हर ग्राम सभा को जनसंख्या के आधार पर धन दो तब ऐसी हालत में ग्राम पंचायत, जनसंख्या के आधार पर ग्राम सभा के खाते में धन देगी।

बाजारों तथा मेलों की स्थापना और प्रबंधन

ग्राम पंचायत को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर वह चाहे तो अपने कार्यक्षेत्र में बाजार और मेले शुरु कर सकती है। अगर पंचायत क्षेत्र में पहले से ही मेले और बाजार चल रहे तो ग्राम पंचायत उनका प्रबंधन करेगी और जहां जरुरी हो वहां नियम बना कर मेलों के स्वरुप तथा आकार में, उनके स्थान में बदलाव कर सकेगी। ग्राम पंचायत अपने अधिकार के क्षेत्र में पशु बाजार और पशु मेले भी शुरु कर सकती है। यह सभी काम करने के लिए ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र की ग्राम सभा का अनुमोदन लेना पड़ेगा।

योजना बनाना–

ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने पंचायत क्षेत्र के

आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली वार्षिक योजना को बनाए। अब ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू होने के बाद से ग्राम पंचायत की इस जिम्मेदारी में थोड़ा बदलाव आया है। अब पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह अपने पंचायत क्षेत्रों के गाँवों की ग्राम विकास समिति को गाँव की साल भर की योजना बनाने के लिए प्रेरित करे और मदद करे ।



चित्र : 10.3.4 वार्षिक योजना बनाना

- ग्राम सभा द्वारा ग्राम विकास समिति की योजना का अनुमोदन करवाये।
- अपने पंचायत क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं की सालाना योजनाओं को मिलाकर पंचायत की सालाना योजना बनाए।
- ग्राम पंचायत की इस सालाना योजना को जनवरी माह तक जनपद पंचायत को दे दे ।

ग्राम पंचायत की अन्य जिम्मेदारियां

ग्राम पंचायत के पास तीन और जरुरी काम हैं –

⇨ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा दिए गए काम, स्कीम या परियोजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना

⇨ ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर लागू होने वाली योजना के संसाधन और उसके व्यय पर नियंत्रण रखना

⇨ ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिये आवेदनों पर विचार करना।

10.3.4 : पंचायतों के पदाधिकारी और अधिकारियों की भूमिका (Role of Officials and Officers of Panchayat)

सरपंच के अधिकार एवं कृत्य

ग्राम पंचायत का सरपंच पंचायत अधिनियम के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिये उसके द्वारा पारित प्रस्ताव एवं संकल्पों को, राज्य शासन के समस्त निर्देशों को एवं पंचायत अधिनियम की धारा 49 के तहत ग्राम पंचायत को प्रदत्त कृत्यों को कियान्वित करने के लिये प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त निम्न उत्तरदायित्व भी सरपंच का होगा–

- ग्राम पंचायत के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा।
- ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य तथा की गई कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेगा तथा उस पर नियंत्रण रखेगा।
- ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- ग्राम पंचायत निधि, जिसमें संदाय के प्राधिकार, चेकों का जारी करना तथा वापसी आदि सम्मिलित है, का पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संचालन करेगा।
- पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गये समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करवायेगा।

10.3.5 : ग्राम पंचायत का बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना (Budget & Annual Plan)

बजट, मोटे रुप में प्राप्तियों और खर्च का दस्तावेज होता है। बजट से यह पता चलता है कि, पंचायत की आर्थिक हालत क्या है। संस्था की अपने स्रोत से होने वाली आमदनी कितनी है और किस सीमा तक पंचायत खर्चों या जरुरत के लिए बाहरी स्रोतों पर टिकी है। बजट प्रस्ताव एक बार स्वीकार हो जाने के बाद अगले साल भर का लेन–देन नियत हो जाता है, यानि संसद ने बजट में जो पास कर दिया वह व्यवस्था अगले एक साल चलती है, जब तक अगले वर्ष का नया बजट न पास हो जाए। बजट जहाँ एक तरफ आमदनी तथा खर्च का अनुमान है वहीं दूसरी तरफ बजट से यह भी पता चलता है कि पंचायत, राज्य, सरकार या केन्द्र सरकार अपनी हालत सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। जैसे कौन–कौन से नये कर लगेंगे। इस बजट से यह भी पता चलता है कि सरकार (पंचायत, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या कर रही है जैसे –

बजट और योजना का सम्बन्ध

बजट बनाने का काम तभी पूरा हो सकता है जब योजना बन गयी हो। बजट वास्तव में योजना का ही एक भाग है जिससे यह पता चलता है कि प्रस्तावित योजना के लिए पैसे और संसाधन कहां से और कैसे आएंगे। योजना, हमारी समस्याओं को दूर करने के प्रति हमारे विश्वास, संकल्प और सोच को दिखाता जबकि बजट यह बताता है कि अगले साल की प्रस्तावित इस योजना के लिए जरुरी संसाधन कहां से आयेंगे ?

* प्राथमिक शिक्षा पर बजट में खर्च का जो प्रस्ताव होगा उससे प्राथमिक शिक्षा पर सरकार के प्रयासों को समझने में आसानी होगी।
* खेती पर बजट के प्रावधानों से यह पता चलेगा कि सरकार किसान और खेतों के लिए क्या कर रही है।

वित्तीय वर्ष या बजट वर्ष :

01 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक की अवधि को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। जैसे सन् 2016, 01 अप्रैल से 31 मार्च, 2017 तक।

आम तौर पर बजट बनाते समय सरकारों (राज्य सरकार और केन्द्र सरकार) की यह कोशिश रहती है कि उनके अपने आय के स्रोत बढ़े जिससे कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करा सकें।

पंचायत का बजट बनाते समय भी इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सदस्यों को आय के अपने स्रोत बढ़ाने के प्रयास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पंचायतें अपनी आय बढ़ा सके इसके लिए राज्य सरकार ने इन्हें कर लगाने, बाजार लगाने, लोगों को प्रोत्साहित करके उनसे अंशदान लेने और उधार लेने की शक्ति दी है। नीचे हम बजट के प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे ।

बजट अनुमान कैसे तैयार करें

* सबसे पहले ग्राम पंचायत की सभी स्थाई समितियां अपने अगले साल के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम बनायेंगी और इसे सामान्य प्रशासन समिति को देंगी।
* जनपद और जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम पंचायत को साफ–साफ बताएं कि अगले साल ग्राम पंचायत को किस काम में कितना धन या संसाधन मिलने की संभावना है।
* जनपद और जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को अलग–अलग कार्यक्रम में मिलने वाली संभावित निधि (राशि, धन, संसाधन) की जानकारी देना इसलिए भी जरुरी है ताकि ग्राम पंचायत वास्तविकता के आधार पर अपने अगले साल के लिए बजट बना सके।
* अब सामान्य प्रशासन समिति, विभिन्न स्थाई समितियों तथा जनपद और जिला पंचायत की सूचना पर मिले प्रस्तावों की जाँच करेगी और फिर ग्राम पंचायत बजट अनुमान प्रारुप--एक में संभावित आय–व्यय का अनुमान तैयार करेगी।
* सामान्य प्रशासन समिति बजट (आय–व्यय अनुमान सहित)।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया

उपनियम (5) में यह बताया गया है कि

* बजट बनाने की प्रक्रिया क्या होगी
* बजट किन चरणों में बनाया जाएगा
* अलग–अलग चरण पर बजट बनाने की समय सीमा क्या है

बजट तैयार करने और अनुमोदित करने का निश्चित समय

सरकार ने उपनियम 5 में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत के बजट निर्माण प्रक्रिया के अलग–अलग चरण का विहित प्राधिकारी कौन होगा और हर चरण में पूरा होने की समय सीमा क्या है– यह जानकारी नीचे सारणी में दिखायी गयी है।

क्रम संख्या	विशिष्टियां(अगले साल के लिए प्रस्तावित बजट शीर्ष या मद)	विहित प्राधिकारी	सबसे अन्तिम तारीख जिस तक कार्यवाही पूरी होनी है।
	2	3	4
1	अगले साल के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रस्तुति	विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा ग्राम सामान्य प्रशासन समिति को	प्रतिवर्ष 31 जनवरी
2	ग्राम पंचायत को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना	जनपद और जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को	प्रतिवर्ष 31 जनवरी
3	बजट अनुमान का प्रारुप तैयार करना	सामान्य प्रशासन समिति द्वारा	प्रतिवर्ष 7 फरवरी
4	बजट अनुमान के प्रारुप पर विचार और अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा	प्रतिवर्ष 21 फरवरी
5	ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को सामान्य रुप से अनुमोदित बजट अनुमान की प्रस्तुति	ग्राम पंचायत द्वारा	प्रतिवर्ष फरवरी माह के अन्तिम दिन
6	बजट अनुमोदन का परीक्षण एवं अनुमोदन और ग्राम पंचायत को उपान्तरण सहित या बिना उपान्तरण वापसी	जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को	प्रतिवर्ष 15 मार्च

बजट अनुमान तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

सामान्य प्रशासन समिति जब अगले साल के लिए कार्यक्रम और बजट अनुमान तैयार करेगी तो यह ध्यान में रखेगी कि–

- अगले साल किस मद में कितना धन और संसाधन प्राप्त होंगे, इसका अनुमान ठीक तरह से तैयार हो ताकि, अगले साल मिलने वाली कोई भी राशि या योगदान छूट न जाए। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दिए गए ऋणों, कर वसूली और दूसरी सभी आमदनियाँ भी शामिल है।

- हर प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए होने वाले संभावित खर्च का अनुमान एकदम सटीक है। खर्च के इस अनुमान में न तो बचत दर्शायी है और न ही अनुमान से अधिक खर्च – क्योंकि यह वित्तीय अनियमितता माना जाएगा ।
- अगले साल किस मद में कितनी प्राप्ति होगी वह अनुमान पिछले दो–साल में वास्तव मे मिले धन–संसाधन के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसा कोई भी प्रस्तावित कार्यक्रम जिसमें धन संसाधन मिलना तय है उसके लिए अनुमान बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि इस मद में पिछले साल का बकाया और संभवित अन्य खर्चें भी शामिल किये गये हैं।
- स्थाई स्थापना व्यय जैसे बिजली का खर्च, फोन का खर्च, किराया एवं भत्ता इत्यादि के लिए स्थाई मासिक अनुमान वास्तविकता के आधार पर तैयार किया गया है। जब यह अनुमान तैयार करेंगे तो इसमें इस आधार पर कोई कटौती नहीं होगी कि इस मद में पिछले साल बचत हुई है। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी के मासिक वेतन का अनुमान तैयार कर रहे हैं तो उस कर्मचारी का कुल स्वीकृत मासिक वेतन (सकल वेतन) का आयकर काट कर मांग नहीं किया गया है यानी कर्मचारी के मासिक वेतन के साथ आयकर भी समायोजित हुआ है।

पंचायतों में भुगतान की नई व्यवस्था

- पंचायतों मे 1 अप्रैल 2015 से अब भुगतान की नई व्यवस्था लागू की गई। ग्राम पंचायत के अंतर्गत यदि एक से अधिक बैंक खाते संचालित हैं तो सभी खातों को तत्काल बंद करते हुये पंच–परमेश्वर योजना में संचालित बैंक खाते को ग्राम पंचायत के एक मात्र बैंक खाते के रूप में मान्य किया जायेगा। उक्त खाते में से सभी प्रकार के आहरण आरटीजीएस (खाते से खाते में ट्रांन्सफर) के माध्यम से किये जावें। बैंक ड्राफ्ट एवं चैक के माध्यम से आहरण/भुगतान कार्यवाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। नगद आहरण या अग्रिम नगद आहरण भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
- ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य, सामग्री की खरीदी और विभिन्न सेवाओं के लिये संबंधित फर्म, दुकानदार या व्यक्ति को नगद भुगतान नहीं करते हुये ऐसे कार्यो या सेवाओं के लिये भुगतान की जाने वाली राशि आटीजीएस पद्धति से ग्राम पंचायत के बैंक खाते से उनके बैंक खाते में जमा की जायेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य का पंजीयन कर हर कार्य के लिये अनिवार्य रूप से एक पंजीयन नम्बर (आईडी) प्रदान की जावेगी। इसी आईडी के आधार पर ही पंचायत दर्पण पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (आरटीजीएस) से भुगतान किया जायेगा।
- किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत के द्वारा सचिव या सरपंच अथवा अन्य किसी पंचायत पदाधिकारी या सरपंच, सचिव के रिश्तेदारों के नाम से किसी सेवा या सामग्री प्रदाय करने के लिये राशि अग्रिम स्थानांतरित नहीं की जावे। ऐसा करना गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

10.3.6 : सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के कानूनी प्रावधान तथा प्रक्रिया (No Confidence Motion – Legal Provisions & Process)

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा यदि अपने कर्तव्यों का पालन भली–भाँति सम्पन्न करने में चूक की गई है या वे अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 48 के अन्तर्गत बने नियम मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियों और कृत्य) नियम 1994 के अधीन कतिपय कृत्य एवं शक्तियाँ सौंपी गई हैं। निर्वाचित पदधारियों को ऐसी शक्तियों का उपयोग न्यायिक विवेक से सद्भाविक तौर पर करना होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पदधारियों पर निर्वाचित सदस्यों का नियंत्रण रखने के लिए पंचायतराज अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान रखा गया है इस प्रावधान में जहाँ एक ओर पदधारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकारों का दुरूपयोग रोकने के लिए उसे पद से हटाने की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की गई है वहीं इन पदधारियों को विभिन्न प्रकार के अनावश्यक दबाब से बचने के लिये संरचनात्मक प्रावधान भी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993. की धारा 21 में ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच धारा 28 में जनपद पचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा धारा 35 में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कानूनी प्रावधान किया गया है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम 1994 लागू है। अधिनियम की उक्त धारा के प्रावधान तथा नियम का पालन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव निराकृत होते है।

अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पात्रता –

पंचायत के चुने हुए पंच पंचायत के सरपंच/उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत के एक तिहाई चुने हुए सदस्य–एक निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर कर विहित प्राधिकारी को सूचना देकर ला सकते हैं। इस प्रस्ताव को लाने के लिए समय सीमाएँ तय की गईं हैं।

अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अविश्वास प्रस्ताव के आधार या कारणों का उल्लेख करने का प्रावधान है। मात्र इतना भी लिखना पर्याप्त होगा कि सरपंच/उपसरपंच ने सदस्यों का विश्वास खो दिया है।

विहित प्राधिकारी–

म.प्र.पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 93 अनुसार अधिनियम की धाराओं के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी निम्नवत् हैः–

1. ग्राम पंचायत के लिए– उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)

अविश्वास प्रस्ताव लाने की समय सीमा–

ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच, के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित समय सीमाओं के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकेगा:–

1. ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच के पद ग्रहण करने के ढाई वर्ष के भीतर
2. किसी पदधारी के विरूद्ध पूर्व में नामंजूर अविश्वास प्रस्ताव की दिनांक से छै माह के भीतर।
3. पदावधि के समाप्त होने के छः माह के भीतर पद धारण करने की अवधि की गिनती (गणना) पंचायत के प्रथम सम्मिलन से की जाएगी।
4. पूर्व में लाया गया ऐसा प्रस्ताव जिस पर चर्चा ही नहीं हुई उस पर इस समय सीमा का बंधन लागू नहीं होगा।

अविश्वास प्रस्ताव –

1. ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच के विरूध्द अविश्वास प्रस्ताव की सूचना–निर्धारित प्रपत्र में दी जाएगी।
2. सूचना पर पंचायत के चुने हुए एक तिहाई पंचों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
3. यह सूचना डाक द्वारा या एक पंच द्वारा भी विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।
4. यदि निर्वाचित पंच, पंचायत के सरपंच उपसरपंच, दोनों के विरूद्ध एक साथ अविश्वास प्रस्ताव चाहते हैं तो उन्हें दोनों कें विरूद्ध अलग–अलग सूचनाएँ देनी होगी।
5. अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चुने हुए सदस्यों द्वारा दी गई सूचना वापस नहीं ली जा सकेगी ।

अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही–

1. सूचना प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी एक प्रमाण–पत्र जिसमें वह तारीख समय जिसको उसे सूचना दी गई अंकित करेगा और प्रस्तुतकर्ता को देगा ।
2. अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी उसकी ग्राह्यता के बारे में निम्न तथ्यों पर अपना समाधान करेगा –

(अ) अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रतिवेदित समय सीमा का आंकलन।

(ब) निर्वाचित पंच में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर है या नहीं ।

(स) फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में ध्यानाकर्षित करने पर हस्ताक्षरकर्ताओं को समक्ष में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करेगा.

(द) एक तिहाई सदस्यों की गिनती उस समय पंचायत की गठित करने वाले चुने हुए सदस्यों से की जाएगी रिक्त पदों को गणना में नहीं लिया जायेगा.

(ई) समाधान न होने पर सूचना अग्राह्य्य होगी.

(फ) अग्राह्यता की सूचना संबंधित सूचना देने वाले पंच को दी जायेगी ।

(ग) समाधान होने पर विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, के सम्मिलन के लिए सूचना प्राप्ति के कम से कम 15 दिन के भीतर की तारीख, समय तथा स्थान नियत करेगा ।

(ह) सम्मिलन की सूचना जिसमें तारीख समय स्थान का उल्लेख होगा यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव, के माध्यम से संबंधित पंचायत के चुने हुए प्रत्येक सदस्य को विशेष वाहक से पहुँचाई जावेगी ।

ग्राम पंचायत सचिव के दायित्व–

(1) सचिव विहित प्राधिकारी से अविश्वास प्रस्ताव के सम्मिलन की सूचना प्राप्त होने पर यह प्रत्येक चुने हुए पदधारी को पूरे सात दिन पूर्व तामिल करायेगा और उसकी पावती लेगा, यदि कोई सदस्य नहीं मिलता है तो सूचना उसके परिवार के वयस्क सदस्य को तामील की जायेगी अथवा उसके घर पर चस्पा की जायेगी ।

(2) सचिव सम्मिलन के लिये नियत समय से एक घंटा पूर्व हाजिर होकर व्यवस्था का पुनः जायजा लेगा व मतदान कोष्ठ की व्यवस्था करेगा, मतदान में गोपनीयता भंग न हो यह सुनिश्चित करेगा।

(3) सचिव ग्राम पंचायत जैसी भी स्थिति हो के उस समय गठित करने वाले चुने हुए सदस्यों की प्रमाणित सूची पीठासीन अधिकारी को देगा।

(4) सचिव सम्मिलन के दौरान शान्ति भंग होने की आशंका को दृष्टिगत रख पास के पुलिस स्टेशन को सुरक्षा व्यवस्था के लिए सूचना देगा।

अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान

(1) मतदान की स्थिति में गुप्त मतदान के लिए कार्यवाही की जायेगी।

(2) अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो जाने के तत्काल पश्चात मतपत्र उतनी ही संख्या में तैयार किये जायेगें जितने सदस्य सम्मेलन में उपस्थित हैं।

(3) गुप्त मतदान हेतु उपस्थित पंच/सदस्यों को मतदान पत्र प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में डालने हेतु लिफाफे में दिये जायेंगे।

(4) मतदान के पश्चात पंच/सदस्य उक्त मतपत्र लिफाफे में रखकर पीठासीन अधिकारी के पास जमा करायेंगे।

मतगणना

पीठासीन अधिकारी को जब सभी मतपत्र प्राप्त हो जायेगे जो उनके द्वारा पंच/सदस्यों को मतदान हेतु दिये गये थे। तब वे उन मतपत्रों की गिनती करेगें एवं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में दिये गये मतों की गणना उपस्थित सभी पंच/सदस्यों के समक्ष करेंगे।

अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय के बिन्दु

अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय देने के पूर्व पीठासीन अधिकारी इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे

(अ) उस समय पंचायत को गठित करने वाले कुल कितने सदस्य हैं।

(ब) अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाये गये सम्मेलन में कितने सदस्य उपस्थित हुए।

(स) अविश्वास प्रस्ताव पर कितने सदस्यों ने मतदान किया।

(द) प्रस्ताव पर मतदान के समय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 3/4 की संख्या निकाली जायेगी ।

(ई) उस समय गठित पंचायत के सदस्यों के 2/3 से अधिक की संख्या निकाली जाये ।

(फ) उपस्थित पंचों में से मतदान में तटस्थ रहे पंचों की संख्या निकाली जाये।

(ग) पक्ष एवं विपक्ष में पड़े और अवैध मत की संख्या तथा तटस्थ रहे पंचों की संख्या का खुलासा किया जायेगा ।

निर्णय

उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम 3/4 पंचों ने पक्ष में मतदान किया है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की पहली शर्त पूरी हो जाती है। परन्तु दूसरी शर्त के अनुसार तीन चौथाई संख्या उस समय पंचायत का गठन करने वाले कुल पंचों की संख्या के 2/3 से अधिक होना अनिवार्य है। मतगणना में उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जायेगा अन्यथा नहीं। उल्लेखनीय है कि आधे या आधे से कम को पूर्णांक एक गिना जायेगा।

घोषणा

पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में पड़े मतों की संख्या तथा तटस्थ रहे पंचों की संख्या घोषित करेगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए दोनों शर्तों को स्पष्ट करते हुए यथास्थिति प्रस्ताव पारित होने या अपास्त होने की घोषणा करेगा ।

10.3.7 : पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाया जाना

ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों को जनता द्वारा वापस बुलाया जा सकता है। इसके लिए अधिनियम में नई धारा (21–क) का प्रावधान किया गया है।

इस धारा को जोड़ने का उद्देश्य यह है कि जो सरपंच गाँव के विकास में रूचि नहीं लेता है, ग्राम पंचायत के काम काज समय पर नहीं करता है या ग्राम पंचायत की बैठकें समय पर नहीं बुलाता है, जनहितकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँचाता है, शासकीय धन का दुरूपयोग करता है, उसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। नियमों में ऐसा प्रस्ताव ढ़ाई वर्ष के बाद लाया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ग्रसित किये गए पदधारी को निलम्बन किए जाने का प्रावधान है। ऐसे निलम्बन आदेश की रिपोर्ट राज्य शासन को दस दिन की समय सीमा के अन्दर विहित प्राधिकारी द्वारा भेजी जायेगी और ऐसे आदेशों के जारी रहते हुए निलंबन होगा जो राज्य शासन द्वारा जारी किया जाना उचित समझा

जाये, यदि निलम्बन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा किसी पदधारी के विरूद्ध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।

अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, उपसरपंच, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उपर्युक्त कारणों से निलम्बित किए जाने की व्यवस्था है और वह पदधारी किसी भी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य या पदधारी के पद से भी तत्काल निलंबित हो जाएगा जिसका कि वह सदस्य या पदधारी है, ऐसा व्यक्ति अपने निलंबन के दौरान, पंचायत अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन में किसी भी पद के लिए अयोग्य होगा।

पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना

राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगी --

(क) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार का दोषी रहा है, या

(ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है,

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक की उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाए ।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''अपचार'' के अन्तर्गत है--

(क) ऐसा कोई कार्य जिसका

(एक) भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता पर, या

(दो) राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो,

(तीन) स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा ।

(ग) पंचायत के किसी पदधारी द्वारा पंचायत में अपने किसी रिश्तेदार के लिए नियोजन प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रयोग करना या किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुँचाने के लिए कोई कार्यवाही करना जैसा कि किसी प्रकार का कोई पट्टा देना उनके माध्यम से पंचायत में किसी कार्य को करवाना.

परन्तु यह और भी कि जाँच में अन्तिम आदेश सम्बन्धित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर पारित किया जाएगा और जहाँ लम्बित प्रकरण 90 दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहाँ विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों से सूचित करेगा और जाँच के निपटारे के लिये समय में वृद्धि करने का अनुरोध करेगा किन्तु समय में ऐसी वृद्धि 30 दिन से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नातेदार" से अभिप्रेत है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री सास, श्वसुर, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्र–वधू ।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित हो जाएगा ।

एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन

कोई ऐसा व्यक्ति, जो पंचायत के एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उस तारीख से जिसको की वह निर्वाचित हुआ है या यदि वह भिन्न–भिन्न तारीखों को निर्वाचित हुआ है तो वैसी पश्चातवर्ती तारीखों से 10 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना परिदत्त करके यह निर्णय कर सकेगा कि वह ऐसी पंचायतों में से किस पंचायत में पदधारी के रूप में सेवा करने की इच्छा करता है और तदुपरि, ऐसी अन्य पंचायतो में से जिनमें सेवा करने की इच्छा नहीं करता है, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

उपर्युक्त कालावधि के भीतर ऐसे निर्णय के अपालन के संबंध में यह समझा जायेगा कि उतने पदों में से केवल एक पद के लिये निम्नलिखित क्रम में विकल्प ले लिया है,

(क) जिला पंचायत का सदस्य,

(ख) जनपद पंचायत का सदस्य,

(ग) ग्राम पंचायत का सरपंच,

(घ) ग्राम पंचायत का पंच

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति सूचना देने के पूर्व किसी पंचायत के सम्मिलन में हाजिर हुआ है, तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने उक्त पंचायत में पद के लिए विकल्प ले लिया है ।

किसी पदधारी द्वारा कोई लिया गया निर्णय अंतिम होगा। कोई व्यक्ति, परिणाम की घोषणा की तारीख को निर्वाचित हुआ समझा जायेगा ।

पंचायत को हुई हानि/दुरूपयोग के लिये पंचायत पदधारी/अधिकारी का दायित्व

पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतराज संस्थाओं को उनके मूलभूत कृत्यों के अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों में क्रियांवयन का दायित्व, सौंपा गया है, इसके अलावा शासन के विभिन्न विभागों के अधिकार व शक्तियां भी दी गई हैं, यह जरूरी है कि ये संस्थाएं उन आकांक्षाओं के अनुरूप विधि सम्मत कार्य करें, पंचायत के पदधारी तथा अधिकारी को पंचायत निधि का उपयोग लोक हित में अपना सद्विवेक इस्तेमाल करते हुए इस तरह करना चाहिए जैसे कि वह स्वयं का धन या संपत्ति का उपयोग करता है। धन या संपत्ति की हानि या दुरूपयोग को रोकने के लिये मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 में प्रावधान किया गया है, पंचायत पदधारी एवं अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार वातावरण निर्मित करे जिनमें इस प्रकार की घटनायें न हों

किंतु जहां कहीं इस प्रकार की घटनायें घटित होती हों, अधिनियम की पूर्वोक्त धारा के तहत कार्यवाही का कारण उत्पन्न होगा।

निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है –

- पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और समस्त पंच,
- ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति
- जनपद पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्य,
- संबंधित पंचायत के अधिकारी,
- संबंधित पंचायत के कर्मचारी,

हानि दुरुपयोग के पक्ष निर्धारण :–

पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदधारी, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति, पंचायत का अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिये, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, हानि दुरूपयोग के लिये पदधारियों, अधिकारी, कर्मचारी आदि के दायित्व के निर्धारण के लिये विधि सम्मत प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक पक्ष होने का निरूपण करने के लिये विचारणीय बिन्दु इस प्रकार हैं :–

- संबंधित ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति पंचायत का कोई पदधारी, पंच, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से पंचायत की संपत्ति, धन को हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन के लिये एक पक्ष होकर कारण बना हो,
- पद के दुरूपयोग, विधि विपरीत कार्य, अवचार या कर्तव्यों के प्रति घोर उपेक्षा करके हानि, दुरूपयोग का दुर्व्यय कारण बना हो,
- ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति, पंचायत का पदधारी, पंच सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के एक पक्ष होने का समाधान होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिये,
- सामूहिक रूप से लिये गये निर्णय हित संबद्ध विधि विपरीत कार्यों के लिये सामूहिक दायित्व निर्धारण अपेक्षित होगा,
- पक्ष का समुचित निर्धारण एक वैधानिक अपेक्षा है, यह निर्धारण अधिनियम के अनुसार की जाने वाली आगामी कार्यवाहियों का आधार होगा,
- अवचार, कर्तव्यों की घोर उपेक्षा, दुर्व्यय, दुरूपयोग और हानि के प्रकार का खुलासा किया जाना चाहिये,
- यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि कब, किस प्रकार कहां पर ऐसा घटित हुआ,

* उत्तरदायित्व निर्धारण कर उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के पूर्व कुछ तथ्य विचारणीय है, इस संबंध में न्यायिक निर्णय, भी माननीय तथा विचारणीय है, जिनका सार निम्नवत है :–

⇨ घोर अपेक्षा तथा उपेक्षा–सामान्य रूप से ईमानदारी और सद्भाव पूर्वक किये गये कार्य में यथा संभव सतर्कता बरतने के पश्चात् भी त्रुटि हुई है, तो यह घोर उपेक्षा नहीं कहलाती, घोर उपेक्षा संदोष कार्य होना चाहिये, ईमानदारीपूर्वक किये गये कार्य में सही निर्णय न ले पाना घोर उपेक्षा नहीं होगी।

⇨ योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर की गयी घोर उपेक्षा होना चाहिये, साधारण रूप में, असावधानी, उपेक्षा पर्याप्त नहीं।

⇨ अवचार, दुरुपयोग या हानि में उत्तरदायी व्यक्ति को गैर कानूनी लाभ पहुंचाना चाहिये और पंचायत को उसकी वजह से उसकी संपत्ति को नुकसान होना चाहिये, उत्तरदायी व्यक्ति के किसी कार्य के कारण में अनुचित लाभ देने या हानि पहुंचाने का तत्व मौजूद नहीं है तो दुर्व्यय, दुरुपयोग या हानि नहीं माना जावेगा।

⇨ पंचायत के पंचों या सदस्यों की समग्र भूमिका परीक्षण करने के बाद व्यक्ति/ व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने का निष्कर्ष निकालना चाहिये।

⇨ यह नहीं होना चाहिये कि हानि के लिये, संबंधित पंचायत के जिम्मेदार व्यक्तियों में से किसी को उत्तरदायी ठहराने के घेरे में समेटा जाये और किसी उत्तरदायीव्यक्ति को छोड़ दिया जाये, इससे जाँच विचारण तथा विनिश्चय सभी दोषपूर्ण होगा।

उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूली

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों से वह रकम जो हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग की प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी।

विहित प्राधिकारी

तीनों स्तर की ग्राम पंचायतों के लिये संबंधित जिलों के कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर को विहित अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

वसूली की कार्यवाही :

धारा 89 (1) के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जायेगी, जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, दायित्व के निर्धारण के पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जाना चाहिये, वसूली के लिये अनिवार्य शर्त यह है कि उत्तरदायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाये, कारण बताओ नोटिस के जरिये यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, नोटिस के साथ वह ब्यौरा होना चाहिये, जिसके कारण हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हुआ है, वह रकम जो वसूल की जाना है, उसका विवरण एवं उल्लेख किया जाना चाहिये, इस प्रकार के विवरण देना वैधानिक आवश्यकता है, जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिये।

प्रकरण की सुनवाई :

कारण बताओ नोटिस के जवाब में उत्तरदायी व्यक्ति जो प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत करता है उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिये, प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय दिया जाये, निर्णय विवेकपूर्ण आधारों द्वारा समर्थित होना चाहिये, यह निर्णय न्याय की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिये, सुनवाई के पश्चात् यदि विहित प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि उत्तरदायित्व का निर्धारण सम्यक् रूप से सही हुआ है तो वसूली की आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

10.3.8 : अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत

अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत मे स्थानों का आरक्षण

पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में आने वाली पंचायतों में (धारा 129–ड)

1 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए पंचायत में कुल आरक्षण गाँव में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार होगा ।

2 अनुसूचित जनजातियों के लिए कम–से–कम आधे स्थान आरक्षित रहेंगे ।

3 अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों के सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा

पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में आने वाली ग्राम पंचायतें, ग्रामसभा के अधीन काम करेंगी। इसका मतलब यह है कि पंचायत के सभी फैसले ग्राम सभा से अनुमोदित होना जरुरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के –

- सभी अधिकार
- स्थाई समितियाँ
- निर्णय प्रक्रिया

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में भी लागू होगी। इन अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ–साथ इन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को निम्न विशेष अधिकार भी है :–

ग्राम पंचायत के कृत्य

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र यानि पाँचवी अनुसूची में आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के नियन्त्रण तथा निर्देश में अपने सभी काम करेंगी। इन कामों में प्रमुख काम इस प्रकार हैं :–

- गाँव के बाजारों तथा मेलों का प्रबंध करना।
- गाँव के बाजार में लगने वाला पशु मेला चाहे वह किसी भी नाम से लगे, उसका प्रबंध करना।
- गाँव के विकास के लिए लागू की जाने वाली सभी योजनाओं पर और इस योजना के आय तथा खर्च पर नियन्त्रण रखना।

- जनजातीय उपयोजना के स्रोत व खर्चे पर नियन्त्रण रखना।

नियन्त्रण और प्रबंधन का मतलब यह है कि सभी योजनाओं पर ग्राम सभा में विचार होगा और जिस तरह से भी ग्राम सभा इन योजनाओं को लागू करना तय करेगी, ग्राम पंचायत वैसा ही करेगी। अतः यह भी हो सकता है कि इसके लिए योजना ऊपर से भेजे गए निर्देशों को जरूरत के हिसाब से बदल लिया जाये।

हमने जाना

- ग्राम सभा के निर्णयों को कियान्वित करने का दायित्व ग्राम पंचायत पर होने के कारण ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का मंत्रिमण्डल कहते हैं। जिस ग्राम पचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हैं उनके मध्य समन्वयन का कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है।
- ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन आधारित योजना एवं बजट निर्माण करना है। इस कार्य के लिये वह जनपद एवं जिला पंचायत के साथ ताल–मेल बनाकर कार्य करती है।
- सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा दोनो की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- ग्राम पंचायत की बैठक प्रतिमाह आयोजित होती है।
- ग्राम पंचायत चार प्रकार का कार्य करती है – मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, पंचायत की सम्पत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और नियंत्रण असामाजिक गतिविधियों पर नियन्त्रण।
- सरपंच या उपसरपंच यदि अपने पद का दुरूपयोग करते हैं तो उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- पंचायत प्रतिनिधि यदि पद के अनुरूप कार्य नहीं करते अथवा शासकीय धन का दुरूपयोग करते हैं तो उन्हें वापस बुलाये जाने का प्रावधान है।
- एक से अधिक पदों पर निर्वाचित होने पर किसी एक पद को छोंड़कर शेष पद को रिक्त करने की सूचना देना होगा।
- पंचायत प्रतिनिधि किसी धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुरव्यय या दुरूपयोग के लिये, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या उसके द्वारा उपेक्षा के कारण हुई है, के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
- इस प्रकार हुई हानि दुरव्यय या दुरूपयोग के प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से भू–राजस्व के बकाया के तौर पर निर्धारित वसूली की जायेगी।
- पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के नियन्त्रण तथा निर्देश में अपने सभी काम करेंगी।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **सम्मेलन**– बैठक आयोजित करने को सम्मेलन भी कहते हैं।
- **कार्यसूची (agenda)**– किसी बैठक के पूर्व यह तय करना कि बैठक में किन–किन बिन्दुओं पर चर्चा होगी।
- **संकल्प**– सदस्यों द्वारा किसी कार्य के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव।
- **समन्वय** – यह देखना कि सब मिलकर एक दिशा में कार्य करें तथा कार्यों का दुहराव न हो।

- **मॉनिटरिंग**– कार्य के दौरान यह देखना कि क्या उद्देश्यों के अनुरूप कार्य हो रहा है?
- **मूल्यांकन**– कार्य के अन्त में परिणाम का पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों के आधार पर विश्लेषण करना।
- **पंचायत प्रतिनिधि की वापसी (Recall)**– स्विट्जरलैण्ड जैसे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के देश में जनप्रतिनिधियों को ठीक कार्य न करने पर वापस बुलाने का प्रावधान है।

अभ्यास के प्रश्न

- ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है?
- ग्राम पंचायत के बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
- ग्राम पंचायत की शक्तियों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए।
- ग्राम पंचायत की समितियों के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
- पंचायत प्रतिनिधियों को हटाने से संबंधित क्या व्यवस्था है?
- पंचायत प्रतिनिधियों की वापसी से संबंधित प्रावधान की विवेचना कीजिए।
- क्या पंचायत प्रतिनिधि एक से अधिक पद धारण कर सकता है?
- सामान्य ग्राम पंचायत से पांचवीं अनुसूची की ग्राम पंचायत किस प्रकार पृथक है?

आओ करके देखें

भाग–अ– अपने चयनित क्षेत्र से निम्नांकित सूचनाओं का संग्रह कीजिए।

1. आपकी पंचायत सामान्य अथवा अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।
2. सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों के नाम एवं दूरभाष नम्बर प्राप्त कीजिए। पंचों के बीच कितनी महिलाएं एवं अनुसूचित जाति के सदस्य हैं? क्या पंचों में कोई भूमिहीन, मजदूर वर्ग अथवा गरीबी रेखा के नीचे (BPL) वर्ग के सदस्य हैं? पंचों के शिक्षा, अनुभव एवं अन्य उपलब्धियों को सूचीबद्ध करो।
3. वार्डवार समस्याओं की सूची तैयार करके उसके लिए पंचों द्वारा किये गये प्रयास एवं प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी सारणीबद्ध कीजिए।
4. आपके पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों का कोई पद रिक्त है? किसी पंचायत प्रतिनिधि के विरूद्ध कोई अरोप लंबित है?
5. वार्डवार निम्न सूचनाओं को संकलित करें–
   - मूलभूत सुविधाएं जैसे– पानी (पीने एवं कृषि कार्य हेतु) की उपलब्धता, सड़क, बिजली, आंगनवाडी, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाजार, सार्वजनिक वितरण केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, युवा केन्द्र (वाचनालय, क्रीडा स्थल, प्रशिक्षण केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र)।
   - शहरी सुविधाएं जैसे– यातायात, मोबाइल टावर, केबिल टी.वी. एजेन्सी, मोबाइल रिपेयरिंग केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, ई–सेवा केन्द्र, सुपर मार्केट/मॉल, दोपहिया/कार वाहन रिपेयरिंग केन्द्र।

भाग–ब–

1. अपने चयनित क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किये गये विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कीजिए।
2. अपने क्षेत्र में यह ज्ञात कीजिए कि ग्राम पंचायत के आय को बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है?
3. ग्राम पंचायत में योजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया को देखें कि यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है और इसमें किनकी सहभागिता होती है?
4. पंचायत क्षेत्र में निम्न संगठनाएं उपलब्ध हैं?

- महिला बचत समूह (SHG) (नाम, उद्देश्य, सदस्यों की संख्या, व्यवसाय का प्रकार, अध्यक्ष का नाम एवं मोबाइल नम्बर)।
- कारीगर समूह (artisan guild) – संबंधित सूचनायें।
- कृषकों के समूह।
- सहकारी समिति का नाम, उद्देश्य एवं पदाधिकारी ।

5. आपके पंचायत क्षेत्र मे

- कोई परिवार गरीबी के कारण पलायन करने की सूचना है क्या?
- बन्धुवा मजदूरी या बाल श्रमिक जैसी कुप्रथाएं हैं।
- बेरोजगार युवक कितने प्रतिशत हैं?
- समाज निःशक्त, असहाय वृद्ध, विधवाएं , विकलांग आदि हैं?

उपरोक्त वर्गों के लिये पंचायत द्वारा किये गये प्रयास को सूचीबद्ध कीजिए।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2004।
2. भारत का संविधान।
3. अन्ना हजारे द्वारा लिखित आत्म कथा "मेरा गाँव–एक पुण्य तीर्थ" असल में राले गाँव सिद्धी नामक एक गाँव की ही कहानी है। करीब दो सौ पृष्ठ के इस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि गाँव की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।

टीपः– राष्ट्र सन्त तुकड़ोजी महराज द्वारा ग्राम गीता नामक अद्भुत ग्रन्थ की रचना मराठी में हुई है। इसमें गाँव की समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिये वांछित संगठनाएं और संकल्पों के वर्णन प्रेरणात्मक ढंग से की गई है। उक्त ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध है।

■■■

10.4.0 : जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत (*Janpad* and *Jila* Panchayat)

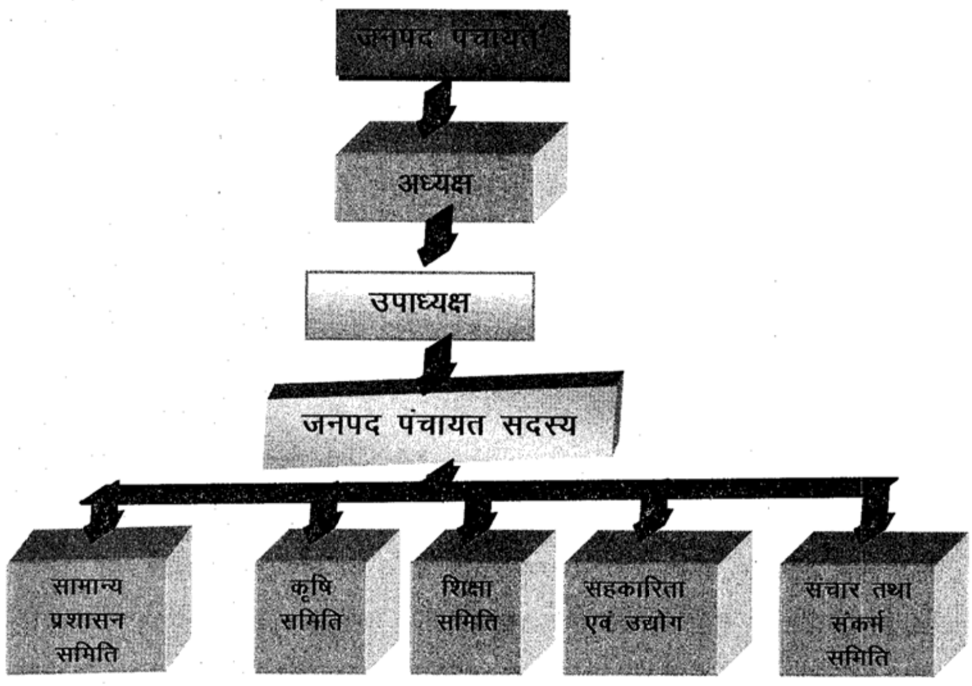
उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत –

- का संगठन क्या है?
- के बैठक की प्रक्रिया क्या है?
- की समितियाँ एवं उनके कार्य क्या हैं?
- के अधिकार एवं दायित्व क्या हैं?
- के आय के स्रोत क्या हैं?
- के पदाधिकारी का निर्वाचन एवं पदत्याग से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

10.4.1 : जनपद पंचायत की संरचना (Structure of *Janpad* Panchyat)

पंचायती राज व्यवस्था के आधारभूत दो इकाईया यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में हमने अब तक काफी जानकारियां प्राप्त की हैं। पार्श्व के चित्र के द्वारा पंचायतीराज की पूरी संरचना प्रदर्शित की गयी है।



चित्रः 10.4.0 त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था

उपरोक्त संरचना से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के मध्य में जनपद पंचायत इस व्यवस्था की प्रमुख कड़ी है। जनपद पंचायत मुख्य रुप से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की पूरक इकाई है जिनका मुख्य काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायतो के फैसलों और अधिकारों को सुरक्षित रखना तथा उन्हें मजबूती प्रदान करना। ग्राम सभा में सीधे लोग हैं अतः ग्राम सभा की ताकत यानि लोगों की ताकत। ग्राम सभा से ऊपर लोगों की प्रतिनिधि संस्थायें है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। स्वशासन, स्वराज और पंचायत राज तभी प्रभावी होगें जब तीनों स्तर की पंचायतें और ग्राम सभा मिलकर काम करें। अतः जनपद पंचायत की मुख्य जिम्मेदारी ही यह बनती है कि वह यह ध्यान दें कि संविधान और राज्य विधान मण्डल ने उन्हें जो काम और जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे प्रभावी ढंग से कर पाएं तो राज्य सरकार धीरे–धीरे इन जिम्मेदारियों को पंचायतों को सौंप सकें। हम जनपद पंचायत की संरचना और पिछले पचास सालों से स्थापित सरकारी व्यवस्था से इनके समन्वय को समझने का प्रयास करेंगे।

जनपद पंचायत का गठन

प्रदेश के हर विकास खण्ड के लिए एक जनपद पंचायत होगी। पंचायत अधिनियम की धारा 10(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि, राज्यपाल जिले को खण्डों में बांट सकते हैं जिसके लिए एक जनपद पंचायत गठित होगी। इस अधिनियम के लिए विकास खण्डों को ही खण्ड के रुप में अधिसूचित किया गया है।

धारा 23 के अनुसार जनपद को इतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 5 हजार हो। किसी भी जनपद में 25 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे।

जनपद पंचायत में प्रतिनिधि

प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 22 में जनपद पंचायत की संरचना बतायी गयी है। इसके अनुसार नीचे बतायी गयी श्रेणी के लोग जनपद पंचायत के सदस्य होंगे–

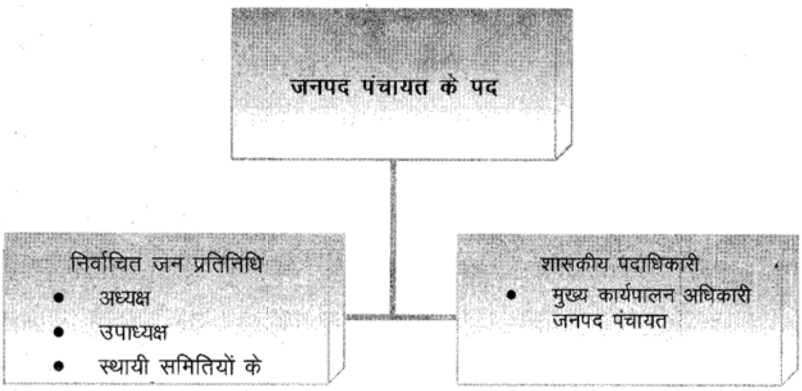
- जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से चुन कर आए सदस्य
- राज्य विधान सभा के वह सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में है और वह ग्रामीण इलाका इस जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर आता है।
- जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के पंचमांश सरपंच भी बारी बारी से एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। यहाँ यह समझना जरुरी है कि सभी सरपंचो को एक साथ जनपद पंचायत का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, व्यवस्था इस प्रकार बनायी गयी है कि हर साल जनपद पंचायत क्षेत्र के 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के सरपंच सिर्फ उसी साल के लिए जनपद के सदस्य होंगे। यानि हर बार 20 प्रतिशत नये सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य होगें और पांच साल में सभी सरपंच एक वर्ष के लिए जनपद सदस्य रहेंगे। जो सरपंच पंचायत के सदस्य होंगे उन्हें जनपद पंचायत की बैठकों में बैठने का अधिकार तो होगा किन्तु बैठक के दौरान निर्णय प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार नहीं है।

10.4.2 : जनपद पंचायत के पदाधिकारी

पंचायत अधिनियम की घारा 25 के अनुसार विहित प्राधिकारी जनपद सदस्यों के चुनाव के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये जनपद पंचायत का विशेष सम्मिलन बुलायेंगे।

अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार यदि चाहे तो किसी खास अनुसूचित जाति के लोगों को सदस्य के रूप में नामांकित कर सकती है बशर्ते उस जनपद पंचायत के कुल सदस्यों में इन नामांकित सदस्यों की संख्या दसवे हिस्से से अधिक न हो।

जनपद पंचायत में पद इस प्रकार हैं–



जनपद अध्यक्ष–अधिकार एवं कर्तव्य

जनपद पंचायत अध्यक्ष का कर्तव्य है :

1. जनपद पंचायत द्वारा पारित संकल्पों एवं प्रस्तावों को पूरा करेगा।
2. राज्य शासन या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों को क्रियान्वित करेगा। (वह धारा 50 के अंतर्गत जनपद पंचायत को सौंपे गये समस्त कृत्यों को पूरा कराने हेतु उत्तरदायी है)।
3. जनपद सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उनका नियमों के अंतर्गत संचालन करेगा।
4. जनपद पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा।
5. जनपद पंचायत के कर्मचारी द्वारा किये गये कार्यो या की गयी कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेगा तथा उन पर नियंत्रण करेगा।
6. जनपद पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

7. समस्त विवरण/प्रतिवेदन तैयार कराएगा।

8. समस्त मामले, जिनमें जनपद पंचायत की मंजूरी आवश्यक है प्रस्तुत करेगा। इन कंडिकाओं से उभरी शक्ति एवं कर्त्तव्य का विश्लेषण करेगा।

जनपद उपाध्यक्ष :

प्रशासनिक व्यवस्था में उपाध्यक्ष का स्थान स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष के पश्चात ही आता है। अधिनियम भी यह कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष का उत्तरदायित्व संभालना है। मध्यप्रदेश पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की शक्तियों तथा कृत्यः नियम 1994 में उपाध्यक्ष की शक्तियां बताई गयी है जिसमें यह कहा गया है कि –

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जनपद पंचायत के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित होने पर या उस दशा में जब अध्यक्ष किसी कारणवश बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहता है तो अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग करेगा तथा कृत्यों का पालन करेगा।

10.4.3 : जनपद पंचायत की मासिक बैठक

पंचायत का सम्मिलन पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा बैठक की तारीख, समय तथा स्थान नियत किया जाकर बुलाया जा सकेगा। मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, जिसमें तारीख, समय और उसका स्थान तथा उसमें किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख हो, साधारण सम्मिलन से पूरे सात दिन पूर्व और विशेष सम्मिलन से पूरे तीन दिन पूर्व सूचना पंचायत के प्रत्येक पदधारी को भेजी जाएगी और पंचायत के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी ।

बैठक की अध्यक्षता

बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी या दोनों की अनुपस्थिति में सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त दिन के सम्मिलन के लिए सभापति का चयन किया जावेगा जो सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। सम्मिलन के समक्ष समस्त प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा तय किए जाएंगे और किसी प्रस्ताव पर मत के बराबर रहने की स्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा।

बैठक की कार्यसूची

बैठक की कार्यसूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जायेगी। ऐसी तैयार कार्यसूची के साथ कार्यसूची में सम्मिलित की गई मदों पर यथासंभव संक्षिप्त टिप्पणियॉ संलग्न की जायेगी।

बैठक में सदस्य के बोलने का अधिकार

सभापति, किसी पदधारी को, किसी ऐसे विषय पर, जिसके संबंध में सभापति, को यह विश्वास हो कि ऐसा पदधारी, ऐसे करार या संपत्ति या उसके संबंध में किसी अधिकार में जो चर्चा की विषयवस्तु है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन

संबंधी कोई हित रखता है, मतदान करने या वाद विवाद में भाग लेने से रोंक सकेगा और ऐसा पदधारी, नियमानुसार प्रस्ताव पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

सभापति के अधिकार

सभापति किसी भी प्रस्ताव की ग्राहयता के संबंध में निर्णय ले सकता है। यदि उसकी राय में कोई संकल्प अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंधन करता है, तो वह उसे ग्रहण नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा। सम्मिलन में रखा जाने वाला प्रस्ताव स्पष्ट रूप से और ठीक–ठीक अभिव्यक्त किया जाएगा और उसके द्वारा किसी निश्चित विषय को उठाया जा सकेगा। ऐसे प्रस्ताव में न तो कोई तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्तियों या मानहानिकारक वक्तव्य शामिल होंगे और न ही उनमें किन्हीं व्यक्तियों के उनकी पदीय या लोक हैसियत को छोड़कर, आचरण या चरित्र के संबंध में कोई वक्तव्य दिया जायेगा अर्थात प्रस्ताव सकारात्मक स्वरूप का होगा। संकल्प की सूचना लिखित में होगी और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

पदधारी द्वारा संकल्प का प्रस्तुत किया जाना

पंचायत का कोई पदधारी जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है वह अपने आशय को लिखित में सम्मिलन से कम से कम पूरे पॉच दिन पूर्व देगा और सूचना के साथ ही उस संकल्प की प्रति देगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, किन्तु सभापति, उसके द्वारा कथित किए जाने वाले कारणों के आधार पर, पॉच दिन से कम की सूचना के संकल्प को भी कामकाज की सूची में प्रविष्ट किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है। पंचायत का कोई भी पदधारी जिसके नाम से कोई प्रस्ताव कामकाज की सूची में दर्ज किया गया है, नाम पुकारे जाने पर या तो प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा या प्रस्ताव वापस लेगा और वह इस स्थिति में उस आशय के केवल कथन तक ही अपने को सीमित रखेगा। नाम पुकारे जाने पर यदि कोई पदधारी अनुपस्थित है, तो उसके नाम पर दर्ज किया गया प्रस्ताव वापस लिया गया, तब तक माना जाएगा जब तक कि सभापति उस पर चर्चा की अनुमति न दे दे। किसी भी प्रस्ताव पर की जाने वाली चर्चा केवल प्रस्ताव तक ही सीमित होगी। जब अनेक विषय एवं बिन्दुओं से संबधित किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर ली जाए, तब सभापति अपने विवेकानुसार प्रस्ताव का विभाजन करेगा, और प्रत्येक या किसी एक विषय बिन्दु को जैसा भी वह उचित समझे, पृथकतः मत देने के लिए रखेगा। सभापति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसके संबंध में बोलने का वही अधिकार होगा जो किसी अन्य पदधारी को है ।

पदधारी द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना

पंचायत पदधारी सभापति का ध्यानाकर्षण, सम्मिलन से पूरे पॉच दिन पूर्व अपने आशय की सूचना देकर कर सकेगा । पदधारी सम्मिलन से पूरे पॉच दिन पूर्व सूचना देकर पंचायत के प्रशासन या उसके किसी कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में सभापति से जानकारी भी मॉग सकेगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए रखे गये किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, यदि वह नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है तो रखने की अनुमति दे सकेगा। जानकारी संबंधी कोई ध्यानाकर्षण सूचना विचार–विमर्श योग्य नहीं होगी ।

पदधारी द्वारा बैठक व्यवस्था का भंग किया जाना

पंचायत का पदधारी, व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा जब वह आपत्तिजनक या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मॉगने से इंकार करता है, या सम्मिलन के शातिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या सभापति के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है, या सभापति के अपनी कुर्सी से उठने पर या सभापति द्वारा स्थान ग्रहण करने के लिए आदेशित किए जाने पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है।

पंचायत का कोई भी पदधारी किसी भी अशोभनीय शब्दों के संबंध में आपत्ति कर सकेगा। अशोभनीय शब्दों पर आपत्ति करने वाले पदधारी को प्रस्ताव रखना चाहिए कि ''अशोभनीय शब्द वापस लिए जाए'' यदि उसका प्रस्ताव मान लिया जाए तो सभापति यह निर्देश देगा कि शब्द वापस लिए जाए एवं उसकी प्रविष्टि कार्यवाही पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी, अशोभनीय शब्दों पर आपत्ति तभी उठाई जाएगी जबकि उनका प्रयोग किया गया हो।

बैठक व्यवस्था भंग होने पर सभापति के अधिकार

सभापति ऐसे किसी पदधारी से आचरण के प्रति, जो विचार–विमर्श में या तो उसके अपने तर्क या अन्य पदधारी के तर्क में विसंगत या उकता देने वाली पुनरावृत्तियॉ लगाकर करता है, पंचायत का ध्यान आकृष्ट करने के पश्चात उसे अपना भाषण बंद करने के लिए आदेश दे सकेगा और उसके द्वारा ऐसा न करने पर ऐसे किसी भी पदधारी को सम्मिलन से तुरन्त निकल जाने का निर्देश दे सकेगा जिसका आचरण उसकी राय में अत्याधिक अशोभनीय हो, या जो पंचायत की व्यवस्था भंग करने का दोषी हो और इस प्रकार निकाले गये पदधारी को उस दिन की शेष अवधि के दौरान उपस्थित रहने का हक नहीं होगा । सभापति सम्मिलन में गंभ्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में बैठक को किसी निश्चित समय तक के लिए स्थगित कर सकेगा।

पंचायत का पदधारी पंचायत के सम्मिलन में विचारार्थ लाये गये किसी ऐसे प्रश्न पर चर्चा में अपना मत नहीं दे सकेगा और उसमें भाग नहीं ले सकेगा, यदि वह ऐसे प्रस्ताव में लोक सदस्य के रूप से भिन्न स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित रखता है।

यदि सम्मिलिन में उपस्थित किसी पदधारी को यह प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन के समक्ष चर्चा के किसी विषय में धन संबंधी कोई ऐसा हित रखता है तो ऐसा व्यक्ति चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो इस प्रकार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता ।

बैठक का कार्यवाही विवरण

पंचायत के बैठक का कार्यवाही इस हेतु नियत कार्यवाही पंजी में लिखेगा जैसे उपस्थित पदधारी का नाम, उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम, यदि कोई बैठक में आमंत्रित किये गये हों। पंचायत और उसकी समितियों के प्रत्येक सम्मिलन की समस्त कार्यवाहियों के विवरण, पंचायत के किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले या तटस्थ रहने वाले पदधारियों के नाम इत्यादि। सम्मिलन के अन्त में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवाही विवरण

पंजी में हस्ताक्षर किए जाएंगे और सम्मिलन की समाप्ति से दस दिन के भीतर सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को उक्त कार्यवाही विवरण को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यवाही विवरण कार्यालयीन समयों पर किसी पदधारी द्वारा परीक्षण के लिए निःशुल्क खुला रहेगा, कार्यवाही विवरण की एक प्रति पन्द्रह दिन के भीतर ग्राम पंचायत के मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, जनपद पंचायत के मामले में जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को एवं जिला पंचायत के मामले में कलेक्टर, और संचालक पंचायती राज को भेजी जायेगी ।

10.4.4 : जनपद पंचायत की स्थायी समितियाँ (Standing Committees of *Janpad* Panchyat)

मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि हर स्तर की पंचायतें अपने काम–काज के प्रभावी संचालन के लिए स्थायी समितियों का गठन कर सकती है। ये स्थायी समितियाँ जनपद पंचायत के अधीनस्थ अभिकरण (जनपद पंचायत के नियन्त्रण में काम करने वाली संस्था) के रूप में काम करेगी। इन समितियों का बनाने का उद्देश्य है कि –

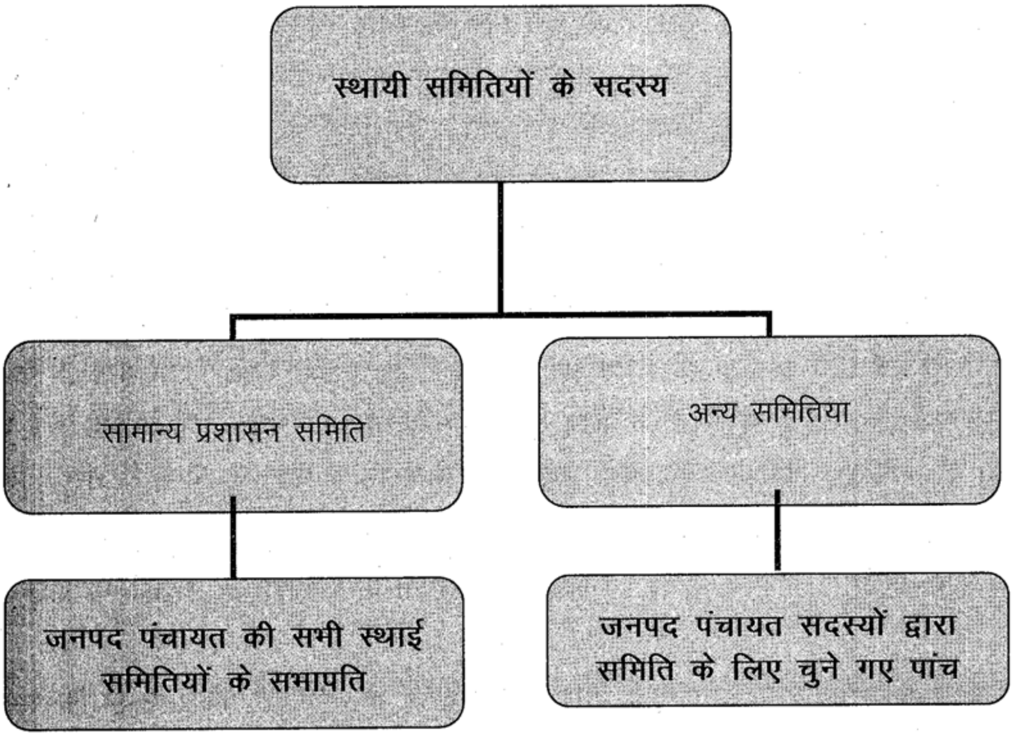
- जनपद पंचायत के काम–काज में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य निर्वाचित सदस्य भी सक्रिय भूमिका निभाएँ।
- जनपद पंचायत के काम–काज का बंटवारा, जनपद पंचायत के सदस्यों के बीच इस प्रकार से हो कि सभी सदस्य अपनी रूचि के विषय पर काम कर सकें।

अधिनियम की धारा 47 के अनुसार जनपद पंचायत के स्तर पर कम से कम पाँच स्थायी समितियों का गठन होगा।

1. सामान्य प्रशासन समिति
2. कृषि समिति
3. शिक्षा समिति
4. सहकारिता एवं उद्योग,
5. संचार तथा संकर्म समिति
6. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति
7. वन समिति

उपरोक्त समितियों में से प्रथम पाँच समिति अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत गठित की गई हैं एवं क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित समिति राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र कमांक 2128/22/पं.2/94/1565 दिनांक 28.9.1994 के अनुसार विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से गठित की जा सकती है ।

- सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थाई समितियों के सभापति सदस्य होंगे।
- बाकी सभी समितियों में कम से कम पाँच सदस्य चुने जाएंगे। इन पाँच सदस्यों का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से करेंगे।
- इन समितियों में दो ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है जो समिति को सौंपे गये विषय पर काफी अनुभव और ज्ञान रखते हों। इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।



स्थायी समितियों का सदस्य कौन होगा –

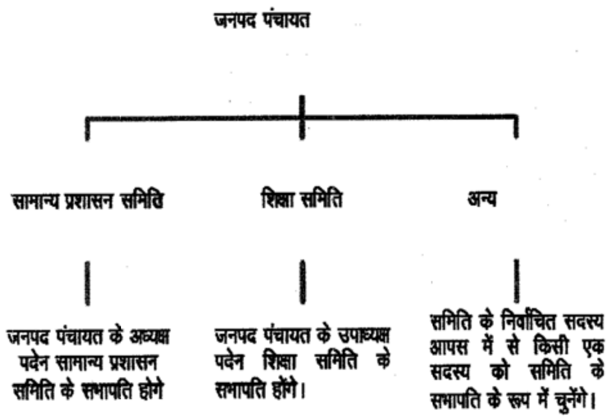
- विधान सभा सदस्य जो कि जनपद पंचायत के सदस्य है, भी जनपद पंचायत की प्रत्येक समितियों में सदस्य होंगे।
- शिक्षा समिति के सदस्यों में एक पद महिला के लिए आरक्षित है। एक पद पर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को चुना जाएगा।
- जनपद पंचायत का कोई भी सदस्य एक बार में तीन से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।

समितियों के सभापति

स्थायी समितियों के सभापतियों की व्यवस्था नीचे प्रवाह चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की गई ळें

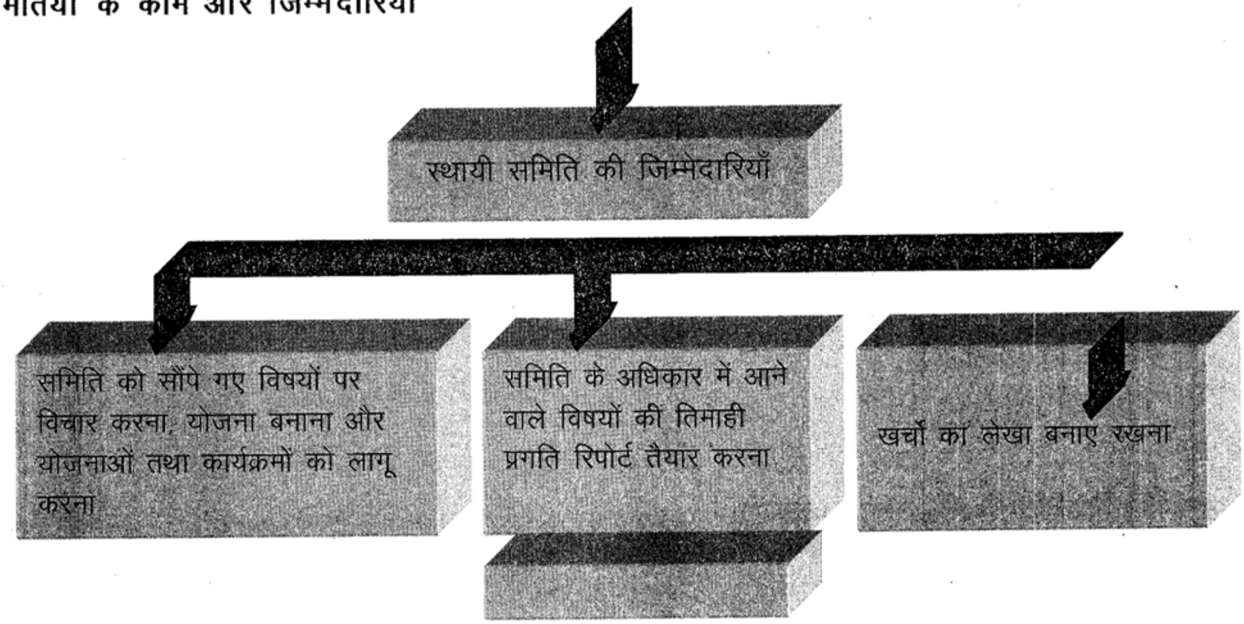
जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होगें।

- जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, पदेन, शिक्षा समिति के सभापति होंगे।
- जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के अलावा किसी अन्य समिति के सभापति नहीं होंगे।



- जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अलावा किसी अन्य समिति के सभापति नहीं होंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति के सभापति किसी दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- शिक्षा समिति के सभापति भी किसी दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर हर समिति अपने चुने गए सदस्यों में से सभापति का चुनाव तय प्रक्रिया अनुसार करेंगी।

समितियों के काम और जिम्मेदारियाँ



हर समिति को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए कुछ विषय दिये गये हैं यह विषय समितिवार इस प्रकार है:

1. सामान्य प्रशासन समिति–मुख्य कार्यपालन अधिकारी
    - जनपद पंचायत की स्थापना और सेवाएं
    - प्रशासन
    - एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना
    - बजट और लेखा
    - श्रम तथा जनशक्ति नियोजन
    - प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, अकाल, कीट से होने वाले नुकसान जैसे मौके पर काम
    - वित्तीय मामले

2. कृषि समिति–वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कृषि)

- कृषि
- भू–राजस्व
- पशुपालन–पशुपालन स्वास्थ्य विस्तार अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पशुपालन स्वास्थ्य सेवायें)
- पशुधन
- विद्युत शक्ति
- मृदा संरक्षण और बंडिंग
- मछली पालन
- कम्पोस्ट खाद बनाना
- बीज वितरण
- खेती विकास

3. शिक्षा समिति–खण्ड शिक्षा अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शिक्षा)

- शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा
- कमजोर और निराश्रित के लिए समाज कल्याण
- छुआछूत दूर करना
- शराब बंदी और शराब छुड़वाना
- आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति कल्याण
- खेलकूद
- युवा कल्याण

4. सहकारिता एवं उद्योग

- सहकारिता
- मिंतव्ययिता यानि खर्च में कमी
- अल्प बचत
- कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग
- खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति
- बाजार
- सांख्यिकी

5. संचार तथा संकर्म समिति

- संचार
- लघु सिंचाई
- ग्रामीण मकान निर्माण
- अन्य सार्वजनिक काम

6. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति

- लोक स्वास्थ्य
- सफाई व स्वच्छता
- महिला एवं बाल कल्याण
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी–सहायक यंत्री (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)
- ग्रामीण जल प्रदाय तथा जल निकासी

7. वन समिति

- सामाजिक वानिकी
- एकीकृत पड़त भूमि विकास
- राष्ट्रीय उद्यान
- लघु वन उपज का विकास
- वानिकी के अन्य कार्यक्रम

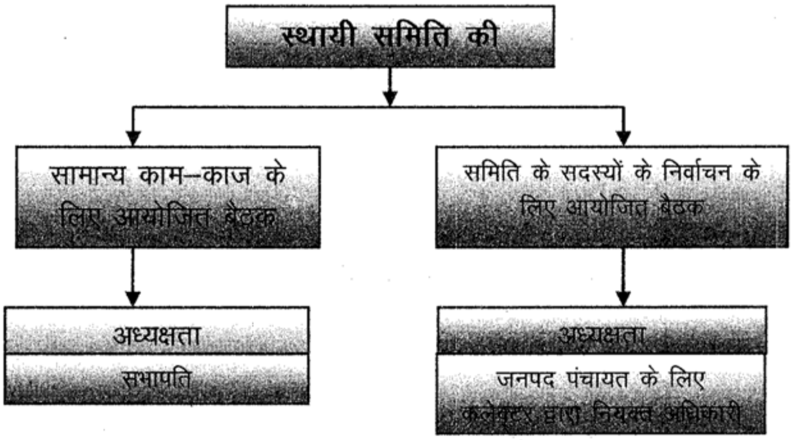
स्थायी समितियों की शक्तियाँ

जनपद पंचायत की सभी स्थायी समितियों को 2–3 तरह की जिम्मेदारियाँ सौपी गई हैं। ये जिम्मेदारियाँ उनको दिये गये विषयों की योजना बनाना, बजट बनाना, स्वीकृत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करना, उसकी प्रगति रिपोर्ट बनाना और लागू करने में होने वाले खर्च का लेखा बनाए रखने से जुड़ी हुई है। इसको हमने नीचे बनाए प्रवाह चित्र में स्पष्ट करने की कोशिश की है।

1. बजट के प्रत्येक विषय हेतु राशि आंवटित है। इस बजट में उपलब्धता के होते हुए अपनी समितियों के विषयों पर प्रावधान के अनुरूप कार्य हेतु राशि उपलब्ध करा सकती है।
2. उसी शीर्षक के एक मद से दूसरे मद में राशि का पुनर्विनियोजन करा सकती है, तथा एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में जनपद पंचायत की अनुमति से पुनर्विनियोजन कर सकती है।
3. विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत कार्यों हेतु संभावित राशि की प्राप्ति हेतु मांग के लिये दिसंबर माह तक अनुमान विवरण जनपद पंचायत को भेजा जाना चाहिये।

समिति के सदस्य तथा सभापति का कार्यकाल

स्थायी समिति के सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जो जनपद पंचायत के अन्य सदस्यों का है। परंतु कोई भी सदस्य जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा, तो स्थायी समिति का सभापति अथवा सदस्य भी नहीं रह सकेगा।



स्थायी समिति की बैठक

स्थायी समिति का सभापति जितनी बार आवश्यक हो समिति की बैठक बुला सकता है, पर हर माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य बुलानी चाहिये।

1. यदि कम से कम 3 सदस्य लिखित में बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो सभापति को बैठक बुलानी पड़ेगी।
2. यदि सभापति ऐसी बैठक मांग किये जाने के 10 दिन के भीतर नहीं बुलाता तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसा सम्मिलन स्वयं बुलायेगा।

स्थायी समिति की बैठक की सूचना एवं विषय वस्तु–

ऐसे सम्मिलन की सूचना जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान तथा उसमें किये जाने वाले काम का उल्लेख हो, बैठक के पूरे 5 दिन पहिले सदस्य को दी जानी चाहिये तथा जनपद पंचायत के कार्यालय में भी लगाई जानी चाहिये।

स्थायी समिति की बैठक का कोरम–

1. सभापति को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा।
2. यदि गणपूर्ति न हो सकी तो पीठासीन अधिकारी ऐसे समय एवं तारीख के लिए स्थगित कर देगा जैसा वह उचित समझे। उसकी घोषणा भी तत्काल करेगा। यदि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न भी हो, तो पूर्व एजेंडा पर चर्चा एवं निर्णय लिये जा सकेंगे।

स्थायी समिति का सभापति–

प्रत्येक समिति के सभापति अपनी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में सदस्य उपस्थित सदस्यों में से किसी को सभापति मनोनीत कर लेंगे।

किया जाने वाला काम काज–

1. विषय सूची में आये विषयों पर ही चर्चा सीमित रहेगी अन्य किसी विषय पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही चर्चा की अनुमति होगी।
2. यदि चर्चा का कोई विषय एक से अधिक समितियों से संबंध रखता है, तो उसे निर्णय हेतु जनपद पंचायत के समक्ष भेजा जायेगा।
3. जनपद पंचायत को वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि से आगामी वित्त वर्ष के लिए समिति से संबंधित विषय की योजना का प्रारूप बनाकर जनपद पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. विषय से संबंधित योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा, गुणवत्ता का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण आदि किया जायेगा।
5. विषय से संबंधित योजना के विस्तार के संबंध में विचार किया जायेगा।

स्थायी समिति का सचिव –

स्थायी समिति का सचिव भी स्थायी समिति की बैठक में भाग ले सकता है।

- बैठक के समय सचिव की मुख्य जिम्मेदारी है कि वह –
  - बैठक में चर्चा के लिए रखे गये विषयों पर समिति के सदस्यों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं।
  - बैठक में चर्चा के लिए रखे गये विषय पर पंचायत एवं समिति क अधिकारों को स्पष्ट करें।
  - बैठक में रखे गये विषय पर समिति क्या फैसला नहीं कर सकती है यह बतायें या अवगत कराएँ।
  - अगर बैठक में समिति ने ऐसा फैसला लिया है जो अधिनियम के प्रावधान या अधिनियम से जुड़े नियमों या किसी अन्य नियम कानून की भावना के खिलाफ हो तो समिति का सचिव तुरंत ऐसे प्रस्ताव की सूचना सी.ई.ओ को उचित कार्यवाही के लिए देंगे।

सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अन्य समितियों के सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। सामान्य प्रशासन समिति का सचिव स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा। स्थायी समिति का सचिव जब तक कि उसे विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया जाये तो बैठक में भाग ले सकेगा एवं प्रस्तुत विषयों पर चर्चा एवं जानकारी दे सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी बैठकों में भाग ले सकता है।

स्थायी समिति की बैठक में फैसला–

1. बैठक में उठाये प्रश्नों का निर्णय समिति के एकमत के आधार पर होगा। परंतु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो तो पीठासीन अधिकारी उस पर मत लेगा।
2. स्थायी समिति के सभी निर्णय प्रारूप 2 के अनुसार रजिस्टर में लिखे जायेंगे।
3. विषय के पक्ष एवं विपक्ष के नाम विषयवार कार्यवाही पुस्तक में लिखे जायेंगे।

स्थायी समितियों की कार्यवाही –

1. प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही देवनागरी लिपि में कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जायेगी एवं उस पर अध्यक्षता कर रहे सभापति अथवा सदस्य के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यवृत्त की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजेगा। वह इस कार्यवाही के प्रतिवेदन का अगली जनपद पंचायत की बैठक में सूचनार्थ रखेगा।

हित रखने वाला सदस्य –

अगर जनपद पंचायत की स्थायी समिति जिन विषयों पर फैसला कर रही है और उसके फैसले से समिति के किसी सदस्य को लाभ या हानि हो रही है तो ऐसे सदस्य को उस समिति की संबंधित बैठक और बैठक से हित रखने वाला सदस्य माना जाएगा।

1. यदि कोई सदस्य चर्चा के विषय में स्वयं कोई आर्थिक हित रखता हो तो वह चर्चा में भाग लेगा किन्तु यदि उस संबंध में मत लिया जा रहा हो, तो मतदान में भाग नहीं लेगा।
2. सभापति या पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य से यह मांग कर सकता है अनुरोध कर सकता है कि वह चर्चा में भाग न ले, मत न दे अथवा अच्छा हो कि वह अनुपस्थित हो जाये।
3. सभापति ऐसे सदस्य को चर्चा में भाग लेने या मतदान करने से भी रोक सकता है।
4. ऐसा हित रखने वाला सदस्य फैसले को चुनौती दे सकता है। व्यक्ति ऐसे फैसले को चुनौती देता है तो इस संबंध में निर्णय बहुमत से होगा।
5. सदस्य द्वारा चुनौती दिए जाने पर सभापति इस बात को समिति के सभी सदस्यों के सामने रखेंगे और इस संबंध में फैसला बहुमत से होगा और यह फैसला अंतिम होगा।
6. जनपद पंचायत की स्थाई समिति जब एक बार किसी विषय पर कोई फैसला ले ले तो 6 माह तक पुनर्विचार नहीं होगा।
7. यदि ऐसी ही स्थिति अध्यक्षता कर रहे पीठासीन अधिकारी के बारे में सदस्यों को ज्ञात होता है तो वे भी बहुमत के द्वारा उसे बैठक की अध्यक्षता नहीं करने हेतु निर्णय ले सकते हैं एवं अन्य किसी व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता करने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

समिति द्वारा लिए गए फैसलों पर दुबारा विचार

सामान्यतः लिये गये निर्णय पर 6 माह के भीतर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि–

1. जनपद पंचायत के तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति न हो
2. कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव लिखित मांग पर पुनर्विचार के आदेश न दिये हों।

महत्वपूर्ण प्रावधान –

– स्थायी समिति के सभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

– समिति के गठन संबंधी विवाद को धारा 122 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका के माध्यम से प्रश्नगत किया जा सकता है ।

– सामान्य प्रशासन समिति या अन्य स्थायी समिति के सभापति को समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को बदलने का अधिकार नहीं है।

– पंचायत पदाधिकारी का निलंबन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न दशाओं में राज्य शासन की पुष्टि के पश्चात ही किया जायेगा। यदि वह –

➢ भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अंतर्गत, खाद्य सामग्री, औषधि आदि में मिलावट, अधिनियम के अंतर्गत,

➢ बच्चों तथा स्त्रियों के संबंध में अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत,

➢ नागरिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लंघन करने का

दोषी पाया जाता है।

पंचायत के कार्यो में पारदर्शिता लाने हेतु यह भी निर्देशित किया गया है कि सामान्य सभा एवं स्थायी समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों का सार–संक्षेप संबंधित पंचायतों के सूचना पटल पर लगाया जायेगा। निर्णयों का रजिस्टर आम जनता के अवलोकन हेतु निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई निर्णयों की प्रतिलिपि चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क जमा करने पर वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बाबत भी सूचना, सूचना बोर्ड पर लगायी जानी चाहिये।

10.4.5 : जनपद पंचायत के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ (Responsibilities and Functions)

जनपद पंचायत को दो तरह के काम दिए गए हैं

- व्यवस्था बनाए रखना और वर्तमान गतिविधियों का संचालन
- विकास और बदलाव के लिए योजना बनाना और उस योजना को लागू करना।

व्यवस्था और वर्तमान गतिविधियां

व्यवस्था और वर्तमान गतिविधियों के संदर्भ में भी जनपद पंचायत को दो तरह के काम दिए गए हैं :

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

जनपद पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि जनपद पंचायत में उपलब्ध धन को ध्यान में रखकर :–

- एकीकृत ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- कृषि
- सामाजिक वानिकी
- पशुपालन, मछली पालन
- स्वास्थ्य, स्वच्छता
- महिला, युवक तथा बाल कल्याण
- निःशक्तों और निराश्रितों का कल्याण
- पिछड़े वर्गो का कल्याण
- परिवार नियोजन
- खेलकूद

जैसे विषयों पर काम करें।

व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े काम

- आग, सूखा, बाढ़, अकाल, महामारी, भूकम्प, टिड्डी दल जैसी प्राकृतिक विपदा में सहायता की व्यवस्था करना
- जनपद क्षेत्र के भीतर तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों के संबंध में व्यवस्था करना
- सार्वजनिक नौका घाटों का प्रबंधन तथा देख–रेख
- सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक मेले तथा प्रदर्शिनी का प्रबंधन

विकास तथा बदलाव से जुड़े काम

जनपद पंचायत का पहला काम है कि वह अपने जनपद क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना निम्न प्रकार तैयार करें :–

योजना बनाना

जनपद पंचायत को अगर जिला पंचायत या राज्य सरकार ने कोई स्कीम या योजना दी है तो उसकी सालाना योजना को तय की गई समय सीमा में तैयार करके जिला पंचायत को भेज देना ताकि यह योजना जिले की सालाना योजना में शामिल हो जाए।

- जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की सालाना योजना तैयार करवाना।
- ग्राम पंचायतों से प्राप्त सालाना योजना पर विचार करना और उन्हें जोड़ना।
- इसके साथ जनपद की भी सालाना योजना को जोड़कर जनपद की सालाना योजना बनाना और तय सीमा के भीतर जिला पंचायत को भेजना।

क्रियान्वयन और समन्वयन

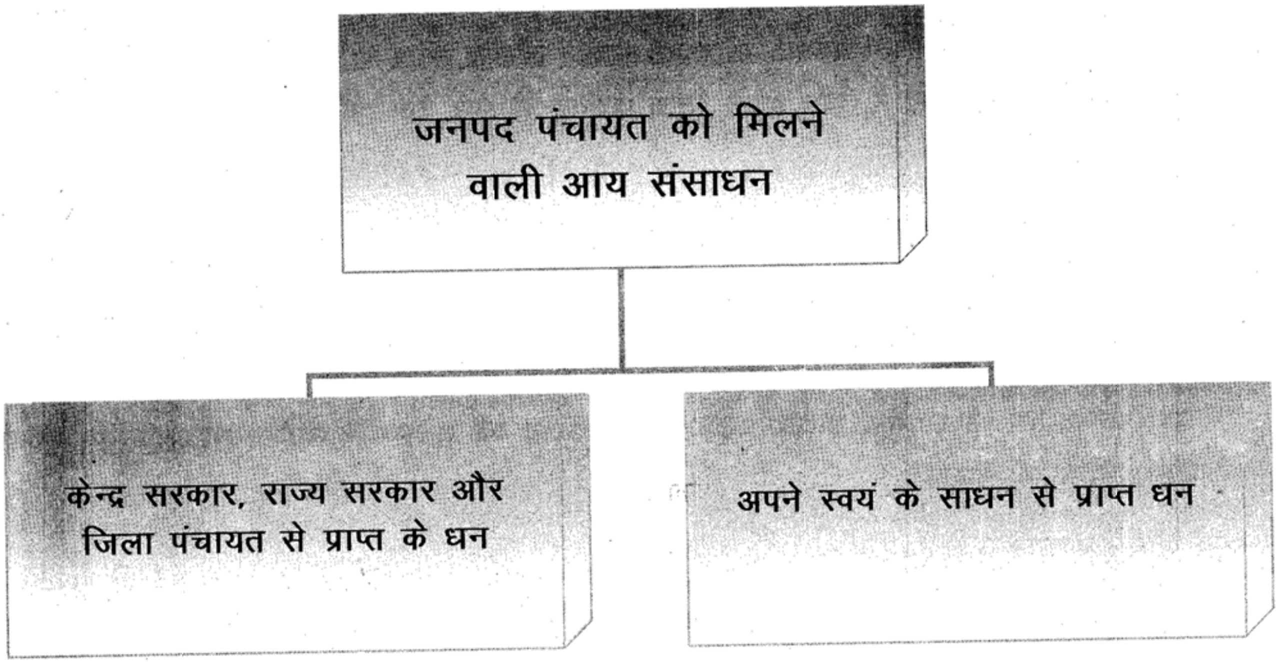
जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के समूह के ऊपर है अतः सैद्धान्तिक रुप में जनपद पंचायत की पहली जिम्मेदारी है– पंचायत के बीच में समन्वयन स्थापित करना ताकि विकास और बदलाव को एक प्रभावी दिशा दी जा सके। पंचायत कानून में इस बात पर काफी बल दिया गया है जैसे –

- जनपद पंचायत के भीतर आने वाली ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय बनाना और जरुरत पड़ने पर ग्राम पंचायत को सही रास्ता दिखाना या मार्गदर्शन करना जनपद पंचायत की जिम्मेदारी है।
- ऐसी सभी योजनाएं और कार्यक्रम जो एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में लागू हो रहे हों वहाँ पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी जनपद पंचायत की है।
- राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में विकास और बदलाव के लिए कई योजनाएं दी जाती हैं। जनपद पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी योजनाओं और स्कीमों को ग्राम पंचायत या दूसरी क्रियान्वयन ऐजेंसियों से लागू करवाएं।
- स्कीम लागू करवाते समय इन स्कीमों का प्रबंधन करना प्रगति देखना और मानिटरिंग की जिम्मेदारी भी जनपद पंचायत की ही है।

समन्वय से जुड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी है केन्द्र सरकार ,राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा जनपद को दिए गए काम एवं धन को सरकार द्वारा तय मापदंड के हिसाब से ग्राम पंचायतों को देना।

10.4.6 : जनपद पंचायत की आय और खर्च (Income and Expenditure)

जनपद पंचायत स्तर पर पंचायत निधि की व्यवस्था है। जनपद पंचायत को इस निधि के लिए दो स्रोतों से धन प्राप्त होते है।



आय एवं खर्च के बारे में जनपद पंचायत की जिम्मेदारी है :–

- कानून के तहत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके जनपद पंचायत के लिए संसाधन जुटाने के हर संभव प्रयास करना।
- पंचायत निधि में उपलब्ध संसाधन के अनुसार जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए विकास के काम मंजूर करना और इस मंजूरी को क्रियान्वित कराना।

जनपद पंचायत को उसके कार्यक्षेत्र के सामुदायिक विकासखण्ड या आदिम जाति विकास खण्ड का प्रशासन भी सौंपा गया है।

जनपद पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले कर

जनपद पंचायत को निम्न कर लगाने का अधिकार है :–

- नाट्य गृहों या नाट्य प्रदर्शनी तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शन पर कर
- कृषि भूमि पर विकास कर अगर जनपद पंचायत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी का प्रदर्शन हो तो जनपद पंचायत प्रति प्रदर्शन के हिसाब से कर लगा सकती है।

- सिनेमा
- नाटक
- सर्कस
- कार्निवाल या जलसा
- तमाशा
- मल्लयुद्ध प्रदर्शन
- आमोद के अन्य प्रदर्शन

यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जनपद पंचायत रगमंच कर उन्हीं प्रदर्शनों पर लगा सकती है जिसको आम जनता पैसे देकर देखती हो। निःशुल्क प्रदर्शन और जनसाधारण के लिए भुगतान द्वारा न किया जाने वाले प्रदर्शन पर कर नहीं लगाया जा सकता।

कृषि भूमि पर विकास कर

जनपद पंचायत अपने विकासखण्ड के संपूर्ण कृषि भूमि का निम्न खातों पर कृषि विकास कर लगा सकती हैः–

- सूखी या असिंचित भूमि के 4.046 हेक्टेयर से छोटे खाते
- मौसमी सिंचित भूमि के 3.035 हेक्टेयर से छोटे खाते
- पूर्ण सिंचित भूमि के 2.023 हेक्टेयर से छोटे खाते

  के लिए विकास कर लगा सकती है।

<u>**कर**</u>

- ऐसे किसी भी खाते पर नहीं लगेगा जिसमें भू–राजस्व (इस नियम के आने तक) पाँच रूपये से अधिक नहीं था
- उस उपकर के अतिरिक्त होगा जो अधिनियम की धारा 74 के अधीन ग्राम पंचायत या जिला पंचायत द्वारा लगाए गए हैं।

<u>**कर लगाना**</u>

- जनपद पंचायत अपने विशेष सम्मिलन में भू–राजस्व के दस गुने तक का कृषि विकास कर लगाने का संकल्प पारित करेगी।
- इस संकल्प का प्रचार–प्रसार होगा और 15 दिन के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव मंगाये जायेंगे।
- आपत्तियों और सुझावों पर अंतिम रूप से विचार कर संकल्प पारित किया जाएगा।
- कर की वसूली भू–राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी।

10.4.7 : जनपद पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने के तरीके

पंचायत राज अधिनियम में पंचायत प्रतिनिधियों (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) को पद से हटाने के तरीके हैं :–

- अविश्वास प्रस्ताव (धारा 28)
- पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन (धारा– 39)
- पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना (धारा –40)
- पंचायत पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र (धारा–37)

अविश्वास प्रस्ताव

अगर जनपद पंचायत के सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनकी पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ठीक ढ्रंग से काम नहीं कर रहे हैं या जनपद पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो उस जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने व पास करने का तरीका इस प्रकार है–

- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व मतदान के लिए अलग से विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
- इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
- इस बैठक की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे इसके लिए विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो।
- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चर्चा में भाग लेंगे और अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही अवैध मानी जाएगी।
- अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों में तीन–चौथाई सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करें। अगर पंचायत में 12 सदस्य हैं और यह सभी 12 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित हैं। अब यह अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इन 12 में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।
- अविश्वास प्रस्ताव पास होने के तुरन्त बाद से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जायेगा

अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है –

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 28 के अनुसारः–

- जिस दिन कोई आदमी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर काम करना शुरू करेगा उसके ढाई साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

- अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ छह महीने बचे हैं तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता
- अगर पंचायत में एक बार किसी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है और उस को पेश हुए एक साल का समय नहीं बीता है तो भी उस पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता यानि अगला अविश्वास प्रस्ताव साल भर बाद ही लाया जा सकता है।
- अगर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया तो वह कलेक्टर के यहाँ प्रस्ताव पास हाने के सात दिन के भीतर अपील करेगें और कलेक्टर अगले 30 दिन में उस पर अपना फैसला सुनाएगें। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा।

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया

1- किसी जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में विहित अधिकारी को देना।
    - सूचना पत्र पर जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
    - यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ अविश्वास लाना है तो अलग–अलग प्रारूपों में सूचना देनी पड़ेगी।

2- विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर सूचना प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र देगा।

3- विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बैठक का दिन, समय तय करेगा और पंचायत सचिव के माध्यम से बैठक की सूचना सभी सदस्यों को सात दिवस पूर्व देगा।

4- विहित अधिकारी द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कलेक्टर की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में करेगा।

5- विहित अधिकारी द्वारा जिले के कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बैठक से तीन दिवस पूर्व जानकारी देनी पड़ेगी।

6- अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

7- अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखेगा और जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे भी बैठक में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा।

8- अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में सभी सदस्य अपने–अपने विचार रख सकते हैं।

9- प्रस्ताव पर मतदान के लिए विहित अधिकारी उपस्थिति सदस्यों को अपने हस्ताक्षरित मतपत्र देगा और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाला उस मत पत्र पर (√) सही का चिन्ह और प्रस्ताव पक्ष के विरोध में मतदान करने वाले उस पर (×) गलत का चिन्ह लगाकर, मतपत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी के सामने रखी मतपेटी में डालेगा।

10- मतदान हो जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी मतपत्रों की गणना करेगा और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मतदान की तारीख के दिन पंचायत के कुल सदस्यों में से बैठक में उपस्थित तीन चौथाई सदस्य जिनकी संख्या मतदान की तारीख को पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई से ज्यादा है, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाऐगा।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि–

बैठक में उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और उनकी संख्या पंचायत के कुल सदस्यों के दो–तिहाई से कम है, तब अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

11- पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या खारिज होने की घोषणा करेगा।

12- पंचायत की बैठक पुस्तिका में अविश्वास प्रस्ताव की जारी कार्यवाही को दर्ज कर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र

पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपना त्याग पत्र लिखित रूप से देकर अपना पद छोड़ सकता है। (धारा 37)

- जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपने अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इसकी एक प्रतिलिपि पंचायत के सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी देना चाहिए।
- जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते है।

त्याग पत्र 30 दिन में स्वीकार होगा। इन तीस दिनों में यह जाँचा जाएगा की यह त्याग पत्र असली है या नहीं। त्याग पत्र देने के बाद अगर त्यागपत्र देने वाला पंच या अध्यक्ष को ऐसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते हैं।

पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन

जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य, पंच अगर देश के विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का दोषी है और उसके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी दशा में विहित अधिकारी उस पदाधिकारी को उसके पद से निलम्बित कर देगें।



चित्र : 10.4.1 पदधिकारी का निलम्बन

जिन अपराधों के कारण पदाधिकारी को निलम्बित किया जा सकता है उनमें प्रमुख हैं:–

- भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत आने वाली धाराओं
- खाने के सामान व दवाओं में मिलावट के आरोप
- महिलाओं तथा बच्चों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यवहार के आरोप का मुकदमा हो या
- किसी भी ऐसे कानून जिसमें दण्ड की व्यवस्था हो उसके तहत मुकदमा चलने की स्थिति में
- विहित अधिकारी (कलेक्टर) उसे निलम्बित करके इस निलम्बन की रिर्पोट 10 दिन के भीतर संभागीय कमिश्नर को भेजेगा
- कमिश्नर को इस निलम्बन की पुष्टि 90 दिन के भीतर करनी होगी, नहीं तो यह निलम्बन अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा।

पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाया जाना

अगर पंचायत प्रतिनिधि या अध्यक्ष ऐसे काम करें जिससे कि :–

- देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता पर बुरा असर हो।
- राज्य के लोगों के बीच धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव का माहौल बने और।
- महिलाओं के सम्मान पर बुरा असर पड़े।
- पंचायत अधिनियम में दी गयी जिम्मेदारियों को पूरा न करके उनकी उपेक्षा करें तो विहित प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी जाँच के बाद किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय हटा सकता है।
- इसके साथ ही अगर पंचायत पदाधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करके अपने किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुँचाता है तो भी विहित अधिकारी जाँच के बाद उसे अपने पद से हटा देगा।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि –
    - हटाये जाने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना जरूरी है।
    - इस संबंध में अंतिम आदेश कारण बताओं सूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर देना होगा।

पंचायत की बैठक में भाग न लेने पर सदस्यता समाप्त होना

अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी जनपद पंचायत की अनुमति के बिना

- पंचायत की लगातार तीन बैठकों में नहीं आता या
- पंचायत के छह महीने के काम के दौरान आधी बैठकों में नहीं आता
- पंचायत की स्थाई समितियों की तीन लगातार बैठकों में नहीं आता तो
- पंचायत की लगातार तीन बैठक नहीं बुलाता
- अध्यक्ष अगर जनपद की लगातार तीन बैठक नहीं बुलाता

ऐसे सदस्य की सदस्यता खत्म हो जायेगी। इस मामले में पंचायत या कोई अन्य व्यक्ति कलेक्टर को आवेदन देंगे और कलेक्टर इस आवेदन के आधार पर वह अपना फैसला देंगे। फैसले से पहले जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हुई है उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जायेगा। जिस सदस्य की सदस्यता कलेक्टर के आदेश के खत्म होती है वह सदस्य या पदाधिकारी आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर आयुक्त के यहाँ अपील कर सकता है।

पद खाली होने पर पद भरने की व्यवस्था

पंचायत के आम चुनाव के बाद, पाँच साल के कार्यकाल के बीच में अगर त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा वापस बुलाने या धारा 40 के तहत हटाए जाने या पंचायत की बैठकों में भाग न लेने की वजह से अगर अध्यक्ष तथा सदस्य के पद रिक्त होते हैं तो उस पद पर यथाशीघ्र चुनाव करवा कर खाली पद भरा जाएगा।

10.4.8 : जिला पंचायत की संरचना (Structure of *Jila* Panchayat)

पंचायत अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार प्रदेश के हर जिले के लिए एक जिला पंचायत गठित होगी। धारा 30(1) के अनुसार जिले को अधिकतम 35 तक व कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार होनी चाहिए। जिन जिलों की आबादी पाँच लाख से कम है उन्हें भी दस बराबर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायगा।

संरचना

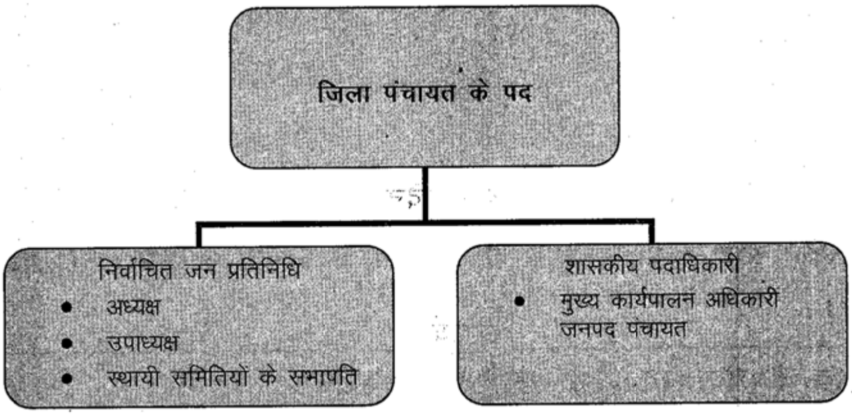
पंचायत अधिनियम की धारा 29 (1) के अनुसार निम्नलिखित लोग जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे:

- निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य
- लोक सभा के वे सभी सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में है और वह ग्रामीण इलाका इस जिला पंचायत क्षेत्र में हो।
- राज्य सभा के ऐसे सभी सदस्य जिनका नाम जिले के किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया हो।
- राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से चुने गये हैं।

- लोक सभा और विधान सभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाके में नहीं आता है वे जिला पंचायत के सदस्य नही होंगे।
- जिले की सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायत की स्थाई समितियों के सदस्य नहीं होंगे।

जिला पंचायत के पदाधिकारी

पंचायत अधिनियम की धारा 32 के अनुसार विहित प्राधिकारी सदस्यों के चुनाव के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये जिला पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलायगा। जनपद और जिला पंचायत में पदाधिकारी एक जैसे ही हैं। यह पद इस प्रकार हैं –



जिला पंचायत में आरक्षण

जिला पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण :

- जिला पंचायत के अध्यक्ष
- प्रदेश की कुल जनसंख्या में अगर 15.58 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति है और 25.79 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है तो कुल जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में से 15.58 प्रतिशत अध्यक्ष अनुसूचित जाति के एवं 25.79 प्रतिशत अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए जायेंगे।
- आरक्षण नियम अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थान 50 प्रतिशत से अधिक न होने के कारण 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जायेंगे।
- जिला पंचायत अध्यक्षों के कुल पद में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिलाओं का यह आरक्षण सभी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में अलग–अलग होगा यानि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों में से आधे स्थान इस वर्ग की महिलाओं से भरे जाएंगे।
- इसी प्रकार पिछड़ा-वर्ग के कुल सीटो में से आधे स्थान इस वर्ग की महिलाओं से भरे ,जाएंगें।
- इसी प्रकार सामान्य सीटों में से आधे स्थानों पर महिलाएँ अध्यक्ष चुनी जाएंगीं

- जिला पंचायत अध्यक्षों के शेष पद अनारक्षित होने के कारण उन पदों पर किसी भी वर्ग की महिला या पुरूष निर्वाचन हेतु अपना नामांकन भर सकता है ।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग से नहीं चुना गया है तो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से चुना जा सकेगा ।

जिला पंचायत के सदस्यों का आरक्षण :

- जिला पंचायत के अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण उस खण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में होगा।
- जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है वहां 25 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

महिलाओं का आरक्षण

- जिला पंचायत में महिलाओं के लिए आधे स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए आधे स्थानों पर आरक्षण होगा। यह आरक्षण चक्रानुक्रम (रोटेशन) में होगा।

10.4.9 : जिला पंचायत के पदाधिकारियों का पद से हटना

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य) को उनके पद से निम्नवत धाराओं के तहत हटाया जा सकता है :–

- अविश्वास प्रस्ताव (धारा 35)
- पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन (धारा 39)
- पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना (धारा–40)
- पंचायत पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र

10.4.10 : जिला पंचायत की मासिक बैठक

पंचायत का सम्मिलन पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत अध्यक्ष द्वारा बैठक की तारीख, समय तथा स्थान नियत किया जाकर मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकेगा। मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, जिसमें तारीख, समय और उसका स्थान तथा उसमें किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख किया जाकर, साधारण सम्मिलन से पूरे सात दिन पूर्व और विशेष सम्मिलन से पूरे तीन दिन पूर्व धारा 29 में वर्णित सूचना पंचायत के प्रत्येक पदधारी को भेजी जाएगी और पंचायत के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी ।

सम्मिलन की अध्यक्षता

सम्मिलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी या दोनों की अनुपस्थिति में सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त दिन के सम्मिलन के लिए सभापति का चयन किया जायेगा जो सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। सम्मिलन के समक्ष समस्त प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा तय किए जाएगें और किसी प्रस्ताव पर मत के बराबर रहने की स्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

सम्मिलन की कार्यसूची

सम्मिलन की कार्यसूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जावेगी। ऐसी तैयार कार्यसूची के साथ कार्यसूची में सम्मिलित की गई मदों पर यथासंभव संक्षिप्त टिप्पणियाँ संलग्न की जाएगी।

सम्मिलन में सदस्य के बोलने का अधिकार

सभापति, किसी पदधारी को, किसी ऐसे विषय पर, जिसके संबंध में सभापति, को यह विश्वास हो कि ऐसा पदधारी, ऐसे करार या संपत्ति या उसके संबंध में किसी अधिकार में जो चर्चा की विषयवस्तु है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी कोई हित रखता है, मतदान करने या वाद विवाद में भाग लेने से रोक सकेगा और ऐसा पदधारी, नियमानुसार प्रस्ताव पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

कोई पदधारी बोलते समय किसी ऐसे विषय के संबंध में जो न्यायालय में विचाराधीन हो, टीका टिप्पणी नहीं कर सकेगा, स्थानीय शासन, राज्य शासन या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध व्यक्तिगत आरोप या अभियोग नहीं लगा सकेगा। संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल या किसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। सदस्य मानहानिकारक या अशोभनीय शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा इसके अतिरिक्त पंचायत के कामकाज में बाधा या रुकावट डालने के उद्देश्य से अपने भाषण के अधिकार का अनुचित रूप से उपयोग नहीं करेगा। ऐसा कोई पदधारी, जिसने किसी प्रस्ताव पर सम्मिलन को एक बार संबोधित किया उस प्रस्ताव के संबंध में संशोधन का प्रस्ताव नहीं करेगा। कोई पदधारी पंचायत के सम्मिलन के सभापति द्वारा मत देने का प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात उस पर नहीं बोलेगा। पदधारी उसी क्रम में बैठेंगे जो सभापति द्वारा नियत किये जाए, पदधारी अपने स्थान से ही बोलेगा। किसी विषय पर बोलने का इच्छुक पदधारी अपने स्थान पर खड़ा होगा किन्तु सभापति द्वारा वक्ता का नाम पुकारे जाने के पूर्व नहीं बोलेगा, वक्ता सभापति को संबोधित कर अपनी बात कहेगा। जब सभापति द्वारा किसी पदधारी से व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाए तब वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ जाएगा। पंचायत का पदधारी पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

सभापति के अधिकार

सभापति किसी भी प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में निर्णय ले सकता है, यदि उसकी राय में कोई संकल्प अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंधन करता है तो वह उसे ग्रहण नहीं करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा । सम्मिलन में रखा जाने वाला प्रस्ताव स्पष्ट रूप से और ठीक ठीक अभिव्यक्त किया जाएगा और उसके व्दारा किसी निश्चित विषय को उठाया जा सकेगा। ऐसे प्रस्ताव में न तो कोई तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्तियों या मानहानि कारक वक्तव्य शामिल होंगे और न ही उनमें किन्ही व्यक्तियों के उनकी पदीय या लोक हैसियत को छोडकर, आचरण या चरित्र के संबंध में कोई निर्देश दिया जायेगा। अर्थात प्रस्ताव सकारात्मक स्वरूप का होगा। संकल्प की सूचना लिखित में होगी और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

पदधारी द्वारा संकल्प का प्रस्तुत किया जाना

पंचायत का कोई पदधारी जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है वह अपने आशय को लिखित में सम्मिलन से कम से कम पूरे पाँच दिन पूर्व देगा और सूचना के साथ ही उस संकल्प की प्रति देगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, किन्तु सभापति, उसके द्वारा कथित किए जाने वाले कारणों के आधार पर, पाँच दिन से कम की सूचना के संकल्प को भी कामकाज की सूची में प्रविष्ट किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है। पंचायत का कोई भी पदधारी जिसके नाम से कोई प्रस्ताव कामकाज की सूची में दर्ज किया गया है, नाम पुकारे जाने पर या तो प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा या प्रस्ताव वापस लेगा और वह इस स्थिति में उस आशय के केवल कथन तक ही अपने को सीमित रखेगा। नाम पुकारे जाने पर यदि कोई पदधारी अनुपस्थित है तो उसके नाम पर दर्ज किया गया प्रस्ताव को वापस लिया गया, तब तक माना जाएगा जब तक कि सभापति उस पर चर्चा की अनुमति न दे दें। किसी भी प्रस्ताव पर की जाने वाली चर्चा केवल प्रस्ताव तक ही सीमित होगी। जब अनेक विषय एवं बिन्दुओं से संबधित किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर ली जाए, तब सभापति अपने विवेकानुसार प्रस्ताव का विभाजन करेगा, और प्रत्येक या किसी एक विषय बिन्दु को जैसा भी वह उचित समझे, पृथकतः मत देने के लिए रखेगा। सभापति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसके संबंध में बोलने का वही अधिकार होगा जो किसी अन्य पदधारी को है ।

पदधारी द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना

पंचायत पदधारी सभापति का ध्यानाकर्षण, सम्मिलन से पूरे पाँच दिन पूर्व अपने आशय की सूचना देकर कर सकेगा। पदधारी सम्मिलन से पूरे पाँच दिन पूर्व सूचना देकर पंचायत के प्रशासन या उसके किसी कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में सभापति से जानकारी भी माँग सकेगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए रखे गये किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, यदि वह नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, अनुज्ञात कर सकेगा। जानकारी संबंधी कोई ध्यानाकर्षण सूचना विचार–विमर्श योग्य नहीं होगी ।

पदधारी द्वारा बैठक व्यवस्था का भंग किया जाना

पंचायत का पदधारी, व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा जब वह आपत्तिजनक या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा माँगने से इंकार करता है, या सम्मिलन के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या सभापति के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है, या सभापति के

अपनी कुर्सी से उठने पर या सभापति द्वारा स्थान ग्रहण करने के लिए आदेशित किए जाने पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है,

पंचायत का कोई भी पदधारी किसी भी अशोभनीय शब्दों के संबंध में आपत्ति कर सकेगा। अशोभनीय शब्दों पर आपत्ति करने वाले पदधारी को प्रस्ताव रखना चाहिए कि "अशोभनीय शब्द वापस लिए जाए" यदि उसका प्रस्ताव मान लिया जाए तो सभापति यह निर्देश देगा कि शब्द वापस लिए जाए एवं उसकी प्रविष्टि कार्यवाही पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी, अशोभनीय शब्दों पर आपत्ति तभी उठाई जाएगी जबकि उनका प्रयोग किया गया हो।

सम्मिलन की बैठक व्यवस्था भंग होने पर सभापति के अधिकार

सभापति ऐसे किसी पदधारी से आचरण के प्रति, जो विचार विमर्श में या तो उसके अपने तर्क या अन्य पदधारी के तर्क में विसंगत या उकता देने वाली पुनरावृत्तियाँ लगाकर करता है, पंचायत का ध्यान आकृष्ट करने के पश्चात उसे अपना भाषण बंद करने के लिए आदेश दे सकेगा, और उसके द्वारा ऐसा न करने पर ऐसे किसी भी पदधारी को सम्मिलन से तुरन्त निकल जाने का निर्देश दे सकेगा जिसका आचरण उसकी राय में अत्याधिक अशोभनीय हो, या जो पंचायत की व्यवस्था भंग करने का दोषी हो और इस प्रकार निकाले गये पदधारी को उस दिन की शेष अवधि के दौरान उपस्थित रहने का हक नहीं होगा। सभापति सम्मिलन में गंभ्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में बैठक को किसी निश्चित समय तक के लिए स्थगित कर सकेगा।

पंचायत का पदधारी पंचायत के सम्मिलन में विचारार्थ लाये गये किसी ऐसे प्रश्न पर चर्चा में अपना मत नहीं दे सकेगा और उसमें भाग नहीं ले सकेगा, यदि वह ऐसे प्रस्ताव में लोक सदस्य के रूप से भिन्न स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित रखता है।

यदि सम्मिलिन में उपस्थित किसी पदधारी को यह प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन के समक्ष चर्चा के किसी विषय में धन संबंधी कोई ऐसा हित रखता है तो ऐसा व्यक्ति चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो इस प्रकार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता।

सम्मिलन का कार्यवाही विवरण

पंचायत के सम्मिलन की कार्यवाही इस हेतु नियत कार्यवाही पंजी में लिखा जायेगा— जैसे उपस्थित पदधारी का नाम, उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम, यदि कोई बैठक में आमंत्रित किये गये हों। पंचायत और उसकी समितियों के प्रत्येक सम्मिलन की समस्त कार्यवाहियों के विवरण, पंचायत के किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले या तटस्थ रहने वाले पदधारियों के नाम, सम्मिलन के अन्त में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवाही विवरण पंजी में हस्ताक्षर किए जाएगें और सम्मिलन की समाप्ति से दस दिन के भीतर सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को उक्त कार्यवाही विवरण को उपलब्ध करायेगा। कार्यवाही विवरण कार्यालयीन समय पर किसी पदधारी द्वारा परीक्षण के लिए निःशुल्क खुला रहेगा, कार्यवाही विवरण की एक प्रति पन्द्रह दिन के भीतर ग्राम पंचायत के मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, जनपद पंचायत के मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एवं जिला पंचायत के मामले में कलेक्टर, और संचालक पंचायत राज को भेजी जाएगी ।

10.4.11 : जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ (Standing Committees of *Jila* Panchayat)

प्रदेश के सभी जिला पंचायत में काम के बंटवारे और बेहतर समन्वय के उद्देश्य से पांच समितियों का गठन होगा–(धारा–47)

स्थायी समितियाँ

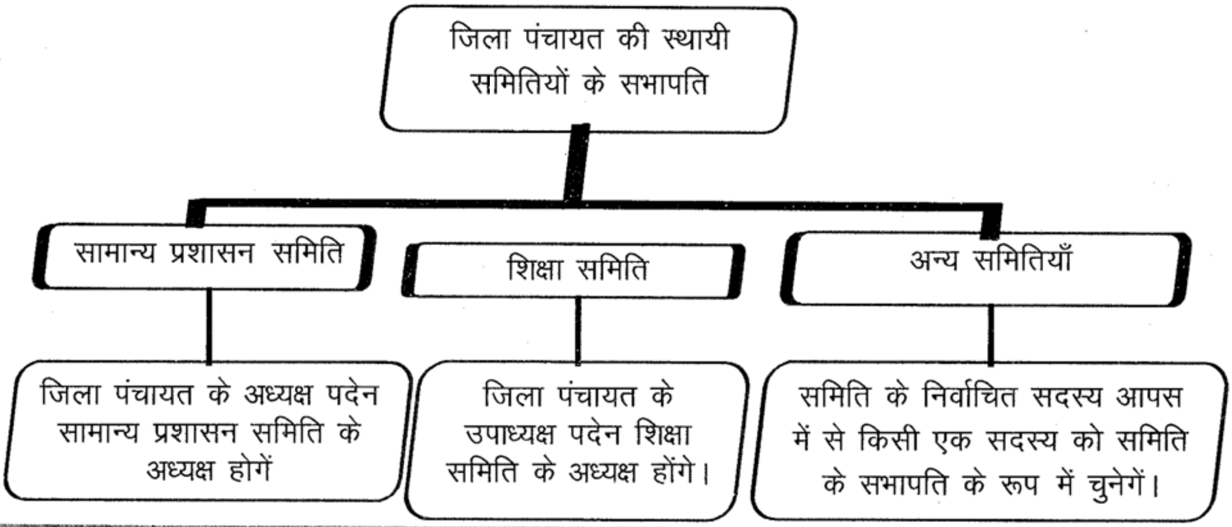
1. सामान्य प्रशासन समिति
2. कृषि समिति
3. शिक्षा समिति
4. सहकारिता एवं उद्योग
5. संचार तथा संकर्म समिति
6. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति
7. वन समिति

उपरोक्त समितियों में से प्रथम पाँच समिति अधिनियम के प्रावधान के अर्न्तगत गठित की गई हैं एवं क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित समिति राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र कमांक 2128/22/पं.2/94/1565 दिनांक 28.9.1994 के अनुसार विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से गठित की जा सकती है ।

- सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थाई समितियों के सभापति सदस्य होंगें।
- बाकी सभी समितियों में कम से कम पाँच सदस्य चुने जाएंगे। इन पाँच सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य अपने में से करेंगे।
- इन समितियों में दो ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है जो समिति को सौंपे गये विषय पर काफी अनुभव और ज्ञान रखते हों इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- संसद सदस्य जो कि जिला पंचायत के सदस्य हैं, भी जिला पंचायत की किन्हीं दो समितियों में सदस्य हो सकते हैं।
- जिला पंचायत की सभी समितियाँ अधिक से अधिक दो विधायकों को इस शर्त के साथ अपनी समिति का सदस्य बनाएगी कि वे दो से ज्यादा समितियों के सदस्य नही बनेंगे।
- शिक्षा समिति के सदस्यों में एक पद महिला के लिए आरक्षित है। एक पद अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को चुना जाएगा।
- जिला पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य एक बार में तीन से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं हो सकता

समितियों के सभापति

स्थायी समितियों के सभापति निम्नानुसार होगें :–



- जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के अलावा किसी अन्य समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे।
- जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अलावा किसी अन्य समिति के सभापति नहीं होंगे।

- जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होंगे
- जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, पदेन, शिक्षा समिति के सभापति होंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति के सभापति किसी दूसरी समिति के सदस्य नही होंगे।
- शिक्षा समिति के सभापति भी किसी दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर हर समिति अपने चुने गए सदस्यों में से सभापति का चुनाव तय किए गए नियमों के अनुसार करेंगी।

स्थाई समितियों की जिम्मेदारी

- समिति की मासिक बैठक में भाग लेना
- समिति को सौंपे गए विषयों के बारे में
  - आंकड़ों के आधार पर परिस्थितियों का विश्लेषण
  - परिस्थिति विश्लेषण के आधार पर समस्याओं और प्राथमिकताओं को तय करना।
  - समिति को सौंपे गए विषय की वार्षिक योजना एवं संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान देना।
  - समिति के अधीन कार्य करने वाले विभागों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन

– योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन

जिला पंचायत की प्रत्येक समितियाँ जिला पंचायत को दिये गये काम–काज एवं जिम्मेदारियों को अपने बीच विभाजित कर संपन्न करने का कार्य करेंगी।

हर समिति को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए कुछ विषय दिये गये हैं यह विषय समिति वार इस प्रकार है :

सामान्य प्रशासन समिति–मुख्य कार्यपालन अधिकारीं

- जनपद पंचायत की स्थापना और सेवाएँ
- प्रशासन
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना
- बजट और लेखा
- श्रम तथा जनशक्ति नियोजन
- प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, अकाल, टिड्डी से होने वाले नुकसान जैसे मौके पर काम
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन
- वित्तीय मामले

कृषि समिति–उप संचालक कृषि, (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कृषि)

- कृषि
- भू–राजस्व
- पशुपालन–उप संचालक, पशुपालन स्वास्थ सेवाएँ (अतिरिक्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, पशुपालन स्वास्थ सेवाएँ)
- पशुधन
- विद्युत शक्ति
- मृदा संरक्षण और बंडिग
- मछली पालन
- कम्पोस्ट खाद बनाना
- बीज वितरण
- खेती विकास

शिक्षा समिति–उप संचालक स्कूल शिक्षा (**अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन** अधिकारी, शिक्षा)

- शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा
- कमजोर और निराश्रित के लिए समाज **कल्याण**
- छुआ–छूत दूर करना
- शराब बंदी और शराब छुड़वाना
- आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित **जाति कल्याण–अनुसू**चित क्षेत्र सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण (मुख्य **कार्यपालन अधिकारी**, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण)
- खेलकूद
- युवा कल्याण

सहकारिता एवं उद्योग

- सहकारिता
- मितव्ययिता यानि खर्च में कमी
- अल्प बचत
- कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग
- खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति
- बाजार
- सांख्यिकी

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति– **मुख्य चिकित्सा** तथा स्वास्थ्य अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ)

- लोक स्वास्थ्य
- सफाई व स्वच्छता
- महिला एवं बाल कल्याण
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी–कार्यपालन यंत्री (**अतिरिक्त मुख्य कार्य**पालन अधिकारी, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी)
- ग्रामीण जल प्रदाय तथा जल निकासी

वन समिति

- सामाजिक वानिकी
- एकीकृत पड़त भूमि विकास
- राष्ट्रीय उद्यान
- लघु वन उपज का विकास
- वानिकी के अन्य कार्यक्रम

संचार तथा संकर्म समिति

- संचार
- लघु सिंचाई
- ग्रामीण मकान निर्माण
- अन्य सार्वजनिक काम

जिला पंचायत की स्थायी समिति की शक्तियाँ–

जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सौंपे गए विषयों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ होगी–

(क) कागजपत्रों, दस्तावेजों तथा अन्य जानकारी को उसी रीति में तथा उसी सीमा तक मंगाना जिस तक कि यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को मंगाने की शक्ति है।

(ख) निधियों की उपलब्धता के अध्यधी रहते हुए अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए विषयों पर यथास्थिति, जनपद पंचायतों या जिला पंचायतों, के वार्षिक बजट में उपबंधित सीमा तक व्यय उपगत करना।

(ग) निधियों को एक शीर्ष के अधीन एक उपमद से उसी शीर्ष की अन्य उपमद में पुनर्विनियोजित करना तथा यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अनुमोदन से रकम को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोजन करना ।

(घ) विभिन्न शीर्षों के अधीन अभ्यर्पित किए जाने के लिये संभाव्य रकम का प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंत तक प्राक्कलित करना और ऐसे विवरण यथास्थिति जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।

स्थायी समिति के कृत्य

अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए संबद्ध स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी,

(क) जिला पंचायत को सौपे गये कार्यक्षेत्र में आने वाले कृत्य।

(ख) इसके कार्यक्षेत्र में आने वाली स्कीमों या कार्यक्रमों के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये क्रमशः जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत किया जाना।

(ग) इसके द्वारा उपगत किए गए व्ययों का समुचित लेखा बनाए रखना।

- विकास और बदलाव के लिए योजना बनाना और उस योजना को लागू करना।

जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि जनपद पंचायत में उपलब्ध धन को ध्यान में रखकर

- एकीकृत ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- कृषि
- सामाजिक वानिकी
- पशुपालन, मछली पालन
- स्वास्थ्य, स्वच्छता
- महिला, युवक तथा बाल कल्याण
- निःशक्तों और निराक्षितों का कल्याण
- पिछड़े वर्गों का कल्याण
- परिवार नियोजन
- खेलकूद
- जैसे विषयों पर काम करें

जिला पंचायत का पहला काम है कि वह अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना तैयार करें। इस सबंध में:–

योजना बनाना

- जिला पंचायत को अगर राज्य सरकार ने कोई स्कीम या योजना दी है तो उसकी सालाना योजना को तय की गई समय सीमा में तैयार करके राज्य सरकार को भेज देना ताकि यह योजना जिले की सालाना योजना में शामिल हो जाए।
- जिला पंचायत क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की सालाना योजना तैयार करवाना ।
- जनपद पंचायतों से उनके क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार करना और उन्हें जोड़ना
- इसके साथ जिले की भी वार्षिक कार्ययोजना को जोड़कर जिले की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना ।

क्रियान्वयन और समन्वय

जिला पंचायत, जनपद पंचायत के समूह के ऊपर है अतः सिद्धांत रूप में जिला पंचायत की पहली जिम्मेदारी है पंचायतों के बीच में समन्वयन स्थापित करना ताकि विकास और बदलाव को एक प्रभावी दिशा दी जा सके। पंचायत कानून में इस बात पर काफी बल दिया गया है जैसे–

- जिला पंचायत के भीतर आनेवाली जनपद पंचायतों के बीच समन्वय बनाना और जरुरत पड़ने पर जनपद पंचायतों को सही मार्गदर्शन और सहयोग देना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।

जिला पंचायत की स्थायी समितियों की मासिक बैठक

स्थायी समिति के सभापति तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जो जिला पंचायत के सदस्यों की है। परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, स्थायी समिति का सभापति या सदस्य नहीं रहेगा।

(1) स्थायी समिति का सभापति जितनी भी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु प्रत्येक मास में कम से कम एक बार स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा ।

(2) सभापति कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा।

(3) यदि उक्त अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर सम्मिलन नहीं किया जाता है तो, यथास्थिति जनपद पंचायत, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा सम्मिलन बुलाएगा।

सम्मिलन की सूचना

प्रत्येक सम्मिलन की ऐसी सूचना, जिसमें उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाला कामकाज विनिर्दिष्ट किये गये हों, सम्मिलन से पूरे पांच दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी तथा यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी।

गणपूर्ति

स्थायी समिति के सम्मिलन के लिये आवश्यक गणपूर्ति पीठासीन प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी।

यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति होने के लिये पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या तारीख तक के लिये स्थगित कर देगा जैसा वह उचित समझे तथा उसकी घोषणा तत्काल आख्यापित करेगा और उस कामकाज को, जो यदि गणपूर्ति होती तो मूल सम्मिलन के समक्ष लाया जाता, स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जाएगा और ऐसे सम्मिलन में या किसी पश्चात्वर्ती स्थगित सम्मिलन में चाहे वहाँ गणपूर्ति हो या ना हो उसका निपटारा किया जाएगा।

सम्मिलन का सभापति

सभापति स्थायी समिति के सभी सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसकी अनुपस्थिति में उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

सम्मिलन में किया जाने वाला कामकाज

सम्मिलन में सूचना विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न कोई भी अन्य कामकाज पीठासीन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

जहाँ कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो तो उसे विनिश्चिय के लिये जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा।

स्थायी समिति के सम्मिलन में जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

स्थायी समितियों का सचिव

सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, स्थायी समिति का सचिव होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होगा।

स्थायी समिति का सचिव, जब तक कि उसे युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से ना रोका जाए तब तक स्थायी समिति के सम्मिलन में उपस्थित रहेगा तथा सम्मिलन में चर्चा के अधीन किसी विषय के संबंध में जानकारी या स्पष्टीकरण दे सकेगा।

जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी किसी स्थायी समिति के सम्मिलन में उपस्थित हो सकेगा तथा ऐसे सम्मिलन में चर्चा के अधीन किसी विषय के बारे में स्पष्टीकरण दे सकेगा या कथन कर सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसे सम्मिलन में उपस्थित हो सकेगा तथा उक्त कृत्यों का पालन कर सकेगा।

कामकाज की मदों का विनिश्चय

स्थायी समिति के किसी सम्मिलन के समक्ष लाये गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय समिति के सदस्यों के मतैक्य के आधार पर किया जाएगा।

परंतु यदि किसी विवाद्यक पर तीव्र मतभेद हो तो पीठासीन प्राधिकारी उस पर मत लेगा।

स्थायी समिति के सभी निर्णय बैठक हेतु रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किये जाएंगें। परंतु यदि मत लिए जाते हैं तो निर्णय को विवाद्यक बिन्दु के पक्ष या विपक्ष में मत दे रहे सदस्यों के नामों के साथ, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा।

स्थायी समिति की कार्यवाहियाँ

स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त को, देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखकर तैयार किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा और सम्मिलन के पीठासीन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

जिला पंचायत की स्थायी समितियों के सम्मिलन में लिए गए विनिश्चिय की संक्षिप्तियाँ और उसके कार्यवृत्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, प्रतियाँ जिला पंचायत के आगामी सम्मिलनों में रखे जाएंगें और उनकी एक प्रति संभाग आयुक्त को भी जानकारी के लिये भेजी जाएगी।

चर्चाधीन कामकाज में हित रखने वाले सदस्य

स्थायी समिति का कोई भी सदस्य सम्मिलन में चर्चा हेतु आने वाले ऐसे किसी मद पर, यदि मत ऐसा है जिससे उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित हो, मत नहीं देगा, या चर्चा में भाग नहीं लेगा।

स्थायी समिति का पीठासीन प्राधिकारी, किसी सदस्य को, किसी ऐसे मद पर, जिसमें उसे ऐसे सदस्य का ऐसा हित रखने का विश्वास है, मत देने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकेगा या वह ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं ऐसे मद पर चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहे।

ऐसा सदस्य पीठासीन प्राधिकारी के विनिश्चय को चुनौती दे सकेगा जो तदुपरि सम्मिलन में भाग ले रहे शेष सदस्यों के समक्ष प्रश्न रखेगा और ऐसे शेष सदस्यों का उस पर बहुमत द्वारा लिया गया विनिश्चिय अंतिम होगा।

यदि सम्मिलन में किसी सदस्य को ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति चर्चाधीन किसी मद में कोई धन संबंधी हित रखता है और सम्मिलन में भाग ले रहे अन्य सदस्यों के बहुमत द्वारा उस प्रभाव का लाया गया प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति मद पर चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जावेगी, जो ऐसी दशा में अध्यक्षता करता जबकि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अनुपस्थित होता।

अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार

किसी ऐसे विषय पर जिसका स्थायी समिति द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया है। छह मास की कालावधि के भीतर उसके द्वारा तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिये यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों में से कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की अभिलिखित सहमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या जनपद पंचायत की दशा में जब तक कि कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर उसका पुनर्विचार करने के लिये निदेश न दे दिया हो या जिला पंचायत की दशा में जब तक कि आयुक्त ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर उसका पुनर्विचार करने के लिये निर्देश न दे दिया हो।

10.4.12 : जिला पंचायत के कृत्य (Functions of *Jila* Panchayat)

पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाए, अधीन रहते हुए जिला पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–

(एक) जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और पंचायतों को ऐसी योजना के समन्वयन को सुनिश्चित करना।

(दो) किसी विधि द्वारा उसे सौपी गई स्कीमों के और उन स्कीमों के जो केन्द्र या प्रान्तीय स्कीमों से संबंधितहै, संबंध में वार्षिक योजना तैयार करना।

(तीन) पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के कियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन मानिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना

(चार) जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करना,

(पाँच) किसी विधि द्वारा उसे सौपी गई या जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौपी गई है, ऐसी स्कीमों संकर्मों, परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।

(छह) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये गए या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों, संकमों, स्कीमों तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना।

(सात) अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियत मानदण्डों के अनुसार जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करना,

(आठ) उन अनुदानों के प्रस्तावों को, जो जनपद पंचायत से किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए प्राप्त हुए हैं, समन्वित करना और उन्हें राज्य सरकार को अग्रेषित करना,

(नौ) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों तथा अन्य संकर्मो का, जो दो या अधिक जनपद पंचायतों के साझे की हो, निष्पादन सुनिश्चित करना,

(दस) ग्राम पंचायत के माध्यम से या निष्पादन एजेन्सियों के माध्यम से संकर्मो, स्कीमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई है, उनकी निधि के स्रेतों को विचार में लाये बिना निष्पादित करना ।

(ग्यारह) विकास संबंधी कियाकलापों, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निशक्तों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।

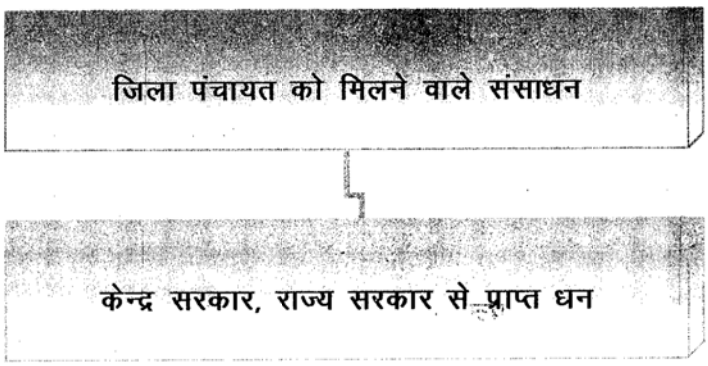
(बारह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाए या उसे सौपे जाएँ।

(2) (क) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी अन्य अधिनियमिति में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिले का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले की जिला पंचायत में विलीन हुआ समझा जायेगा और उक्त अभिकरण की समस्त आस्तियाँ तथा दायित्व और उसके कृत्य संबंधित जिला पंचायत को अन्तरित हो जाएगें ओर उसमें निहित रहेगें और उनका निर्वहन तथा अनुपालन संबंधित जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

(ख) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समस्त स्थायी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ वही होगी जो कि विद्यमान वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाएँ हैं।

10.4.13 : जिला पंचायत : आय और व्यय (Income and Expenditure)

जिला पंचायत स्तर पर पंचायत निधि की व्यवस्था है। जिला पंचायत को इस निधि के लिए निम्न स्रोत से धन प्राप्त होते हैं।



आय एवं खर्च के बारे में जिला पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह –

- कानून के तहत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके जिला पंचायत के लिए संसाधन जुटाने के हर संभव प्रयास करना।
- पंचायत निधि में उपलब्ध संसाधन के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र के लिए विकास के काम मंजूर करना और इस मंजूर को क्रियान्वित कराना।

जिला पंचायत को उसके कार्यक्षेत्र के सामुदायिक विकास खण्ड या आदिम जाति विकास खण्ड का प्रशासन भी सौंपा गया है।

जिला पंचायत द्वारा लगाये जाने वाले कर

जिला पंचायत को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार के कर लगाने का प्रावधान नहीं है ।

10.4.14 : पंचायत पदधारियों द्वारा त्याग पत्र (Resignation of Panchayat Officials)

सदस्य द्वारा त्याग–पत्र

कोई भी सदस्य अपना पर त्यागने की इच्छा रखता है इसके लिये निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर कर सरपंच या अध्यक्ष को स्वतः या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपेगा। त्याग पत्र की एक प्रति पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को भी देगा। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी सूचना प्राप्त होने की तिथि एवं समय अंकित करेगा ।

त्याग–पत्र की स्वीकृति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी सूचना को संबंधित विहित प्राधिकारी को तत्काल अग्रेषित करेगा। सदस्य द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना पर पंचायत द्वारा उसके आगामी सम्मिलन में विचार किया जाएगा। सम्मिलन की सूचना उस सदस्य को भी दी जावेगी। जिसने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। पंचायत अपने सम्मिलन में संबंधित सदस्य से यह सुनिश्चित कर सकेगी कि क्या वह अपना त्यागपत्र वापस लेना चाहता है और यदि सदस्य अपना त्याग पत्र वापस नही लेता है तो उसका त्यागपत्र पंचायत व्दारा स्वीकृत कर लिया जायेगा। सदस्य जिसका त्यागपत्र स्वीकृत किया जा चुका है उक्त सम्मिलन के समाप्त होने के पश्चात् सदस्य नहीं रहेगा। किन्तु कोई सदस्य ऐसे सम्मिलन में जिसमें उसका त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने पर चर्चा होनी है किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाता है तो पंचायत की अगली बैठक में उसके त्यागपत्र पर विचार किया जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत व्दारा त्यागपत्र की स्वीकृति के बारे में अपनी रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को देगा।

जिला पंचायत के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष व्दारा त्यागपत्र

जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विहित प्राधिकारी को अपना अपना त्याग पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगें। विहित प्राधिकारी अपने समाधान के लिये जाँच कर सकेगा कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र असली है तथा तीस दिन के भीतर उसे स्वीकार करेगा। विहित प्राधिकारी सूचना प्राप्ती से तीस दिन के अन्दर त्याग पत्र स्वीकृत नहीं करता है तो त्यागपत्र, सूचना की तारीख से तीस दिन के समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही प्रभावशील हो जावेगा। विहित प्राधिकारी त्याग पत्र की स्वीकृति की सूचना संबंधित पंचायत को एवं विहित प्राधिकारी को देगा। पदधारी त्याग पत्र प्रभावशील होने के पूर्व लिखित में सूचना देकर अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा।

हमने जाना

- मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली में को स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, का निर्माण किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में एक जनपद पंचायत तथ प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। ये दोनो ग्राम पंचायत के साथ समन्वय एवं उसके ऊपर नियन्त्रण का कार्य करती हैं।

- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत का गठन एक ही प्रकार से होता है, जिसमें– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एव निर्वाचित सदस्य होते हैं।

- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के पदाधिकारी उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिये निम्नांकित स्थायी समितियों का गठन करती हैं–
  1. सामान्य प्रशासन समिति
  2. कृषि समिति
  3. शिक्षा समिति
  4. सहकारिता एवं उद्योग
  5. संचार तथा संकर्म समिति
  6. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति
  7. वन समिति
- सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष पदेन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे।
- शिक्षा समिति के अध्यक्ष पदेन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष होंगे।
- अन्य स्थायी समितियाँ अपने चुने गये सदस्यों में से सभापति का चुनाव करेंगी।
- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं। अन्य स्थायी समितियों के सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामित किये जाते हैं।
- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को दो प्रकार के कार्य– व्यवस्था और वर्तमान गतिविधियों से संबंधित कार्य तथा विकास और बदलाव के लिये योजना बनाने एवं उसे लागू करने का कार्य– करना पड़ता है।
- जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को मिलने वाली आय के दो प्रमुख स्रोत हैं– केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन तथा अपने स्वयं के साधन से प्राप्त धन।
- जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि अपने पद का दुरूपयोग करते हैं तो उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- जिला पंचायत या जनपद पंचायत प्रतिनिधि यदि पद के अनुरूप कार्य नहीं करते अथवा शासकीय धन का दुरूपयोग करते हैं तो उन्हें वापस बुलाये जाने का प्रावधान है।
- एक से अधिक पदों पर निर्वाचित होने पर किसी एक पद को छोंड़कर शेष पद को रिक्त करने की सूचना देना होगा।

- जिला पंचायत या जनपद पंचायत प्रतिनिधि किसी धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुरव्यय या दुरूपयोग के लिये, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या उसके द्वारा उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
- इस प्रकार हुई हानि दुरव्यय या दुरूपयोग के प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से भू–राजस्व के बकाया के तौर पर निर्धारित वसूली की जायेगी।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **कंडिकाओं**– मध्य प्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धाराओं।
- **ध्यानाकर्षण** – बैठक के एजेण्डा से पृथक ऐसे बिन्दु जिन पर कोई सदस्य जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत में विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है। इसके माध्यम से ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किया जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
- **बंडिंग** – मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए बनायी गयी संरचना जिससे पानी के साथ–साथ मिट्टी का भी संरक्षण होता है।
- **संकर्म समिति** – निर्माण से संबंधित कार्य करने वाली समिति।
- **विहित अधिकारी**– मध्य प्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार किसी कार्य को करने हेतु सक्षम अधिकारी ।
- **पश्चातवर्ती स्वीकृति** – सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कर लेने के बाद उस पर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना।

अभ्यास के प्रश्न

1. जनपद पंचायत के गठन की प्रक्रिया बताइये।
2. जनपद पंचायत के पदाधिकारियों का वर्णन कीजिए।
3. जनपद पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन प्रक्रिया को समझाइये।
4. जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के नाम तथा उनके कार्य स्पष्ट कीजिए।
5. स्थायी समितियों के सभापति एवं सचिव कौन होते हैं?
6. स्थायी समितियों की शक्तियाँ बताइये।
7. जनपद पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं?
8. जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों को किस प्रकार हटाया जा सकता है?
9. क्या जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों को वापस बुलाया जा सकता है?
10. जिला पंचायत की संरचना स्पष्ट कीजिए।

11. जिला पंचायत में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं?

12. जिला पंचायत की बैठक किस प्रकार की जाती है?

13. जिला पंचायत की स्थायी समितियों की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए।

14. जिला पंचायत के अधिकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

15. जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाता है?

16. क्या जिला पंचायत के पदाधिकारी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं?

आओ करके देखें

(क) . निम्न जानकारी इकट्ठा करें–

i. आपके कार्यक्षेत्र कौन से जनपद में स्थित है? उसको जिला के मानचित्र में चिन्हित कीजिये।

ii. जन संख्या, मुख्य कृषि, व्यवसाय आदि सूचनायें "block profile" के नाम से जिला के वेबसाइट में उपलब्ध होते हैं। उनमें से करीब पंद्रह मुद्दों से संबंधित सूचनाओं को चिन्हित कर एक रिपोर्ट बनायें।

iii. आपके जिला के इसी प्रकार की मुख्य सूचनाओं को इकट्ठा करें।

iv. (a) आपके विकासखण्ड (block) के अन्तर्गत जिला पंचायत कितने हैं और नगर पालिकायें कितनी हैं? शहरीय आबादी एवं ग्रामीण आबादी के अनुपात को समझायें।

(b) उक्त प्रश्न को जिला के संदर्भ में करें : यानी आपके जिला में कितने विकासखण्ड हैं और जिले में कुल कितने नगर पालिकायें हैं? शहरीय एवं ग्रामीण आबादी के अनुपात किस प्रकार हैं?

v. आपके जनपद में कौन–कौन सी सुविधायें हैं – जैसे शिक्षा सुविधायें (कालेज, विभिन्न प्रकार की शालायें, ...), स्वास्थ्य सुविधायें (आंगनवाडी, ANM, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अस्पताल–सरकारी एवं निजी–सिनेमाहाल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस आदि।

vi. उक्त प्रश्न को जिला स्तर पर करने की कोशिश करें। जिला के मुख्य अधिकारियों का नाम भी जानें : जैसे कलेक्टर, एवं डी.एस.पी. , मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला के पालक मंत्री आदि।

(ख). (a) आपके विकासखण्ड के मानचित्र में निम्न सूचनाओं को चिन्हित कीजिए–

– कुल लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल।

– मुख्य नगरें जिसके ऊपर विकासखण्ड के लोगों को सुविधाओं (मार्केट, कार्यालय, शिक्षा–स्वास्थ्य संस्थान, आदि) के लिये निर्भर होना पड़ता है।

– मुख्य मंदिर, पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थान इत्यादि।

(b) इसी प्रकार जिला के मानचित्र पर भी मुख्य स्थानों को अंकित करें।

(c) पूरे जिले में कौन–कौन से बड़े कारखाने होते हैं? उनको मानचित्र में अंकित करें।

(d) जिले में पाये जाने वाले मुख्य रास्ते कौन–कौन सी हैं? जिले में बहने वाली नदियाँ कौन–कौन सी हैं ऊर्जा उत्पन्न के लिये कोई स्टेशन हैं क्या? कौन–कौन सी पहाडियाँ हैं? जिला के औसत बरसात क्या है? (कब) जिला में जो विकासखण्ड हैं उनमें ज्यादा विकासित विकासखण्ड कौन–सी हैं और पिछडे विकासखण्ड कौन से हैं?

(ग) अपने जनपद को आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समानता की दृष्टि से आगे ले जाने के लिये क्या उपाय हो सकते हैं?

टीपः इसी प्रकार जिला के बारे में भी इन प्रश्नों का समाधान अगले साल विचार किये जायेंगे– ग्रामीण प्रौद्योगिकी मॉडयूल पढते समय।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

- अपने जिला संबंधित वेबसाइट का गहरा अध्ययन करें।
- विभिन्न पंचायतीराज अधिनियम एवं नियम, जिनका उल्लेख वर्तमान इकाई में हुआ है, वेबसाइट से डाउनलोड करके पढने लायक है। इसी प्रकार केरल जैसे अन्य राज्यों का भी अधिनियम आदि पढ़ने से तुलनात्मक अध्ययन सम्पन्न हो जायेगा और मध्य प्रदेश के लिये नवाचार युक्त विकास विधाओं को आप खोज सकते हैं।
- हर जिला के लिये विकास नियोजन कतिपय संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किये जा रहे हैं– जैसे नाबार्ड (NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development), द्वारा प्रकाशित नियोजन एवं प्रत्येक जिले के अगुवाई बैंक (Lead Bank) द्वारा प्रकाशित 'opportunity profile' आदि नियोजन के कार्य में उपयोगी हो सकते हैं।

■■■

10.5.0 : स्थानीय स्वशासन की चुनौतियाँ एवं नवाचार (Challenges & Innovations of Local Self Governance)

उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- पंचायती राज की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- भारत में विकेन्द्रित नियोजन के लिए क्या आधिकारिक प्रयास किए गए?
- पंचायत के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केरल में क्या नवाचार किया गया?
- मध्य प्रदेश में पंचायतीराज को सार्थक बनाने के लिए क्या किया गया?

10.5.1 : भारत में पंचायतीराज : एक समीक्षा (Panchaytiraj in India : A Review)

पूर्व की इकाइयों में आपने विस्तार से विकेन्द्रीकरण की अवधारणा और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न सोपनों की चरणबद्ध जानकारी प्राप्त की। इस विवरण और विश्लेषण से आप सहज ही इन निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं–

- भारत में विदेशी शासन के दौरान पंचायत व्यवस्था मृतप्राय हो गयी थी।
- भले ही पंचायतों के फैसले हमारी प्राचीन ग्रामीण प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था की विशेषता हो किन्तु आजादी के समय बने संविधान में इसे केवल राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में ही स्थान मिल सका।
- संविधान के ऐतिहासिक 73वें संशोधन के बाद ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा हांसिल हुआ।

अर्थात् लोगों के हाथों में वास्तविक सत्ता की यह पहल अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों के गंभीर प्रयासों के बाद हुई। वास्तविक प्रजातंत्र का यह स्वरूप प्रयास और संघर्ष के बाद ही अस्तित्व में आ सका। नवीन पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए दो दशकों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इसकी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने से पूर्व इस तथ्य को जानना रोचक होगा कि वास्तव में इस संविधान संशोधन से अपेक्षायें क्या थीं?

पंचायती राज विधेयक को सदन में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि "जब हम पंचायत को वही दर्जा देंगें, जो संसद और विधानसभाओं को प्राप्त है तो हम लोकतांत्रिक भागीदारी में सात लाख लोगों की भागीदारी के दरवाजे खोल देंगे।............ हमें जनता में भरोसा है, जनता को ही अपनी और इस देश की भी किस्मत तय करनी है। आइये भारत के लोगों को अधिकतम लोकतंत्र दें और अधिकतम सत्ता सुपुर्द कर दें।

ग्राम स्वराज व्यवस्था के प्रबल पैरोकार राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचार थे "सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। स्वतन्त्रता नीचे से प्रारम्भ होनी चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक गाँव, एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा जिसके हाथ में सम्पूर्ण सत्ता होगी। यह पंचायत अपने कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और व्यवस्थापिका सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी।

अगर हिन्दुस्तान के हर गाँव में कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोई पहला होगा और न कोई आखिरी।''

इन अपेक्षाओं के स्वर बहुत ऊँचे हैं। आज की स्थिति में समीक्षा करें तो पाते हैं कि देश की 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं पर क्या वास्तविक सत्ता का हस्तान्तरण गाँव के आम आदमी को हुआ है।

दूसरी और अंतिम आदमी को हकदारी देने के कानून के बाद और क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है। इस अवसर को सफल बनाना ही स्थानीय समस्याओं के समाधान का लक्ष्य है। वरना यह कहना पड़ेगा–

वो तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे।

गर मर के भी चैन न मिला तो किधर जायेंगे।

पंचायतों की जब शुरुआत हुई तो यह उम्मीद जगी थी कि इससे जनता को बेहतर विकल्प, बेहतर समाज सेवा एवं बेहतर विकास के अवसर मिलेंगे। इस विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से उच्च आर्थिक क्षमता की प्राप्ति, बेहतर जवाबदेही का निर्धारण, बड़े संसाधनों को जुटाने एवं कम लागत में अधिकतम सेवा की व्यवस्था इत्यादि अनेक स्थानीय स्तर की प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

पंचायती राज की भूमिका के संदर्भ में किये गए अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि इस व्यवस्था ने कुछ स्थानों पर प्रशंसनीय कार्य किया है किन्तु अब भी–

1. धन राशि के विस्तार से लोगों को लाभ नहीं मिला।
2. अधिकारों के प्रत्यायोजन के बाद भी असली ताकत लोगों के हाँथ में नहीं है।
3. कमजोर वर्गों का वांछित सशक्तीकरण नहीं हुआ।
4. स्थानीय प्राथमिकताओं का निर्धारण और उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ।
5. धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर नकेल कसना अभी भी चुनौती है।

इस अध्याय में आइये हम मिलकर समझें कि पंचायती राज की सफलता में –

1. प्रमुख बाधायें कौन–कौन सी हैं।
2. इन्हें नवाचारों के प्रचलन और प्रयोग से कैसे दूर किया जा सकता है।
3. हमारे मध्यप्रदेश के संदर्भ में इस दिशा में क्या उल्लेखनीय पहल हुई है?

10.5.2 : पंचायती राज की प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges before Panchayatiraj)

1. ग्राम सभा की बैठकें :

ग्राम सभा, पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई है। इसकी सफलता पर ही पंचायती राज व्यवस्था की सफलता निर्भर है। प्रायः देखा गया है कि ग्राम सभा की नियमित बैठकें कुछ ही जगह होती हैं। कुछ स्थानों पर तो ग्राम सभा का अस्तित्व केवल कागजों पर है। लोग ग्राम सभा में आते ही नहीं हैं! आते भी हैं तो कम संख्या में आते हैं जिससे कोरम भी पूरा नहीं होता है। ग्राम सभा के कामकाज में लोगों की रूचि नहीं है। केवल सरपंच, सचिव को चुनकर लोग अपने दायित्व को समाप्त मान लेते हैं।

इधर लोगों का तर्क है कि ग्राम सभा की बैठकों में जाकर क्या करेंगे। वहाँ उनके मतलब की कोई बात ही नहीं होती। सरपंच–सचिव मिलीभगत से फैसले करते हैं। रसूखवालों की चलती है। हमारे लिये तो ग्राम सभा में जाना–न–जाना बराबर ही है। इस दुष्चक्र को तोड़ना आवश्यक है और ग्राम सभा को **'आकर्षण का बिन्दु'** बनाना न केवल आवश्यक है अपितु सबसे बड़ी चुनौती भी है।

2. चुनाव से उपजी कटुता :

ग्राम पंचायत के चुनाव में गाँव–गाँव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के समर्थन और विरोध में गुटबन्दी हो जाती है। अपने प्रत्याशी को जिताना लोग जीवन–मरण का प्रश्न बना लेते हैं। पैसे और शराब का प्रलोभन आम है। छोटे–छोटे विवाद गंभीर रूप ले लेते हैं। हिंसा की वारदातें होती हैं। चुनाव में जीते प्रत्याशी को एक वर्ग पूरे कार्यकाल में अपनी पराजय के रूप में देखता है और उसके द्वारा किये जाने वाले हर कार्य में असहयोग एवं विरोध प्रदर्शित करता है।

3. विकास के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन :

ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो राशि उपलब्ध होती है वह दो रूपों में होती है–

1. विविध योजनाओं के अंगर्तगत राशि –
2. करारोपण से प्राप्त आय

इस प्रकार दोनों मदों से प्राप्त राशि से योजनाओं के निर्माण में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्य पूर्ण करने होते हैं।

ग्राम की विकास आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं होती क्योंकि करारोपण से कोई बड़ी आय की अपेक्षा नहीं की जा सकती और योजनाओं के अंतर्गत एकमुश्त राशि न मिलने से विकास की बड़ी योजनाओं को रूप देना कठिन होता है। यही कारण है कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के लिए वांछित राशि की उपलब्धता महत्वपूर्ण चुनौती है

4. नौकरशाही का नियन्त्रण :

पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश स्तर पर बने कानूनों के द्वारा पंचायत को अनेक अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक अधिकारों के इस बँटवारे को अनेक स्थानों पर नौकरशाही ने सहजता से स्वीकार नहीं किया। अपने अधिकारों में कटौती कर निचले स्तर पर सौंपने की प्रक्रिया सहज नहीं रही। यही करण है कि ऊँचे पदों पर बैठे अधिकारी नीचे स्तर पर अधिकारों के क्रियान्वयन में बाधा पहुँचाते हैं। अवरोध डालते हैं। पूर्वाग्रह मुक्त नौकरशाही में ही पंचायतों का संवैधानिक अस्तित्व फल–फूल सकता है। किन्तु यह बड़ी चुनौती है।

5. बजट की अपर्याप्तता :

ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो राशि प्राप्त होती है, प्रायः वह उन गतिविधियों के लिए होती है जिनकी प्राथमिकता नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि गाँव के लिए जो योजना या गतिविधि आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक राशि की उपलब्धता नहीं रहती है। उदाहरण के लिये किसी गाँव में तालाब सूख गया है किन्तु मछली पालन के लिए धनराशि आावंटित है। स्कूल की इमारत गिर रही है किन्तु मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि नहीं है। ऐसी दशा में ऐसी मुक्तराशि (untied budget) उपयोगी हो सकती है, जिस पर किसी पूर्व निर्धारित योजना या गतिविधि में खर्च करने की बाध्यता न हो तथा जिसे पंचायत अपने विवेक से स्वतंत्रतापूर्वक खर्च कर सके। किन्तु ऐसी राशि की उपलब्धता के प्रावधान का होना अब भी चुनौती है।

6. जानकारी और प्रशिक्षण का अभाव :

पंचायती राज व्यवस्था के लागू करने के प्रांरभिक वर्षों में यह दलील दी जाती रही है कि बिना पर्याप्त सूचना प्रसारण और आवश्यक प्रशिक्षण के वांछित परिणाम प्राप्त करना कठिन है। यह सच्चाई भी थी। परन्तु दो दशकों के बाद भी इस स्थिति का बना रहना कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

बिना पर्याप्त जानकारी और आवश्यक प्रशिक्षण के निर्णय लेना, संसाधनों की पहचान करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा योजना और बजट बनाने का कार्य पूरा करना असंभव है। ये तकनीकी प्रकृति के काम हैं और केवल सामान्य ज्ञान से इन्हें पूरा करना संभव नहीं है। अतः पंचायती राज व्यवस्था से जुडे लोगों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और उन्हें अपडेट रखे जाने का तंत्र विकसित करना बहुत बड़ी चुनौती है।

7. मध्यस्तर की अस्पष्ट भूमिका :

पंचायत राज की त्रि–स्तरीय व्यवस्था में सबसे पहले और सबसे अंतिम स्तर की पंचायतों की भूमिका और दायित्व अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से परिभाषित है, किन्तु विकासखण्ड/तालुका स्तरीय पंचायत के अधिकार और दायित्व को लेकर स्पष्टता का अभाव है। जिससे कभी–कभी इस स्तर की भागीदारी आौर जवाबददेही का निर्धारण कठिन होता है।

8. 29 विषयों पर कार्य करने का तरीका स्पष्ट नहीं :

संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था में चिन्हित 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया था। किन्तु स्पष्ट विभाजन के अभाव में विषयों की जिम्मेदारी का निर्णय कई राज्यों में अब भी अस्पष्ट है। जिसके कारण कार्य और दायित्व का विभाजन ही नहीं अपितु जवाबदेही का निर्धारण करना भी कठिन है।

9. सरपंच पति एवं सरपंच पुत्र का हस्तक्षेप :

पंचायती राज व्यवस्था में आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश में महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत है।

अनेक स्थानों पर निर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति या पुत्र संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं और केवल हस्ताक्षर या अंगूठा लगा देना ही महिला सरपंच का काम रह जाता है। शिक्षा और जागरूकता से ये तस्वीर बदल रही हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

10. वंचित/दलित/अनुसूचित जाति का नेतृत्व :

पंचायत में आरक्षण के प्रावधानों से प्रोत्साहित होकर वंचित दलित अनुसूचित जाति के स्त्री–पुरुष निर्वाचित हो रहे हैं, लेकिन ऊँचे तबके और जातियों के लोग इनका नेतृत्व स्वीकार न कर इनके काम में बाधा पहुँचाते हैं। कई प्रभावशाली लोग इन जातियों के अपने आश्रित प्रत्याशी चुनाव में उतारकर उन्हें पद पाने पर अपनी उंगलियों पर नचाते हैं।

अपने नये पंचायती राज की उम्र लगभग 23 साल से अधिक हो गई है। आगे की दिशा निश्चित करने के लिये जरूरी है कि पंचायती राज के अभिभावक आकलन करें। बतौर मानक, कई कहानियाँ हमने मॉड्यूल–1 एवं मॉड्यूल–2 में प्रस्तुत किया है–

1. तमिलनाडू के कूत्तम्बाक्कम् पंचायत के सरपंच रंगसामी इलंगो की कहानी (जिसे आपने पिछले वर्ष **"विकास की समस्याओं और मुद्दे"** के अनुभाग–1.1.1 में पढ़ा)
2. अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी (इस मॉडयूल के प्रारम्भ में **"पंच–परमेश्वर"** कहानी का जिक्र है।)
3. राजस्थान के जिला अलवर में बनी अरवरी नदी के सत्तर (70) गाँवों के ग्राम संसद की कहानी **(जिसे यहॉ प्रस्तुत किया जा रहा है।)**



चित्र : 10.5.1 सरपंच पति/ सरपंच पुत्र का हस्तक्षेप

जनतंत्र का अनुपम प्रयोग – अरवरी संसद

राजस्थान, जिला अलवर की नदी अरवरी और उसके 70 गांवों की पंचायत का नाम है–अरवरी संसद। 70 गांवों की ग्रामसभा के चुनिंदा 187 सांसद इसके प्रतिनिधि हैं। हालांकि ये प्रतिनिधि पंचायती राज प्रणाली की संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया से चुने पंच–सरपंच नहीं है; बावजूद इसके इन 70 गांवों की खेती, ज़मीन, जंगल, नदी तालाब आदि का प्रबंधन और फैसला यही करते हैं। इनके अपने नियम हैं तथा पालन, प्रोत्साहन व दण्डित करने की इनकी

अपनी प्रणाली है। नियम है कि चुनाव सर्वसम्मति से हो। अपरिहार्य स्थिति में भी उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन अवश्य प्राप्त हो। जब तक ऐसा न हो जाए, उस गांव का प्रतिनिधित्व संसद में शामिल न किया जाए। असंतुष्ट होने पर ग्रामसभा सांसद बदल सकती है।

ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो बताते हैं कि अरवरी संसद ने सिर्फ नियम ही नहीं बनाये, इनको क्रियान्वित भी की। अरवरी संसद के बनाये सारे नियम 70 गांवों की व्यवस्था को स्वानुशासन की ओर ले जाते हैं। इस स्वानुशासन का ही नतीजा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में यह इलाका पहले से आगे है। अपराध घटे हैं और टूटन भी। इस बीच अरवरी के इस इलाके में एक–दो नहीं तीन–तीन साल अकाल आये; लेकिन नदी में पानी रहा, कुएं अंधे नहीं हुए। आज इस इलाके में 'पब्लिक सेन्चुरी' यानी जनता द्वारा खुद आरक्षित वनक्षेत्र हैं। शायद ही देश में कोई दूसरी घोषित पब्लिक सैन्चुरी हो। अरवरी के गांवों में खुद के बनाए जोहड़, तालाब, एनीकट एवं मेड़बंदियां हैं। यहां भांवता–कोल्याला जैसे अनोखे गांव हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये का पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने से इंकार कर दिया, तो तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन खुद उनके गांव गए। देश–विदेश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग, विकास, पंचायत व प्रबंधन संस्थानों के प्रतिनिधियों से लेकर भारत के सांसद, जल संसाधन मंत्री, आर एस एस के पूर्व प्रमुख स्व. श्री सुदर्शन, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स तक जाने कितनी हस्तियों ने खुद जाकर स्वानुशासन और एकता की इस मिसाल को बार–बार देखा।

सत्याग्रह मीमांसा–अंक 169(जनवरी 2000) में प्रख्यात गांधीवादी नेता स्वार्गीय सिद्धराज ढड्ढा ने अरवरी संसद की खूबी बताते हुए लिखा–" आज की संसद के निर्णयों तथा उसके बनाये कानूनों के पालन का अंतिम आधार पुलिस, फौज, अदालतें और जेल हैं। अरवरी संसद के पास अपने निर्णयों का पालन कराने के लिए ऐसे कोई आधार नहीं हैं; न ही होने चाहिए। जनसंसद का एकमात्र आधार लोगों की एकता, अपने वचन पालन की प्रतिबद्धता और परस्पर विश्वास है। यही जनतंत्र की वास्तविक शक्तियां हैं। अतः अरवरी संसद का प्रयोग केवल अरवरी क्षेत्र के लिए नहीं समूचे जनतंत्र के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।" श्री ढड्ढा के बयान और अरवरी संसद की कार्यप्रणाली से क्या कभी देश की संसद, विधायिका और पंचायतें कुछ सीखेंगी?

उपरोक्त तीन कहानियाँ हमारे सामने क्रमशः तीन आइनों को रखती हैं :

1. 73वें संविधान संशोधन का आइना।

2. भारत की पंच–परमेश्वरी अवधारणा का आइना और

3. तीसरा महात्मा गाँधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का आइना।

गौर करें कि पंचायतें प्रारम्भ में कोई औपचारिक इकाई नहीं थीं। पारम्परिक पंचायतें एक जीवन शैली थीं। संवाद, सहमति, सहयोग, सहकार और सहभाग इस जीवन शैली के पाँच संचालन सूत्र थे। क्या आज हमारी वर्तमान

पंचायतें इन सूत्रों और उक्त गुणों के साथ बनाई व चलाई जा रही है। चुनौतियों से निपटने के कुछ प्रमुख उपाय निम्नवत् हैं–

1. केवल निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूहों, वाटरशेड, पोषण, चराई और बानकी कार्यक्रमों में लोगों को बराबरी के साथ लाना जरूरी है।
2. सरकारी धन पर निर्भरता घटाने के लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये।
3. पंचायतीराज व्यवस्था की सशक्ती के लिये ग्राम सभा की बैठकों में उसके सदस्यों के हितों से संबंधित निर्णय की शक्ति का होना आवश्यक है।
4. पंचायत के ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति या आम सहमति से किया जाना आवश्यक है।
5. पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में मुक्तराशि (untied budget) उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
6. सत्ता का ग्राम स्तर पर वास्तविक प्रत्यायोजन आवश्यक है।
7. महिला सशक्तिकरण के द्वारा निर्वाचित सरपंच के स्थान पर किसी अन्य द्वारा कार्य करने की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उचित पहल आवश्यक है।
8. वंचित वर्गों के चयन के पश्चात उनके प्रति सबकी निष्ठा के होने से ही वास्तविक प्रजातन्त्रिक विकेन्द्रीकरण के मूल्यों को स्थापित किया जा सकेगा।

10.5.3 : भारत में विकेन्द्रित नियोजन का अधिकारिक प्रयास (Authentic Efforts for Decentralized Planning in India)

10.5.3.1 विभिन्न समितियाँ :

प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में केन्द्रीकृत नियोजन की प्रकिया प्रारम्भ हो गयी। समय की मांग के अनुरूप विकेन्द्रीकृत नियोजन आवश्यक समझा जाने लगा। इसके लिए निम्नांकित प्रयास किए गए–

1. जिला नियोजन के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका

योजना आयोग ने सर्वप्रथम 1969 में "गाइड लाइन्स फार फारमुलेशन आफ डिस्ट्रिक्ट प्लान्स" के माध्यम से जिला स्तरीय नियोजन के लिये मार्गदर्शिका की घोषणा की।

2. एम. एल. दन्तवाला कार्यदल

1978 में गठित इस कार्यदल ने विकासखण्ड स्तरीय नियोजन पर बल दिया तथा कहा कि –

1. इसके लिये पूरे जिले के लिये एक ही दल होना चाहिए।
2. जनता से सीधे संवाद होना चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं का कम से कम उपयोग होना चाहिए।

इस दल के सुझावों पर कुछ माडल ब्लाकों का चयन करके विकेन्द्रीकृत नियोजन का प्रादर्श प्रस्तुत किया गया, जिससे अनेक अनुभव प्राप्त हुए।

3. सी. एच. हनुमन्ता कार्यदल

विकेन्द्रीकृत नियोजन की समीक्षा करने के लिए गठित इस दल ने विभिन्न प्रान्तों में हुई प्रगति की समीक्षा करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिससे निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए –

1. जिला स्तरीय नियोजन की संस्था को विभिन्न प्रान्तों में जिला नियोजन परिषद / समिति या जिला विकास परिषद / समिति, जिला नियोजन एवं विकास परिषद इत्यादि नामों से पुकारा जाता था।
2. विभिन्न राज्यों में इन योजना संगठनों की अध्यक्षता राज्य के कैबिनेट मंत्री / जिलाधिकारी / एम.एल.ए. अथवा गैर शासकीय विशेषज्ञों द्वारा की जाती थी।
3. इसकी अध्यक्षता के लिये जिला पंचायत के अध्यक्ष को किसी भी राज्य में उचित नहीं समझा गया।
4. तकनीकी नियोजन कर्मचारी अत्यंत ही कम थे एवं उन्हें सामान्य प्रशासन से लिया गया था।
5. अधिकांश प्रान्तों में वास्तविक नियोजन प्रक्रिया निम्नानुसार थी–
    - राज्य स्तरीय बजट पारित होना
    - पारित धन का जिलानुसार विभिन्न विभागों द्वारा विभाजन
    - आबंटित धन की सूचना जिला स्तर पर देना, सूचना प्राप्ति में प्रायः चार से पांच माह भी लग जाते हैं।
    - प्राप्त धन के अनुसार अनुमानित जिलावार व्यय पत्रक तैयार किया जाना।
    - इस प्रकार जिला योजना नामक एक पत्रक का तैयार किया जाना।
6. केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, एवं जम्मू काश्मीर में प्रान्तीय सरकारों ने कुछ भिन्नता दिखाई। यहाँ जिला स्तर पर भी पहले कुछ कार्य हुए। इस व्यवस्था से राज्य योजना का 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत भाग इनके प्रस्तावों से प्रभावित होता था।

10.5.3.2 : कर्नाटक में विकेन्द्रीकरण का अभिनव प्रयोग

कर्नाटक राज्य का गठन 1956 में हुआ। उस समय संगठित क्षेत्र में स्थानीय संस्थाएं अनेक प्रतिरूपों पर आधारित थीं। गठन के पश्चात बलवंतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुरूप पुनः त्रिस्तरीय प्रणाली लागू किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर तालुका परिषद तथा जिला स्तर पर जिला विकास परिषद का गठन किया गया था। किन्तु इस राज्य में भी जो निर्वाचन 1964 में होने चाहिये थे, केवल 1978 में हुए। 1983 में जब

यहाँ पर जनता दल का शासन हुआ तो अशोक मेहता समिति के सुझावों के अनुसार द्वि–स्तरीय प्रणाली लागू करने संबंधी विधेयक तैयार किया गया। दो वर्ष पश्चात उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हो गयी। इसके द्वारा जिला परिषद और मण्डल पंचायतों की स्थापना हुई।

जिला परिषद को काफी अधिकारों के साथ ही जिला स्तर की योजना निर्माण का कार्य भी सौंप दिया गया। इसके साथ ही साथ मण्डल पंचायत में दस से बारह हजार निवासियों वाले छोटे–छोटे गाँवों के समूह स्थापित किये गये। यद्यपि यहाँ पर दो ही स्तर क्रियाशील थे, किन्तु इन दोनों के मध्य में तालुका पंचायत समितियों का भी गठन किया गया था जिसमें समस्त मण्डल पंचायत के अध्यक्ष सदस्य हुआ करते थें। यह समिति केवल समन्वयकारी कार्यों को देखा करती थी।

कर्नाटक में 1990 तक जिला नियोजन का प्रारंभिक प्रयोग सफलता पूर्वक चलता रहा। कर्नाटक में स्थानीय स्तर के नियोजन एवं धन के वितरण के लिये बड़े एवं छोटे मदों में विभाजन जिला स्तर पर ही कर दिया गया था जिससे इस प्रान्त में विकेन्द्रीकृत नियोजन सर्वाधिक सफल रहा। जहां पर योजना हेतु आबंटित धन का 20 प्रतिशत से ऊपर केन्द्र निर्मित स्कीमों के तहत आता था। इसे सीधे जिला पंचायत की अनिर्धारित या मुक्त राशि के तहत अनुमानित आधार पर प्रदान कर दिया जाता था। इस अनुमान को वह राज्य सरकार के वार्षिक योजना एवं बजट में सम्मिलित करने हेतु अपना प्रस्तावित प्रपत्र निर्मित करके प्रेषित करती थी।

यद्यपि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग प्रारंभ किया गया था, किन्तु 1990 में जनता दल सरकार गिर गयी तो इस प्रयोग का भी पटाक्षेप हो गया। कर्नाटक 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा पुनः विकेन्द्रीकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

10.5.3.3 : पश्चिम बंगाल में विकेन्द्रीकरण के पहल जिसके द्वारा संविधान संशोधन की प्रेरणा मिली

पश्चिम बंगाल में विकेन्द्रीकरण का प्रयोग काफी देर से प्रारंभ हुआ। 1973 में पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम पारित हुआ जिसमें चार स्तरीय ढांचा निम्नवत था–

- ग्राम सभा – हैमलेट स्तर पर
- ग्राम पंचायत – ग्राम स्तर पर
- पंचायत समिति – ब्लाक स्तर पर
- जिला परिषद – जिला स्तर पर

यद्यपि कांग्रेस की सरकार ने इस अधिनियम को सत्ता में रहते हुए पारित तो किया किन्तु 1977 में जब वामपंथी सरकार सत्ता में आयी तब स्थानीय चुनावों को संचालित करने के लिये प्रयास किया गया। 1978 मे स्थानीय

स्वशासी सरकार की इकाइयों के निर्वाचन की प्रकिया से एक नई लहर आयी तथा प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर यहाँ चुनाव होने लगे।

ये चुनाव 1983, 1988, 1993 तथा 1998 में अधिनियम के अनुसार हुए जो कि भारत के प्रान्तों में उल्लेखनीय घटना है। यहाँ न केवल निर्वाचन नियमित हुए, अपितु पश्चिम बंगाल की स्थानीय स्वशासन की शक्तियां तथा कार्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगत हुई। 1978 से बंगाल में वामपंथी सरकार द्वारा भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सर्वाधिक बड़े स्तर का किया गया प्रयोग देखने को मिला।

1978 से 1983 के मध्य पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्वशासन द्वारा प्राथमिक स्तर पर **पश्चिम बंगाल भूमि सुधार** के कार्यकम के लागू करने के लिए कार्यवाही की गयी। 1978 के चुनाव में स्थानीय स्तर पर गरीब तथा भूमिहीन नेता पर्याप्त मात्रा में चुने गये। 1978, 83 एवं 88 के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण सत्ता की संरचना गरीबों के हक में थी। कोहली (1983) ने पाया कि यह एक प्राचीन राजनैतिक परंपराओं को तोड़ने वाली घटना है। पश्चिम बंगाल अथवा भारत के अन्य प्रान्तों में गरीबी एवं अमीरी में से किसी भी एक का आधिपत्य न हो ऐसी पंचायते देखने को इसके पूर्व नहीं मिलीं। नव निर्मित पंचायतों को परिस्थितिवश बाढ़ पीड़ितों की सहायता का कार्य भी करना पड़ा। देखने वालो ने यह भी पाया कि इसके चलते स्थानीय जनता का स्थानांतरण जो कलकत्ता की ओर होता था, नहीं हुआ। पंचायतों द्वारा सर्वप्रथम भोजन के लिये कार्य तथा बाद में अन्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया गया। यह कार्य पंचायत में भूमि सुधार कार्यक्रमों से अर्जित धन के द्वारा किया गया। पंचायतों ने जरूरतमंद किसानों की मदद तथा बाजार की सुविधाओं को पहचानने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने का सफल प्रयास किया।

1985 में त्रिस्तरीय नियोजन प्रणाली का गठन किया गया। राज्य स्तर पर स्टेट प्लानिंग बोर्ड, जिला स्तर पर दो संस्थायें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एवं कोआरडीनेशन समिति तथा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग समिति (डी.पी.सी.) का गठन किया गया। डी.पी.सी. का अध्यक्ष जिला परिषद सभापति तथा सदस्य सचिव कलेक्टर होता था। डी. पी. सी. में पंचायत समिति तथा म्युनिसिपैलेटी के प्रतिनिधि भी होते थे। डी.पी.सी. जिला स्तर पर एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था के रूप में प्रस्तुत हुई।

ब्लाक स्तर पर एक ब्लाक प्लानिंग कमेटी होती थी। इसका अध्यक्ष ब्लाक स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता था एवं सदस्य सचिव के रूप में बी.डी.ओ. कार्य करता था।

कुछ जिलों ने योजना निर्माण के पहले दौर मे ही अच्छा कार्य किया। 1980 के दशक में ग्राम सभा में भी समस्याओं को पहचानने तथा योजनाओं को कियान्वित करने का प्रयास होने लगा। इस प्रकार विकेन्द्रीकृत नियोजन का अनुभव पश्चिम बंगाल में 73वे संविधान संशोधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुआ।

10.5.4 : केरल में विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए जन अभियान (Mass Campaign for Decentralized Planning in Kerala)

वर्तमान केरल प्रान्त त्रावणकोर एवं कोचीन दो प्रमुख रियासतों तथा मद्रास प्रान्त के मालाबार जिले को मिलाकर बनाया गया है।

केरल में पंचायतो का क्षेत्रफल देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। पंचायतो का औसत क्षेत्रफल 30–40 वर्ग किलोमीटर तथा औसत जन संख्या 25 हजार होती है। पंचायत के किसी भी वार्ड में औसत जनसँख्या 1000 से अधिक होती है जो महाराष्ट्र अथवा मध्यप्रदेश की किसी पंचायत के समान है। पंचायतों का औसत बजट लगभग 3 से 5 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होता है। इस प्रकार पंचायतों का आकार एवं विभाजन सेवा प्रदाय, वित्त प्रबंधन एवं नियोजन हेतु अधिक प्रभावी होता है।



चित्र : 10.5.2 केरल के नैसर्गिक संसाधन

स्वतंत्रता के समय इस प्रान्त में त्रावणकोर पंचायत अधिनियम 1950 तथा मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम 1950 दोनों ही लागू थे। बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के पश्चात केरल पंचायत राज अधिनियम 1960 लागू किया गया। इसके तहत 1962 में सर्वप्रथम ग्राम स्तरीय चुनाव संपन्न हुए। काफी लंबे–लंबे अंतराल के बाद 1979 एवं 1988 में पुनः पंचायतों के चुनाव हुए। 1991 में जिला स्तरीय संगठन तब अस्तित्व में आया जब वाममोर्चा के सरकार ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों का गठन किया। किन्तु प्रान्तीय सरकार के 1991 में पतन के कारण ये काउंसिले कार्य करने में अक्षम हो गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के लिये जो प्रयास किया जा रहा था, अवरूद्ध हो गया।

यद्यपि केरल में अपने भूमि सुधारों, शत–प्रतिशत साक्षरता, शक्तिशाली स्थानीय संस्थाओं एवं जागरूक समाज के कारण प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए उर्वर भूमि तैयार थी। किन्तु विकेन्द्रीकृत नियोजन यहाँ पर एक दशक बाद ही प्रारंभ हो पाया। देश के अन्य प्रान्तों के समान ही 1970 में जिला नियोजन कार्यालय की स्थापना के पश्चात विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रकिया प्रारंभ हुई। 1980 में विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना इत्यादि के निर्माण के साथ इस प्रकिया ने गति पकड़ी। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले में एक कार्यदल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर और समन्वयक जिला योजना अधिकारी होते थे। यद्यपि इस कार्य का योजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा किन्तु विभागीय नियंत्रण, पारदर्शिता के अभाव तथा धन का दुरूपयोग भी देखने को मिला।

पंचायत का आर्थिक सशक्तिकरण : केरल में किये गये नवाचार का उदाहरण (Economic Empowerment of Panchayat : Kerala Innovations)

केरल राज्य द्वारा पंचायतों के अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित कर विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली को राज्य में सफलता पूर्वक सक्रिय गया है। इस प्रक्रिया के तहत वार्ड स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के आधार पर विचार विमर्श कर योजनाओं का निर्माण किया गया। केरल में सर्वप्रथम अगस्त, 1996 में जन नियोजन अभियान का सूत्रपात दीर्घ कालीन सामाजिक राजनैतिक लामबंदी तथा विभिन्न संस्थाओं जैसे – केरलशास्त्र साहित्य परिषद् आदि के सहयोग से जन जागरण के माध्यम से किया गया जिसमें विभिन्न स्तरों पर संस्थागत विकास को प्राथमिकता दी गई। राज्य में विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को निम्नांकित संस्थाओं की सहायता से क्रियान्वित किया गया।

1. ग्राम सभा

विकेन्द्रीकरण में आम जन की सहभागिता वार्ड स्तर पर वार्ड के सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। इस सभा में वार्ड के कम से कम 10 प्रतिशत मतदाताओं की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। इस सभा में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों तथा क्रियान्वयन करने वाले विभागों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं विकासखण्ड स्तर पर समितियों के सदस्यों तथा जिला स्तर पर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के अध्यक्षों, विकासखण्ड पंचायत के अध्यक्षों एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा योजना को एकीकृत किया जाता है।



चित्र : 10.5.3 ग्राम सभा में योजना पर विचार

2. स्व सहायता समूह

ग्राम सभा की तर्ज पर ही एक स्व सामाजिक सामूहों (आयलकूटम) का निर्माण किया गया जिसमें 20–25 महिलाओं को सम्मिलित किया गया जो स्व सहायता समूहों के सहयोग से महिलाओं संबंधी योजनाओं का निर्माण कर सकें।



चित्र : 10.5.4 स्व सामाजिक समूह (आयलकूटम) में विचार विमर्श

3. स्रोत व्यक्तियों की नियुक्ति

राज्य स्तर पर लगभग 600 प्रमुख स्रोत व्यक्तियों, जिला स्तर पर लगभग 10,000 जिला स्रोत व्यक्तियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 1 लाख स्रोत व्यक्तियों की नियुक्ति शासकीय तथा निजी संस्थाओं के माध्यम से की गई। इन स्रोत व्यक्तियों का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करना तथा विकेन्द्रीकृत अभियान के संबंध में जन जागरण करना था। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्व–शासन के प्रशिक्षण का समन्वयन किया गया।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के उद्देश्य

इस स्तर पर बनने वाली योजना का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, जन सुविधाओं की उपलब्धता, रोजगार के अवसर पैदा करना, समाज के विभिन्न वर्गो में फैली विषमताओं को दूर करना, नागरिकों की क्षमता में वृद्धि, शारीरिक अक्षमता को दूर करना तथा लोगों में जागरूकता के स्तर को बढ़ाना है। इनमें से प्राथमिकता के निर्धारण हेतु प्रक्रिया का उपयोग नियोजन के विभिन्न घटकों जैसे आवश्यकता के आंकलन, विषयों के चिन्हांकन, संसाधनों के समुचित उपयोग तथा लक्ष्य निर्धारण आदि हेतु किया जाता है। विकेन्द्रीकृत नियोजन से तात्पर्य जिला एवं उससे निचले स्तर के स्व–शासन की योजना से है। विकेन्द्रीकृत नियोजन राष्ट्रीय योजना निर्माण का ही एक महत्वपूर्ण घटक है।

केरल राज्य में विकेन्द्रीकृत नियोजन के चरण

केरल राज्य में बहु–स्तरीय विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें लाल फीताशाही को नियांत्रित रखने की अद्‌भुत क्षमता है। बहु–स्तरीय विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं–

- वातावरण निर्माण,
- स्थिति का आंकलन,
- लक्ष्य निर्धारण,
- योजना निर्माण,
- संभावनाओं का आंकलन,
- योजना के महत्व का आंकलन,
- योजना की मान्यता तथा क्रियान्वयन।

प्रत्येक स्तर में अनेक उपघटक भी सम्मिलित किये गये हैं।

1. **वातावरण निर्माण** – कार्यकारी समूह का गठन तथा इस समूह के माध्यम से विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु आदर्श वातावरण का निर्माण करना इसका प्रथम चरण था।
2. **कार्यकारी समूह की संरचना** – प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में स्व–शासन के प्रत्येक सेक्टर में एक कार्यकारी समूह का निर्माण करना अनिवार्य किया गया है। स्थिति के आंकलन हेतु भी प्रथम चरण में महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों हेतु कार्यकारी समूह का निर्माण आवश्यक माना गया है। स्थानीय स्व–शासन को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे निम्नांकित आवश्यक कार्यकारी समूहों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य कार्यकारी समूहों का गठन भी कर सकते हैं–

अनिवार्य कार्यकारी समूह : 12 टॉस्कफोर्स –

1. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जिसमें पर्यावरण, कृषि, सिचाई, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन तथा अन्य संबंधित क्षेत्र सम्मिलित है।
2. स्थानीय आर्थिक विकास जिसमें उद्योग, निजी व सामाजिक निवेश तथा निधि साख का महत्व होना सम्मिलित है।
3. गरीबी निवारण गृह निर्माण सहित।
4. अनुसूचित जातियों का विकास।

5. महिला एवं बाल विकास।

6. स्वास्थ्य।

7. जल वितरण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

8. शिक्षा, संस्कृति, खेल तथा युवा।

9. अधोसंरचना।

10. सामाजिक सुरक्षा जिसमें वृद्धों एवं निःशक्त जनों की देखभाल भी सम्मिलित है।

11. ऊर्जा।

12. अभिशासन नियोजन।

3. **प्रत्येक सेक्टर हेतु वस्तुस्थिति प्रतिवेदन का निर्माण–** वर्तमान संसाधनों का सर्वेक्षण, स्थिति का आंकलन तथा विकास की संभावनाओ की तलाश को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक कार्यकारी समूह को अपने सेक्टर की वस्तुस्थिति प्रतिवेदन का निर्माण निम्नांकित बिन्दु सम्मिलित करते हुए करना होगा–

- सेक्टर की पूर्व की पंचवर्षीय योजना एवं अन्य स्थानीय स्व–शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सूची का निर्माण।
- उक्त योजनाओं के माध्यम से भौतिक एवं वित्त संबंधी बिन्दुओं के आंकलन हेतु सूचकों का निर्माण।
- पूर्व में क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्करने वाले हितग्राहियों की विस्तृत सूची का निर्माण।
- पूर्व में क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से निर्मित संरचानाओं की सूची का निर्माण।
- स्व–शासन के क्षेत्र में प्रदेश एवं केन्द्र शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं की सूची का निर्माण।

सेक्टर के संबंध में द्वितीयक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी।

- विगत 10 वर्षो के दौरान योजना निर्माण, क्रियान्यन तथा मूल्यांकन संबंधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में टिप्पणी।
- स्व प्रशासन अथवा विभिन्न वार्ड हेतु समस्या संबंधी जानकारी का निर्माण।
- सेक्टर के प्रमुख मुद्दों के अलावा विकसित क्षेत्रों, विकास हेतु क्षमता, मुद्दों के निराकरण एवं विकास हेतु आवश्यक क्षमताओं के निर्माण हेतु योजना पर टिप्पणी।

प्रभावी परियोजनाएँ– योजना निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु

4. **कार्यकारी समूह द्वारा प्रतिवेदन निर्माण की विधि**– कार्यकारी समूह प्रतिवेदन के निर्माण हेतु कार्यकारी समूह द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जा सकता है, पूर्व में क्रियान्वित योजनाओं के पात्र हितग्राहियो से चर्चा की जा सकती है, हितधारक से चर्चा की जा सकती है, अध्ययन हेतु सर्वेक्षण किये जा सकते है, कार्यकारी समूह के सदस्यों को समय–समय पर ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से चर्चा करनी चाहिये जिससे विभिन्सेक्के मध्य संबंध विकसित हो सकें। कार्यकारी समूह की गतिविधियों में समूह में नियोजित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाऐं ली जाना आवश्यक होता है। कार्यकारी समूह द्वारा वार्षिक योजना के निर्माण के उपरान्योजना क्रियान्यन के अंतिम चरण तक कार्य करना आवश्यक होता है। कार्यकारी समूह द्वारा निर्मित प्रतिवेदन में स्य विकास हेतु निर्धारित रणनीति के सूक्ष्घटकों की जानकार सम्मिलित रहती है। कार्यकारी समूह का प्रतिवेदन यदि आमजन की अपेक्षा के अनुरूप पाया जाता है तो उसे अगले चरण हेतु सकिया जा सकता है।

5. **आवश्यकता का आंकलन** – इस प्रक्रिया में विभिन्स्तर पर विचार विमर्स कर विभिन्उपायों को एकीकृत किया जाता है। इसका प्रारंभ हितकारकों की आवश्यकताओं के आंकलन हेतु बैठक के आयोजन से होता है। हितकारकों में प्रमुख रूप से निम्को सम्मिलित किया जाता है –

- कृषक एवं कृषि मजदूर
- उद्योगों एवं सेवा में संलग्व्यक्ति
- सामाविकास संस्यें
- प्राचार्य एवं पालक शिक्षक संघ के अधिकारी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मातृ समिति के अध्यक्ष
- स्य प्रशासन, अशासकीय संस्तथा निजी संस्से संबंधित समसचिकित्सा प्रबंधन समिति के सदस्य तथा प्रमुख चिकित्य व्यवसायी।
- यूथ, युवा संस्थायें, साक्षरता व पुस्य अभियान से जुड़े कार्यकर्ता, कला एवं संस्कृति क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियॉ तथा निरूशक्जनकल्याण समूहों के प्रतिनिधि
- वन संरक्षण समितियॉ तथा पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता
- राजनैतिक दल व ट्रेड यूनियन

6. **नागरिकों से विचार विमर्श**– इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य विकास की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी एकत्र करना होता है। इस प्रकार ग्राम सभाध्वार्ड सभा की बैठक के आयोजन के पूर्व मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी का प्रसारण कर वातावरण का निर्माण किया जाता है। साथ ही महिलाओं के स्वयं–सहायता समूह अभियान "dqnqe" से चयनित कार्यकताओं द्वारा तथा सम्कर वातावरण का निर्माण किया जाता है। चर्चा के दौरान ग्राम सभा तथा वार्ड सभाओं से विकास की प्राथमिकताओं की सूची प्राप्की जाती है। अधोसंरचनाओं संबंधी विषयों जैसे–सड़क, भवन, सिंचाई योजना, जल वितरण योजना, विद्युतीकरण आदि हेतु ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा द्वारा हितग्राहियों की प्राथमिकता तय करने हेतु मापदंड प्रसकिये जाते है साथ ही विभिन्संरचनाओं के रखरखाव हेतु सुझाव दिये जाते है।

7. **विकास हेतु विचार गोष्ठी**– ग्राम सभा की अनुसंशा के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजन पंचायत राज संस्के स्तर पर किया जाता है। जिसमें विषय विशेषज्ञ, चयनित सदस्य, ग्राम सभा द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत राज संस्के वार्षिक योजना दस्तावेज के प्रारूप पर चर्चा कर वृहद प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु सुझाव दिये जाते है तथा कार्यकारी समूहों के सदस्यों का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायत, विकासखण्पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर कार्यकारी समूहों द्वारा ग्राम सभा की आवश्यकताओं एवं अनुशंसाओं को तकनीकी रूप से किये जा सकने योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्येक स्व सभा हेतु 8 से 12 कार्यकारी समूहों निर्मित किये गये जो विभिन्सेक्पर कार्य करते है। प्रत्येक कार्यकारी समूहों का अध्यक्ष एक चयनित सदस्य होता है जिसकी अनुशंसा विभाग के अधिकारी द्वारा की जाती है। योजना आयोग द्वारा शीर्षक केरल में विकेन्द्रीकृत नियोजन का अनुभव के अनकिये गये अध्ययन में यह पाया गया कि नवी पंचवर्षीय योजना में, ग्राम सभा, ग्रामों की आवश्यकता के आंकलन हेतु सबसे प्रभावी संस्बन कर उभरा है। इस बात का सत्यापन इन तथ्यों से भी होता है कि लगभग 66ः परियोजना हितग्राहियों में अपनी मांगे ग्राम सभा के माध्यम से रखी, लगभग 82ः परियोजना हितग्राहियों को यह महसूस हुआ कि उनके लिऐ परियोजना ग्राम सभा की मॉगों के आधार पर स्कृत हुई, लगभग 92ः लोगों ने यह माना कि ग्राम सभाऐं उनके सेक्टर की प्रमुख समस्याओं को हल कर सकती है।

8. **कुदुम्ब श्री (महिला स्व–सहायता समूह अभियान) की योजना निर्माण तथा अनुश्रवण में भूमिका**– ग्राम सभा की तर्ज पर ही एक स्य सामाजिक समूहों (आयलकूटम) का निर्माण किया गया जिसमें 20–25 महिलाओं को सम्मिलित किया गया जो स्–सहायता समूहों का निर्माण कर महिलाओं संबंधी योजनाओं का निर्माण कर सकें। इन स्व–सहायता समूहों को एक छाते के नीचे लाया गया जिसे कुदुम्नाम दिया गया। इन स्य सामाजिक समूहों द्वारा सहभागी नियोजन प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर एक महत्र्ण भूमिका अदा की गई है।

10.5.5 : मध्य प्रदेश में पंचायतीराज को सार्थक बनाने के प्रयोग (Experiment of Madhya Pradesh for effective implementation of Panchayatiraj)

निम्न चार दिशाओं में मध्य प्रदेश में किये गये पहल पूरे भारत के लिये मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है :

10.5.5.1 ग्राम स्वराज कानून 2001

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गाँधीवादी चिंतकों की एक समिति गठित की गयी जिसमें श्री अन्ना हजारे, श्री ठाकुर दास भंग, श्री सिद्धिराज दद्दा, श्री आचार्य तुलसी, डॉ. बी.डी. शर्मा, एवं डॉ. टी. करुणाकरन सदस्य बने और श्री सरश्चन्द्र बेहार सदस्य एवं समन्वक के रूप में काम किये। ग्राम स्वराज के मूलभूत सिद्धान्तों को क्रियान्वयन में लाने के लिये अनेक अभिनव युक्तियों को कानून का रूप दिया गया। जनवरी 2001 में घोषित मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम पूरे भारत के लिए आदर्श बना और महाराष्ट्र में तुरन्त ही मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज अधिनियम के अनेक अंशों को लागू करने के लिये नियम लाए गए जिसके निमार्ण के लिये गठित समिति में मध्य प्रदेश की समिति के अधिकांश सदस्यों को रखा गया। असल में कुछ दिशओं में महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश के सपनों को सार्थक रूप दिया। उदाहरण के लिए : ग्राम स्वराज समिति द्वारा महिलाओं के लिए सभी समितियों में 50% भागीदारी की गयी अनुशंसा हुई। परन्तु मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा यह रोंका गया जबकि महाराष्ट्र में यह सुझाव तुरन्त माना गया और पूरे भारत के लिये अगुवाई बना।

ग्राम स्वराज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था गाँव को गणतंत्र की बुनियादी इकाई के रूप में खड़ा करना और उनको स्वावलम्बी अैर स्वयंशासी समूह बनाना ग्राम सभा के निर्णय को स्वोच्च बनाना और ग्रामकोष आदि द्वारा आर्थिक रूप से गाँव को सशक्त बनाना था।

2004 में इस अधिनियम में व्यवहारिक परिवर्तन लाये गये जिसका जिक्र .... में हो चुका है।

10.5.5.2 पंचायतीराज संदेश को जन–जन तक पहुँचाना

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा स्थापित महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा निम्न पहल किये गये :

- ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पंचायतीराज सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया (1997)।
- उसकी पुनः प्रस्तुति पंचायतीराज सदस्य, अधिकारी और अन्य इच्छुक जनता के लिये 2001 में हुई और सागर जिला में 25,000 लोगों के लिये एक लोक दीक्षांत द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। टेप रिकार्डर द्वारा रुचिकर पाठ्य सामग्री को असरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया जिस कारण अधिकतम लोग 75% से ज्यादा अंक पायें। इस प्रयत्न में निरक्षर लोगों ने ग्राम स्वराज अधिनियम के सिद्धान्तों को लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से निम्न फिल्म भी तैयार किये गये :
    - अपना सुराज (इग्नू की सहायता से), 60 मिनट
    - परिवर्तन (इग्नू की सहायता से), 50 मिनट

उनका सफलता के आधार पर पन्ना में ग्राम स्वराज संस्थान की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य पूरे सागर संभाग के पांच जिलों एवं रीवा संभाग के पांच जिलों कुल दस जिलों में ग्राम स्वराज के प्रशिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना था।

10.5.5.3 ग्राम स्वराज में भागीदारी को बढ़ाने के उपाय :

जिलाधिकारी एवं ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयत्न के द्वारा प्रश्न उठाया गया : लोग ग्राम सभा की बैठक में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं? सागर जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में जनता के साथ विशाल संगोष्ठियों के होने के बाद पता चला कि ग्राम सभा में अधिकाधिक ग्रामवासियों के लिये उपयोगी मुद्दा भी नहीं रहा।

हमने जाना

- 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में प्रावधान होने के 23 वर्ष के पश्चात भी पंचायतीराज व्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं।
- पंचायतीराज प्रणाली की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं–

  ग्राम सभा की बैठकों का न होना, चुनाव से उत्पन्न गुटबन्दी, विकास के लिये उपलब्ध धन की कमी, नौकरशाही का नियन्त्रण, बजट की अपर्यप्तता, मध्यस्तर के पंचायत की भूमिका का अभाव, संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गये 29 विषयों संबंधी कार्य करने की स्पष्टता का अभाव, सरपंच पति एवं सरपंच पुत्र का हस्तक्षेप, वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन इत्यादि।
- कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल ने इस दिशा में अनुकरणीय नमूना पेश किए किन्तु उनके प्रयोग स्थाई नहीं हो सके।
- केरल प्रान्त ने विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं क्रियान्वयन की दिशा में सफल उदाहरण प्रस्तुत किया।
- केरल में विकेन्द्रीकृत नियोजन के प्रमुख चरण हैं–

  वातावरण का निर्माण, कार्यकारी समूहों का गठन, 12 टास्कफोर्स का गठन, वास्तविक स्थिति के आंकलन संबंधी प्रतिवेदन का निर्माण, विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श, विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं का आंकलन, स्थानीय नागरिकों के साथ विचार विमर्श, पंचायत स्तरीय विकास के लिए विचार–गोष्ठी, महिला स्व–सहायता समूह (आयलकूटम) की नियोजन एवं मानिटरिंग में भूमिका, जनता के सहयोग से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन।
- केरल में विकेन्द्रीकृत नियोजन की सफलता के पीछे इस अभियान से जुड़ी अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं जैसे– केरल शास्त्र साहित्य परिषद् इत्यादि के द्वारा मुहल्लावार एवं ग्रामवार योजना निर्माण से संबंधित प्रशिक्षणों की भूमिका रही है।
- मध्य प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था की सफलता के लिए ग्राम सभा एवं पंचायत स्तर पर योजना एवं बजट के निर्माण का गहन प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
- मध्य प्रदेश में किये गए निम्नांकित नवाचार देश के लिए प्रेरक हो सकते हैं–

  ग्राम स्वराज कानून 2001, पंचायतीराज संदेश को जन तक पहुँचाना, ग्राम स्वराज में भागीदारी को बढ़ाने के उपाय

कठिन शब्दों के अर्थ

1. **नौकरशाही** – प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रयुक्त शब्द।
2. **टास्कफोर्स** – योजना निर्माण के लिये विकास के विविध आयामों के आधार पर बनायी गयी कार्यकारी समिति।
3. **लालफीताशाही** – फाइलों को दबाकर या छिपाकर कार्य में अनावश्यक देरी करना।
4. **सेक्टर** – टास्कफोर्स गठन के लिये विकास के 12 आयामों पर बनाये गये 12 सेक्टर, जिनसे संबंधित योजना बनाने का कार्य ग्राम सभा को दिया गया है।
5. **कुदुम्बश्री** – महिला स्वयं सहायता समूहों (आयलकूटम) को संगठित कर एक इकाई के रूप में लाया गया। इसे कुदुम्बश्री कहा जाता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था किन कारणों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं?
2. मध्य प्रदेश में पंचायतीराज के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
3. भारत में विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।
4. कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये किये गये प्रयोग स्थायी क्यों नहीं हो सके?
5. केरल में पंचायतो के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये निर्मित प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
6. केरल में पंचायतों के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन के प्रमुख चरण कौन–कौन से हैं?

आओ करके देखें

1. अपने चयनित ग्राम में यह पता लगाइये कि पंचायतीराज व्यवस्था के समक्ष कौन–कौन सी चुनौतियाँ हैं।
2. ग्रामीण सहभागी आंकलन की प्रमुख पद्धतियों का उपयोग करते हुए पंचायत में उपलब्ध संसाधनों एवं उनके आधार पर पंचायत के लिये नियोजन कीजिए।
3. ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करके ग्राम के विकास के लिये एक योजना का निर्माण कीजिए।
4. ग्राम सभा की बैठक को आयोजित करके पंचायतीराज व्यवस्था की सक्रियता एवं उपयोगिता बढ़ाने के उपायों का आंकलन कीजिए।
5. अपने चयनित ग्राम पंचायत का स्वॉट (SWOT: S=Strengths, W= Weaknesses, O=Opportunities, T= Threats) विश्लेषण कीजिये।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. टी.एम. थामस आईजक एवं रिचर्ड डब्लू. फ्रैंक द्वारा रचित पुस्तक– लोकल डेमोक्रसी एण्ड डेवलपमेन्ट : पीपुल्स कैम्पेन फार डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरल।
2. टेली फिल्म 'अपना सुराज'।
3. टेली फिल्म 'परिवर्तन'।

■■■

परिशिष्ट–एक : भारत में पंचायती राज का इतिहास एवं क्रमिक विकास

- पंचायते भारतीय समाज का सदैव से ही अंग रही हैं।
- वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को "ग्रामिणी" कहा जाता था।
- बौद्ध एवं जैन काल में ग्रामों के मुखिया को "ग्रामणी" या "ग्रामभोजक" कहा जाता था, इन्हें प्रशासनिक एवं न्याय सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्रदान किये गये थे।
- मौर्य कालीन ग्रामों के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था जिसको प्रशासकीय अधिकारों के साथ न्यायिक अधिकार भी मिले हुये थे। इनके द्वारा निर्मित नियमों को न्यायालय में भी आदर दिया जाता था।
- भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय शासनों द्वारा ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये थे। ग्राम के मालिक को "ग्राम्येक" या "ग्रामाध्यक्ष" कहा जाता था। इसके आधीन ग्रामीण प्रबन्ध का हिसाब–किताब रखने के लिये एक लेखक भी होता था।
- दक्षिण भारत के राज्यों में भी गाँव से लेकर मण्डल तक के लिये स्वशासन की उत्तम व्यवस्था थी
- प्रत्येक गाँव की एक महासभा या ग्राम सभा होती थी जिसका शासन में बहुत महत्व था।
- ग्राम सभा अपने विविध कार्यों के सम्पादनार्थ अनेक समितियां बनाती थी।
- सल्तनत एवं मुगल काल प्रायः युद्धों में व्यतीत हो जाता था इस काल में गाँव के तीन महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। मुकद्दम गाँव की देखभाल करता था, पटवारी लगान वसूल करता था और चौधरी पंचायतों की सहायता से झगड़े सुलझाता था।
- ब्रिटिश काल में नौकरशाही द्वारा समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारों का केन्द्रीकरण होने के कारण पंचायती राज व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी।
- इस काल में प्रत्येक जाति व वर्ग की अलग–अलग पंचायत बन गई जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। इसक कारण वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया, जिससे हमारा संगठित समाज वर्गों में बंट गया था।
- 1870 में विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहल हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- लार्ड रिपन के द्वारा 18 मई, 1882 को प्रस्तुत अपनें प्रस्ताव में विकेन्द्रीकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निरूपण किया गया, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है।
- 1907 के रायल विकेन्द्रीकरण कमीशन एवं 1909 के मार्ले मिन्टों सुधार अधिनियम एवं मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम–1919 द्वारा भारतीय जनता की प्रशासन में सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया गया।
- इसके पश्चात पंचायतों की स्थापना हेतु अधिनियम ब्रिटिश आधिपत्य के आठ प्रान्तों –बंगाल, बिहार, बम्बई सेन्ट्रल प्राविन्स और बरार, मद्रास,यू0पी0, संयुक्त प्रान्त पंजाब, आसाम एवं उड़ीसा में पारित किए गए।
- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लाहौर में हुए अपने 24वें अधिवेशन मे प्रस्ताव पारित करते हुये ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

■■■

परिशिष्ट –दो : 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए जोड़े गये विषय

भारत के 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243–जी के तहत जोड़े गये प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को अपने क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत जनकल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यों को सम्पादित करने तथा सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए 29 विषय पंचायतों के अधिकार में दिये गये हैं, जिन्हें भारत के 11वीं अनुसूची के रूप में शामिल कर दिया गया है। वे 29 विषय निम्नांकित हैं–

गयारहवीं अनुसूची के रूप में भारत के संविधान में जोड़े गए पंचायतों के लिए प्रदत्त 29 विषय–

1. कृषि एवं उसमें शामिल कृषि विकास।
2. भूमि सुधार अथवा भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन करना। भूमि चकबन्दी एवं भूमि का संरक्षण करना।
3. लघु सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था एवं पानी निकास का विकास करना।
4. पशुधन, दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गीपालन का विकास करना।
5. मछली पालन।
6. जंगलों का लगाना, सामाजिक वानिकी एवं जंगलों का विकास करना।
7. लघु वन उत्पादित वस्तुओं को विकसित करना।
8. लघु उद्योगों जिसमें खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल हैं, की स्थापना करना।
9. खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करना।
10. ग्रामीण आवास की व्यवस्था करना।
11. पेय जल।
12. ईंधन तथा चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।

15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।

16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।

19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।

20. पुस्तकालय।

21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

22. बाजार और मेले।

23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।

24. परिवार कल्याण।

25. महिला और बाल दिवस।

26. समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।

27. दुर्बलवर्गों का विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

■■■

परिशिष्ट–तीन : पंचायतों को प्रत्यायोजित अधिकार

जनपद पंचायत को प्रत्यायोजित अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्यक्रम

1. स्कूल शिक्षा विभाग

1. ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी शालाओं का निरीक्षण.
2. साक्षरता अभियान का प्रचार–प्रसार.
3. प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार तथा संधारण .
4. छात्राओं को गणवेश प्रदाय.
5. बुक बैंक योजना.
6. औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन.
7. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान.

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

जिला पंचायतों द्वारा जनपद/ग्राम पंचायतों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जावेगी.

3. कृषि विभाग

2. कृषि का विकास और बढावा देना.
3. खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार– प्रसार तथा अमले पर नियंत्रण
4. खरीफ और रबी फसल अभियान तथा कृषि आदानों की मांग का आकलन.
5. जैविक एवं कम्पोस्ट खेती तथा बायोगैस का प्रचार और प्रशिक्षण.
6. रासायनिक खाद, बीज, जैविक खाद, कीटनाशक औषधियों, जीवाणु, खाद, उन्नत कृषि यंत्रों जैसे आदानों की वितरण व्यवस्था तथा गुण नियंत्रण,
7. ग्रामीण विकास के अर्न्तगत उर्वरक बीज, फसल गोदामों का निर्माण
8. चयनित कृषकों को प्रदर्शन तथा मिनी किट वितरण कार्यक्रमों का नियंत्रण.
9. रु. 5.00 लाख तक की लागत की लघुत्तम सिंचाई योजनाओं का निर्माण, रख–रखाव संचालन और प्रबन्धन.
10. विभिन्न शासकीय योजनाओं के अर्न्तगत हितग्राहियों का चयन कर जिला पंचायतों को प्रस्तुत करना.

उद्यानिकी:–

1. उद्यानिकी का विकास.
2. पंचायत क्षेत्र के लिए उद्यानिकी विकास कार्यक्रम तैयार करना.
3. प्रदर्शन तथा मिनीकिट एवं प्रदर्शन योजनाओं के लिए कार्यक्रमों का प्रबंधन
4. हस्तांतरित परिसंपत्तियों का रख–रखाव.

4. पशुपालन विभाग

1. पशु चिकित्सालय एवं पशुधन सेवाओं का प्रबन्धन और रख–रखाव
2. मवेशी कुक्कुट अन्य पशुधन की नस्लों का विकास
3. पशुधन/कुक्कुट आदि महामारी एवं छूत की बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम.
4. पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा संस्था प्राथमिक उपचार के केन्द्रों/ ग्रामीण पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं रख–रखाव
5. विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम
6. महामारियों एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहयोग.
7. आवश्यकतानुसार चारे की व्यवस्था और प्रबंध.

5. मछली पालन विभाग

1. 10 से 100 हेक्टेयर तक औसत जलक्षेत्र के तालाबों में मत्स्य विकास के पट्टे देना.
2. हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करना तथा जिला पंचायत को भेजना.

6. ग्रामोद्योग विभाग

1. ब्लाकवार व माइक्रोवाटर शेड वार ग्रामोद्योग के प्रभावी नियोजन व विकास की जिम्मेदारी.

7. खेल युवक कल्याण विभाग

1. जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन व जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना .

8. वन विभाग

1. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना.

9. खनिज साधन विभाग

1. गौण खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण का कार्य.

10. राजस्व विभाग

सार्वजनिक तालाबों की व्यवस्था;

11. ग्रामीण विकास विभाग

1. योजनार्न्तगत में उपलब्ध कराई गई राशि के 15 प्रतिशत अंश का स्वयं की प्राथमिकता अनुसार व्यय.
2. योजनार्न्तगत में उपलब्ध कराई गई राशि के 30 प्रतिशत अंश का स्वयं की प्राथमिकता अनुसार व्यय.
3. ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण
4. ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण
5. हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करना.
6. ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण
7. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का क्रियान्वयन
8. रु. सात लाख तक के कार्य

प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार :

1. रु.10 लाख तक के कार्य

12. वित्त विभाग

1. विकास खण्ड में स्थित एवं कार्यरत सभी व्यवसायिक बैंकों के शाखा प्रबन्धकों की "खण्ड स्तरीय समन्वय समिति" की बैठक का संयोजन.

13. श्रम विभाग

1. समस्त जनपद पंचायतों को बाल श्रमिक; (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना योजना में जिला पंचायत की स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान.

14. सामाजिक न्याय विभाग

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन,
2. उपकरणों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन.
3. ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का पर्यवेक्षण.
4. विकलांग छात्रवृत्ति.

पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए यह जरूरी था कि पाँचवी अनुसूची वालें राज्य अपने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार कानून बनाएँ और प्रदेश में पहले से लागू कई कानूनों में जरूरी बदलाव करें ताकि पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 की भवना के अनुरुप अनुसूचित क्षेत्रों को स्वशासन के व्यापक अधिकार मिल सकें। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने प्रदेश पंचायत अधिनियम में जरूरी संशोधन करते हुए अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को स्वशासन के व्यापक अधिकार दिए गए। इसके लिए प्रदेश के –

- भू–राजस्व संहिता और
- आबकारी अधिनियम
- पंचायत राज अधिनियम में जरूरी संशोधन भी किए गए तथा वन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में निम्नवत आवश्यक संशोधन किये गये हैं।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबन्ध 1996 के प्रावधानों को प्रदेश के पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में समाहित करने हेतु संशोधन।
- अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों के प्रमुख के स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित।
- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा न की जाकर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता किए जाने का प्रावधान।
- अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने का प्रावधान ।
- ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अर्न्तगत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुऐ प्रबन्ध करने का प्रावधान।
- अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातिय उप–योजनाए सम्मिलित है तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतो और व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान।

पंचायतें, कर तथा गैर कर दोनों प्रकार के साधन उगाह सकती हैं।

जिला पंचायतों को प्रत्यायोजित अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्यक्रम

1. स्कूल शिक्षा विभाग

1. शालाओं का प्रबंधन एवं संचालन.
2. शाला भवन आदि की व्यवस्था.
3. शालाओं में अवकाश तथा अध्ययन की अवधि.
4. शिक्षण सामग्री का क्रय.
5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय एवं बुक बैंक योजना.
6. निःशुल्क गणवेश वितरण.
7. औपचारिकेत्तर शिक्षा कार्यक्रम.
8. मध्यांह भोजन कार्यक्रम.
9. आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना.
10. छात्रवृत्ति और शिष्य वृत्तियों का वितरण.

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रबंधन एवं संचालन।
2. जिले में रोगों की रोकथाम।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कियान्वयन एवं दायित्व।
4. पंचायतों को सौंपी गई संस्थाओं के भवनों तथा उपकरणों का रखरखाव।
5. राज्य समिति के रेट कान्ट्रैक्ट पर आधारित दवाईयों का क्रय।

3. चिकित्सा शिक्षा विभाग

1. स्थापना कार्य–प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित् 2079 औषधालयों का प्रबन्धन एवं संचालन।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियंत्रण।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों के भवनों का निर्माण, मरम्मत और रख–रखाव।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किराये के भवनों में चल रहे औषधालयों के किराये का भुगतान।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना. विकास/स्वास्थ्य सेवाऐं आदिः–

4. विकास स्वास्थ्य सेवायें आदि

6. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में क्वांथ (काढें) का स्थानीय तौर पर बनाया जाना.

7. वनोषधियों के उत्पादन का कार्य.

8. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों पर निगरानी एवं महामारी की रोकथाम, उपचार के उपाय।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में शुद्ध पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों के लिये हाट बाजार के दिनों को छोड़कर, अवकाश का निर्धारण।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के काटने, सर्पदंश, बिच्छुदंश पर नियंत्रण हेतु पर्यवेक्षण।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पूर्ण भागीदारी।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य विकास समितियों का गठन।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचकर्म, चिकित्सा क्षार–सूत्र, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग का प्रचार–प्रसार, संवर्धन करना।

15. ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों का निरीक्षण, उपस्थिति, कार्यों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में मेलों/उत्सवों पर स्वास्थ्य सेवाऐं सुनिश्चित करना।

18. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में जीवन–रक्षक औषधियों की व्यवस्था करना।

5. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग

1. शालाओं का प्रबन्धन एवं संचालन.

2. शाला भवन आदि की व्यवस्था

3. शालाओं में अवकाश तथा अध्ययन की अवधि

4. शिक्षा सामग्री का कय

5. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय एवं बुक बैंक योजना

6. निःशुल्क गणवेश वितरण

7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

6. कृषि विभाग

1. उन्नत खेती के तरीके समेत कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीकों का प्रचार प्रसार.
2. कृषि मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन
3. कृषि विस्तार कार्यक्रम एवं उनसे संबंधित अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण
4. कृषि में लगने वाले आढानों जैसे–उर्वरक, बीज, कीटनाशक

   दवाईयां का प्रबंध तथा गुण नियंत्रण,
5. समस्त योजनाओं का अनुमोदन तथा हितग्राहियों का अनुमोदन
6. समस्त फसल अभियान कार्यक्रम
7. जैविक खेती, कम्पोस्ट तथा बायोगैस कार्यक्रमों का कियान्वयन, कृषक एवं कुशल कार्यकर्ता प्रशिक्षण
8. पड़त एवं ऊसर भूमि विकास
9. अनुदान की स्वीकृति
10. रुपये 10.00 लाख तक लागत की लघुत्तम सिंचाई योजनाओं का निर्माण,रख–रखाव,संचालन और प्रबन्धन
11. कृषक भ्रमण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
12. फसल बीमा योजना के कियान्वयन की समीक्षा
13. कृषि उपयोग हेतु गोदाम, शीतगृह एवं अधोसंरचना का निर्माण,
14. योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पूर्ति समीक्षा योजनाओं की गुणात्मक समीक्षा.

7. उद्यानिकी

1. उद्यानिकी का विकास एवं प्रोत्साहन.
2. रोपणियों की स्थापना और रखरखाव
3. सब्जियों, मसाला और फूलों फलों की उन्नत खेती का कार्यक्रम तैयार करना एवं कियान्वयन
4. कृषकों का प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियां
5. बीज, पौधों का उत्पादन ? गुण नियंत्रण एवं वितरण व्यवस्था
6. हस्तांतरित परिसंपत्तियों का रखरखाव

7. विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्रदर्शन तथा मिनीकिट वितरण तथा कार्यक्रमों का निरीक्षण ।

8. विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत हितग्राहियों का चयन कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना

8. पशुपालन विभाग

1. पशु चिकित्सालय की स्थापना और प्रबंधन/ रख–रखाव

2. चलित पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों की स्थापना, संचालन तथा रख–रखाव

3. मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधन की नस्लों में सुधार

4. दुग्ध विकास व कुक्कुट व शूकर विकास को प्रोत्साहन,

5. महामारियों एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम

6. सदाबहार चारा परियोजना.

9. मछली पालन विभाग

1. जलाशयों का विकास एवं प्रबन्धन–100 हेक्टर से अधिक एवं 2000 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र तक के तालाब में मत्स्य विकास के पट्टे देना.

2. मत्स्य सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान नियम अनुसार स्वीकृत करना.

3. अनुसूचित जनजाति/जातियों के मछुआरों को मछलीपालन के लिये प्रथम तीन वर्षों में नियमानुसार अनुदान दिया जायेगा।

4. सिंचाई, जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास.

5. मछुआरों का प्रशिक्षण.

6. मत्स्य सहकारी समितियों को सहायता, पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु तालाब पट्टा, मत्स्यबीज मत्स्याखेट उपकरण आदि, के क्रय के लिये ऋण एवं अनुदान.

7. अनुसूचित जनजाति/जाति को मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान प्रथम तीन वर्षों में हिस्सा पूंजी, तालाब, पट्टा मत्स्य बीज एवं जाल क्रय के लिये नियमानुसार अनुदान दिया जायेगा।

8. योजनाओं के पर्यवेक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन के अधिकार.

9. राजीव गांधी मत्स्य विकास मिशन के अर्न्तगत संचालित सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

10. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

1. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम.

11. सामाजिक न्याय विभाग

1. विकलांगों के कृत्रिम अंग उपकरणों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन.
2. विकलांगों की पहचान हेतु सर्वेक्षण
3. वृध्दाश्रम का संचालन
4. मद्यनिषेध
5. भिक्षावृत्ति निवारण.
6. ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का अधीक्षण.
7. एक निर्धारित सीमा तक स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृति.
8. अशासकीय/शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण.
9. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

12. महिला एवं बाल विकास विभाग

1. अनाथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण की सुविधा.
2. बच्चों के लिए झूलाघर.
3. चलित शिशुघर
4. ग्राम बालबाडियां
5. जागृति शिविर
6. लाडली लक्ष्मी योजना
7. दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम
8. वैश्यावृत्ति उन्मूलन
9. महिला समृध्दि योजना.
10. इंदिरा महिला योजना
11. दत्तक पुत्री योजना.

13. ग्रामोद्योग विभाग

1. जिला में ग्रामोद्योग के नियोजन व बहुमुखी विकास की जिम्मेदारी।
2. ग्रामोद्योग के विकास की संभावनाओं का आंकलन, नियोजन, वार्षिक कार्य योजना बनाने का दायित्व।
3. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ग्रामोद्योग के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था कराने का दायित्व।
4. विभिन्न तकनीकी संस्थाऐं, जैसे रेशम संचालनालय, हाथ करघा संचालनालय, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प विकास निगम, चर्म विकास निगम, आदि से समन्वय स्थापित करके ग्रामोद्योग के लिये बैकवर्ड फारवर्ड लिंकजेस की व्यवस्था करना।
5. जिले में ग्रामोद्योग विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिवार मूलक योजना और कल्पवृक्ष योजना का कियान्वयन।
6. स्वरोजगार योजनाऐं तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अर्न्तगत ग्रामोधोग इकाईयों की स्थापना।

14. खेल युवक कल्याण विभाग

1. जिला स्तरीय ग्रामीण खेलकुद प्रतियोगिताओं का आयोजन व क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में दल भेजना।
2. विकास खण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन व जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना।
3. जिला स्तरीय खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा एवं क्षेत्रीय प्रतियोगिता में दल भेजना।
4. जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।

15. वन विभाग

1. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना.
2. किसानों एवं संस्थाओं को वानिकी कार्यों में प्रतिस्पर्धा के लिये प्रोत्साहन देना।

16. खनिज साधन विभाग

1. रु. 5.00 लाख के उपर के गौण खनिजों (साधारण पत्थर, रेत, मुरम, मिट्टी की खदानें) स्वीकृत करने का कार्य।
2. रायल्टी वसूली का कार्य।
3. गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर नियंत्रण का कार्य।

17. राजस्व विभाग

1. बंधुआ मजदूरी विमुक्त अधिनियम का पर्यवेक्षण।

18. ग्रामीण विकास विभाग

1. जीवन धारा योजना : जनपद पंचायत वार लक्ष्य का निर्धारण
2. इंदिरा आवास योजना : जनपद पंचायत वार लक्ष्य का निर्धारण
3. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना : एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का पर्यवेक्षण. जनपद पंचायत के लिए लक्ष्यों का निर्धारण
4. उन्नत टूल, किट प्रदाय कार्यक्रम का पर्यवेक्षण. प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार : रु. 10 लाख से अधिक 50 लाख तक के कार्य

19. वित्त विभाग

1. जिला अग्रणी बैंक के सहयोग से जिलास्तरीय सलाहकार समिति का समय–समय पर आयोजन
2. जिले के ग्रामीण क्षेत्र की विकास गतिविधियों में सभी व्यवसायी ग्रामीण और सहकारी बैंकों का अधिकाधिक सहयोग लेना ।

20. श्रम विभाग

1. बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रयोजन के लियें जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार में निरीक्षण के रूप में नियुक्ति ।
2. इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना योजना के आवेदन पत्र स्वीकृत करना ।

21. ग्रामीण विद्युतिकरण एवं ऊर्जा गैर पारम्परिक ऊर्जा समेत

1. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का नियोजन, बटवारा, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण ।
2. ऊर्जा बचत पर अनुदान
3. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रेतों का विकास और प्रोत्साहन
4. ऊर्जा नीति के संबंध में योजना बनाना और मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के साथ समन्वय करना ।

परिशिष्ट–चार : पंचायतों द्वारा विकास योजनाओं का कियान्वयन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मरनेगा)

1. महिला एवं बाल विकास

क्र. स.	योजना	सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां	संभावित परिणाम
1	एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)	1. ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता से गाँव मानचित्रण सुनिश्चित करना। 2. गाम पंचायत के साथ उचित संपर्क का विकास और आंगनवाडी केन्द्र की गतिविधियों में सरपंच व अन्य सदस्यों की भागीदारी की सुनिश्चिता करना 3. ग्राम पंचायत के सहयोग से गाँव में आंगनवाडी के लिए एक उपयुक्त स्थान का प्रावधान कराना। 4. आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता से गाँव के जन्म मृत्यु पंजीकरण का रखरखाव करवाना। 5. कार्यक्रम की विभिन्न सेवाओं से लिए सभी पत्र लाभार्थियों को पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाऊी कार्यकर्ता द्वारा किए गए सामुदायिक सर्वेक्षण सत्यापित करना। इसमें 0 – 6 वर्ष की उम्र के शिशु खतरे के लक्षण विशेषकर दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती और छात्री माताएं व किशोरियां शामिल होंगी। 6. सुनिश्चित कर सकेंगे कि गर्म पका भोजन तैयार हो और आगनवाडी केन्द्रों में नियमित रूप से वितरित हो। 7. सुनिश्चित करें कि जिला मुख्यालय से एसएनपी की आपूर्ति में काई व्यवधान नहीं है। यदि ऐसाहै तो सीध जिला कार्यक्रम अधिकारी से इस मामले पर बात कर सकते है।	**1. लाभार्थियों का बेहतर कवरेज हो सकेगा।** **2. आंगनवाडी केन्द्रों का बेहतर बुनियादी ढांचा बन सकेगा।** **3. पोषण और स्वाथ्य सेवाओं का बेहतर वितरण हो सकेगा।** **4. कुपोषण में कमी लाई जा सकती है।** **5. मृत्यु दर और रूग्णता सूचकांकोंमें कमी आयेगी।** **6. पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं उपयोग में वृद्धि होगी।** **7. स्वास्थ्य और कुपोषण के बारे में समुदाय में बेहतर जागरूकता एवं समझ विकसित होगी।**

		8. सुनिश्चित करें कि आंगनवाडी कार्यकर्ता के सभी बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी होगी। 9. सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य जांच, सभी बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकारण नियमित रूप से किया जा रहा है। 10.ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीचएएनडी) पर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन। 11.कम से कम महीने में एक बार महिलाओं, किशोरियों और समुदाय के लिए स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। 12.आंगनवाडी केन्द्र से बच्चों के प्राथमिक स्कूल तक जाना सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्कूल शिक्षक और आंगनवाडी कार्यकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना। 13.महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य समुदाय आधारित संगठनों की स्थापना में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन करना। 14.आंगनवाडी केन्द्र के दैनिक कामकाज की निगरानी करना। 15.रिकार्ड और रजिस्टरों के रखरखाव में आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता और मार्गदर्शन सभी लाभार्थियों को आसान और किसी भी अवरोध के बिना योजना की सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने की आईसीडी एक के क्रियान्वयन में शामिल सरकारी एजेंसियों और आंगनवाडी केन्द्रों के बीच कडी के रूप में कार्य करना।	**8. एस एनपी की नियमित आपूर्ति एवं वितरण सुविधा हो सकेगी।** **9. बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकारण करने में मदद् मिलेगी।** **10. विकास में मदद मिलेगी।** **11. प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित पंजीयन सुनिश्चित होगा।** **12. ग्राम स्तर की संस्थाओं का सुदृढीकरण कर सकेंगे।** **13. आंगनवाडी**

2	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	1. ग्राम बाल संरक्षण समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे और नियमित अंगराल पर बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करेगा। 2. ग्राम बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और गाँव के सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सहभागिता के अधिकारों से संबंधित पर्याप्त सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। 3. कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह की रोकथाम के बारे में समुदाय को शिक्षित करने के लिए विशेष जागरूकता शिविरों/वार्ता का आयोजन करना। 4. बच्चों के अभाव को रोकने के लिए जोखिम वाले परिवारों और बच्चों की पहचान करना और आवश्यकता होने पर उन्हें विकासखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की सहायता से आवश्यक संस्थागत देखभाल करने की व्यवस्था करना। 5. बाल ट्रेकिंग प्रणाली के लिए गाँव में नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करना। 6. संसाधन मानचित्रण करना और जिले में बच्चों से संबंधित सेवाओं की एक संसाधन निर्देशिका तैयार कराना।	**1. ग्राम स्तर पर बल संरक्षण गतिविधियों को मजबूत बनाना** **2. बाल अधिकारो के संरक्षण के बारे में समुदाय में बेहतर जागरूकता आयेगी** **3. गरीबी और बाल श्रम की रोकथाम होगी।** **4. देखभाल और संरक्षण की जरूरत में बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल के उपयोग में वृद्धि हुई होगी।** **5. बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में कमी आयेगी।** **6. किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार होगा।** **7. जीवन कौशल पर किशोरी बालिकाओं को बेहतर ज्ञान और मातृत्व, घर पर देखभाल प्रबंधन और बच्चे की देखभाल प्रथाओं पर बेहतर तैयारी होगी।**

			8. लडकियों में बेहतर व्यावसायिक कौशल का विकास जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढेगी। **9. महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण होगा।**
3	सबला	1. सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर वर्गो की किशोरी बालिकाओं को लेकर आंगनवाडी कार्यकर्ता ने प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र में किशोरी समूह का गठन किया है और इस काय्र को पूरा करने में समूह को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। 2. बैठकों, घर का दौरा और अन्य साधनों की तरह सामुदायिक शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से किशोरियों की समुचित स्वास्थ्य और पोषण देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढाएंगे। 3. किशोरी बालिकाओं को परिवार कल्याण, बच्चो की देखभाल के तरीके और घर प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले जिला स्तरीय सीबीओ/गैर सरकारी संगठनों की एक सूची तैयार करेंगे और आंगनवाडी केन्द्रो पर ये सेवाएं प्रदान करने में आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता करेंगे। 4. जीवन कौशल शिक्षा पर गौर मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं तथा उनका उपयोग कैसे हो इस बारे में किशोरी बालिकाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनो, सीबीओ के साथ सहायोग जागरूकता चर्चा का आयोजन करना। 5. व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) की सहायता से 16 वर्ष की उम्र के ऊपर की किशोरी बालिकाओं के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण की सुविधा देना।	**• किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार होगा।** **• जीवन कौशल पर किशोरी बालिकाओं को बेहतर ज्ञान और मातृत्व घर पर देखभाल प्रबंधन और बच्चे की देखभाल प्रथाओं पर बेहतर तैयारी होगी।** **• लडकियों में बेहतर व्यावसायिक कौशल का विकास जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढेगी।** **• महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण होगा।**

		6. सुनिचित करना कि आंगनवाड़ी केन्द्र में सभी किशोरी बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नियमित प्रदान की जा रही है।	• **लडकियों में बेहतर व्यवसायिक कौशल का विकास जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढेगी।** • **महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण होगा।**
4	लाडली लक्ष्मी योजना	1. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार गाँव में योजना के लाभार्थियों की पहचन करना और उसका रिकार्ड रखना। 2. उचित दस्तावेज के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र बनाने में संभावित लाभार्थियों की सहायता करना। 3. बालिकाएं कक्षा 11 वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा जारी रखें और उनका विवाह भी 18 वर्ष की उम्र के बाद हो यह सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों के साथ उचित फालोअप। सामुदायिक स्वयं सेवी कार्यकर्ता परिवार के संपर्क में रहेगे और बालिका के समग्र विकास की आवयकता पर उन्हें शिक्षित करना जारी रखेंगे।	**1. इस योजना का लाभ लेने में माता पिता की सहायता होगी।** **2. योजना में परिकल्पित सेवाओं के उपयोग में सुधार होगा।** **3. जल्दी शादी और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में कमी आयेगी।** **4. योजना की बेहतर निगरानी होगी।**
5	ऊषा किरण योजना	1. गाँव में घरेलू हिंसा से पीडित लोगों की पहचान करना। 2. पीडित के परिवार के सदस्यों को परामर्श देना और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताना। 3. अगर फिर भी हिंसा जारी रहती है तो सरकार द्वारा विकासखंड स्तर पर मनोनीत संरक्षण अधिकारी की सहायता से पीडित को अस्थाई आश्रय कानूनी सेवा, पुलिस सुरक्षा और चिकित्सा सहायता जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करना।	**1. घरेलू हिंसा अधिनियम के कानूनी निहितार्थ के बारे में समुदाय में अधिक जागरूकता आयेगी।।** **2. घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी।** **3. घरेलू हिसा के शिकार लोगों के लिए सेवाओं की पहुंच एवं बेहतर सेवा उपलब्ध होगी।**

6	**इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना (आई.जी. एम.एसवाय)**	**1. योजना के दिशा निर्देश के अनुसार 19 वर्ष या अधिक आयु वर्ग की सभी गर्भवती महिलाओं की पहचान करने आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और सहायता करना।** **2. तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के बारे में शिक्षित करना।** **3. सुनिश्चित करेंगे कि छह महीने की उम्र तक के सभी बच्चों को टीकारण की सेवाऐं प्रदान की जा रही है।**	**1. पौष्टिक आहार और बेहतर स्वच्छता पर खर्च करने के लिए गर्भावस्था के दौरान गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।** **2. सामान्य वजन वाले और स्वस्थ्य बच्चों का जन्म होगा।** **3. बच्चे के बेहतर पालन प्रथाओं पर शिक्षण हो सकेगा।**

2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना	1. गाँव की बीपीएल परिवारों की सभी गर्भवती महिलाओं का रिकार्ड रखेंगे। 2. विकासखंड और जिले के सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों का रिकार्ड रखना होगा जहां लाभार्थियों का पंजीयन किया जाएगा। 3. गर्भवती सभी महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करेंगे। 4. यह सुनिश्चित करेंगे कि मान्यता प्राप्त अस्पतालों में हितग्राहिओं महिलाओं को आसानी सेवाएं प्रदान करेंगे। 5. अगर कोई दावा है तो योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी यूनाईटड इंश्योरेंस कंपनी के साथ दावे के निपटारे में हितग्रही महिलाओं की सहायता करेंगे।	**• बीपीएल परिवारों की लाभार्थी महिलाओं का शत प्रतिशत कवरेज** **• लाभार्थियों द्वारा योजना को स्वीकार्यता में वृद्धि**

2	जननी एक्सप्रेस योजना	1. लाभार्थी महिलाओं और परिवाहन के उद्देश्य से तय परिवहन एजेंसी के बीच उचित संपर्क बनाए रख कर प्रसव के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को परिवाहन सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।	**1.सेवा की पहुंच और विश्वसनीयता में वृद्धि**
3	जननी सहायोग योजना	1. विकासखंड और जिले के सभ पीएसपी को एक सूची तैयार करेंगे 2. गाँव के सभी बीपीएल परिवारों की सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की एक सूची तैयार करेंगे और नियमित रूप से अद्यतन करेंगे। 3. मान्यता प्राप्त पीएसपी की सेवाओं तक पहुंचने में लाभार्थियों की सहायता करेंगे।	**1.लाभार्थियों की योजना तक पहुंच में वृद्धि** **2.पीएसपी द्वारा की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर नजर** **3.योजना के बारे में लाभार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि**
4	धनवंतरी प्रखंड विकास योजना	1. अधिकतम लोगो द्वारा इस अभिनव योजना का लाभ लेना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। 2. सभी आवश्यक दवाओं और परिवार नियोजन के तरीके के भंडार धारक के रूप में कार्य करेंगे। 3. सभी पात्र दंपतियों को सभी अस्थाई और स्थाई परिवार नियोजन की विधियों की जानकारी प्रदान करेंगे। 4. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ का उपयोग करने के लिए सभी गरीब मरीजों की सहायता करेंगें।	**1. टीकरण प्रसरव पूर्व जांच एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि होगी।** **2. कुपोषण की दर मे कमी आयेगी।** **3. परिवार नियोजन उपयोगिता में वृद्धि होगी।**
5	प्रसव हेतु परिवाहन एवं उपचार योजना	1. गाँव की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की सभी गर्भवती महिलाओं की पहचान और रिकार्ड रखेंगे। 2. यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाईयां सहित सभी सेवाओं का निःशुल्क उपयोग कर रहे है।	**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच संस्थागत प्रसव में वृद्धि होगी एवं सेवाओं की पहुंच बनेगी।**

6	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना UPACHAR YOJANA ANTYHODAY UPACHAR YOJANA	1. गांव के प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति और बीपीएल परिवार के लिए स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 2. यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता होने पर गाँव के सभी चिन्हित परिवारों को सरकारी अस्पतालो में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य और अस्पताल सुविधाएँ प्राप्त हों। 3. लाभार्थियों द्वारा सेवाओं का लाभ लेने के सभी मामलों का रिकार्ड रखना होगा।	**1. बीपीएल परिवारों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति** **2. योजना की बेहत प्रभाव और पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।**
8	मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना	1. कैसंर, स्तर सर्जरी, गुर्दे की सर्जरी, कुल्हे को बदलना, घुटना बदलना, रीड की हड्उी की सर्जरी, जटिल प्रसव, हृदय सर्जरी, गुर्दे की समस्या और न्यूरो सर्जरी जैसी बीमारियों के रोग पीडित गाँव के बीपीएल परिवारों के व्यक्तियों की पहचान करेंगे। 2. जिले/राज्य में ऐसे अस्पतालों की पहचान जहां इन बीमारियों का उपचार उपलब्ध है। 3. आवेदन करने के लिए उचित दस्तावेज तैयार करने और आवेदन प्रस्तुत करने में रोगियों की सहायता करेंगे। 4. ऐसे मामलों पर तब तक नजर रखना जब तक कि रोगियों द्वारा इस योजना का लाभ नहीं उठा लिया जाता।	**1. योजना के उपयोग की दर में वृद्धि होगी** **2. जरूरतमंद गरीब और अनपढ मरीजों की सेवाओं तक आसार पहुंच बनेगी।**
9	जननी सुरक्षा योजना	1. इस योजना के दिशा निर्देशों के तहत लाभ के लिए हकदार सभी गर्भवती माताओं की पहचान करने में आशा कार्यकर्ता की सहायता और मार्गदशन और एएनसी के लिये पंजीकरण करवाना। 2. विकासखंड और जिले के सभी मान्यता प्राप्त निजी और सरकारी संस्थानों की एक सूची तैयार करेंगे जहां संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।	**1. संस्थागत प्रसव में वृद्धि होगी।** **2. अधिक जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को नगद सहायता का लाभ पहुंचेगा।**

		3. संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती माताओं को परामर्श देंगे और प्रेरित करेंगे। 4. संस्थागत प्रसर के लिए मान्यता प्राप्त निजी/सरकारी संस्थाओं की संवाओं का उपयोग करने में गर्भवती महिलाओं की सहायता करेंगे।	
10	**अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन (एबीएम)**	**1. स्थानीय पंचायत और अन्य पंचायती राज संस्थाओं से वर्तनमान आंगनवाडी केन्दों के मानकों को ऊपर उठाने में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और सहायता करना।** **2. ग्राम स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में समुदाय विशेष रूप में महिला और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना।** **3. जोखिम वाले परिवारों की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकार्ताओं का मार्गदर्शन एंव कुपोषण को रोकने के लिए घरेलू स्तर पर आवश्यक परामर्श सुनिश्चित करना।** **4. विशेष रूप से आयोजित सत्र के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा व परामर्श जैसी गतिविधियों और घर आधारित विकास की निगरानी के लिए आगनवाडी कार्यकर्ता का मार्गदर्शन और सहायता करना।**	**1. कुपोषण की दर में कमी आयेगी।** **2. वृद्धि निगरानी गतिविधियों में सुधार होगा।** **3. बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में समुदाय में अधिक जागरूकता आयेगी।**

3. सामाजिक न्याय

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1. ग्रामीण जनता में योजनाओं के बारे में जागरूकता बढाने 2. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार गाँव में ही योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करेंगे और उसका रिकार्ड रखेगे।	**1. इन योजनाओं के परिकल्पित सेवाओं के उपयोग में सुधार होगा**
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		

3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेशन योजना	3. उचित दस्तावेज के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र बनाने में संभावित लाभार्थियों की सहायता करना। 4. लाभार्थियों के साथ सुनिश्चित करने के लिये फ़ालोअप कि वे नियमित रूप से अपने अधिकारों के अनुसार इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है।	**2. इन योजनाओं के तहत आवंटित बट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।** **3. सामाजिक सुरक्षा सेवा में सुधार होगा**
4	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना		
5	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		
6	मुख्यमंत्री श्रमिक सुरक्षा योजना		
7	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना		
8	विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना		
9	**मानसिक और शारिरिक रूप से निःशक्त छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना**		

4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1. लोगों में योजना और इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाएगें। 2. अधिनियम/योजना के विभिन्न प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाना और महिलाओं को और विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।	1. श्रमिकों की शिकायतों में कमी आयेगी। 2. श्रमिकों को उचित सुविधाएं और समय से भुगतान होगा।

		3. कर्मचारी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना और अधिनियम में निर्धारित दिनों की कम से कम संख्या में रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। 4. सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके इस योजना के क्रियान्वयन पर एक उचित नजर रखेंगे। 5. गाँव सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति के एक सदस्य के रूप में कर्य करना। 6. कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए पीने का पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना। 7. योजना के सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेना आदि।	3. महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। 4. विकलांगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। 5. योजना के क्रियान्वयन की पारदर्शिता में सुधार होगा।
2	समग्र स्वच्छता अभियान	1. गाँवों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्गित परिवारों के लिए सेनेटरी शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था करना। 2. सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटरी शौचालय के निर्माय की व्यवस्था करना। 3. स्कूलों और आंगनवाडी केन्द्रों में सेनेटरी शौचालय के निर्माण की व्यवस्था 4. गाँव में ठोस और तरल अपशिष्ट निपटारे के लिए सुविधाओं के निर्माण की व्यवस्था कराना 5. गाँव में ग्रामीण स्वच्छता मार्ट की स्थापना के लिए समुदाय/स्वयं सहायता समूहों/गैर सरकारी संगठनों को जुटाना 6. एक स्वच्छ गाँव के लिए जागरूकता अभियान चलाना।	1. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। 2. सेनेटरी शौचालय के उपयोग में वृद्धि होगी। 3. गाँव की सफाई में समग्र सुधार होगा।
3	स्वजलधारा योजना	1. गाँव में स्वच्छ पेयजल सुविधा के लिए मांग पैदा करना 2. ग्राम जल और सफाल समिति सदस्य के रूप में कार्य करना	1. गाँव में जल जनित रोगों में कमी होगी 2. लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा।

4	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2. उन्हें ऋण घटक जहां लागू हो, सहित योजना का विवरण बताना 3. योजना के लिए आवेदन करने और सभी दस्तावेज जुटाने में संभावित लाभार्थियों की सहायता करना।	1. परिवार की आय में वृद्धि होगी। 2. योजनाओं की निगरानी में सुधार आयेगा। 3. योजना के उपयोग की दर से वृद्धि होगी।
5	इंदिरा आवास योजना		
6	मुख्यमंत्री आवास योजना		
7	**स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना**	**1. पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम पंचायत की सहायता करना।** **2. ऋण के लिए आवेदन करने को दस्तावेज पूरा करने में लाभार्थियों को सहायता करना और समय सीमा में ऋण का संवितरण सुनिश्चित करना।** **3. सभी मामलों को फालोअप करना और यह सुनिश्चित करना कि ऋण का उपयोग परिवार की आय में बढोत्तरी के लिए किया जा रहा है।**	**1. परिवार की आय में वृद्धि होगी।** **2. योजनाओं की निगारी में सुधारा आयेगा।** **3. योजना के उपयोग की दर से वृद्धि होगी।**

5. लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	ग्रामीण क्षेत्रों / बस्तियों में जल आपूर्ति कार्य	1. यह सुनिश्चिम करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित नीति और नियमों के अनुसार सभी परिवारों के उपलब्ध कराया गया है। 2. यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और जनजातीय इलाकों में आश्रम में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। 3. जनता में जल संचयन के लाभ के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें अपने गाँव मे इसके लिए कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना।	• **पेयजल की उपब्धता में सुधार होगा।** • **ग्रामीण क्षेत्रो में लोगों की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति आयेगी।**
2	जल संचयन योजना		

3	नए हैंडपंपों की स्थापना के लिए योजना	सुनिश्चित करना कि एन हैंडपंप सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार स्थापित किए जा रहे है और वर्तमान हैण्डपंपों का समय पर सुधार जा रहा है।	**ग्रामीण आबादी को पानी की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी।**
4	**मौजूदा हैंडपंपों की मरम्मत के लिए योजना**		**ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पाने की उलब्धता में विस्तार होगा।**

6. तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	मेरिट छात्रवृत्ति योजना	1. इन योजनाओं के बारे में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं में जागरूकता के लिए कार्यक्रम 2. इन योजनाओं द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता करना। 3. विभिन्न फार्म फरने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए अन्य औपचारिकताओं के करने में संभावित लाभार्थियों को सहायता करने के लिए कार्य कराना 4. उचित फालोअप सुनिश्चित करना ताकि योग्य लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम हो सके।	**1. इन योजनाओं की योग्य लाभार्थियों तक पहुंच में आसानी और वृद्धि होगी।** **2. विभिन्न नौकरियों के लिए तकनीकी रूप से योग्य मानव शक्ति की उपलब्धता में विस्तार होगा।**
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लडके और लडकियों के लिए छह माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण		
3	उन्नत तकनीकि प्रशिक्षण योजना		
4	आईटीआई प्रशिक्षण के लिए गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की योजना		
5	विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना		

6	ग्रामीण इंजीनियर्स योजना		
7	रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मेरिट छात्रवृति योजना		
8	आईटीआई में रोजगार कौशल के लिए मॉडयूलर योजना		
9	आई टी आई विद्यार्थियों के लिए मेरिट छात्रवृत्ति योजना		
10	पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री का निःशुल्क वितरण		
11	**स्पेशल कोचिंग स्कूल योजना**		

7 अनूसूचित जनजाति कल्याण

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	कक्षा 1 – 5 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	1. विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति और निःशुल्क गणवेश वितरण योजनाओं के बारे में आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा को मदद् करना।	**1. अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाओं के उपयोग**

2	कक्षा 6 – 8 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	2. भावी लाभार्थियों को पत्रता मानदंड आवश्यक दस्तावेजों और अर्जित होने वाले लाभ के बारे में जागरूक बनाने के लिये कार्य करना।	**में सुधार आयेगा।** **2. अनुसूचित जनजाति की आबादी में आक्षरता दर में वृद्धि हो सकेगी।**
3.	कक्षा 9 – 10 के विद्यार्थियों के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना		
4	कक्षा 11 – 12 विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		
5.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		
6	निःशुल्क गणवेश वितरण योजना		
7.	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	1. स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित करना 2. बढते बच्चों को अच्छा पोषण देने के महत्व के बारे में समुदाय को शिक्षित करना।	**1. बच्चों के स्वास्थ्य और पौषण की स्थिति में सुधार** **2. स्कूल छोडने की दर में कमी आयेगी।**
8	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना	1. पात्रता आवेदन प्रक्रिया, संभावित लाभ और लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित इन योजनाओं के बारे में जागरूता और जानकारी बढाना 2. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करने में संबंधित विभाग की सहासता और सुनिश्चित करना कि उंचित आवेदक को बिना परेशानी योजना का लाभ मिले।	**1. योजनाओं का दायरा बढेगा और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी।** **2. अनुसूचित जनजाति कल्याण की सरकारी योजना के बारे में**
9	आश्रम छात्रावास योजना		
10	अनुसूचित जनजाति राहत योजना		

11	आदर्श ग्राम पंचायत पुरूस्कार योजना		जनता में अधिक जागरूकता आयेगी।
12	अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विकास की योजना		**3. अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए बेहतर बस्तियों को निर्माण हो सकेगा।**
13	सिविल सेवा परिक्षाओं उत्तणी विद्यार्थियों के लिए नगद पुरूस्कार योजना		**4. सिविल सेवा में अनुसूचित जनजाति का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकेगा।**
14	रानी दुर्गावती और शंकर शाह योजना		**5. अनुसूचित जनजाति आबादी की शैक्षिक स्थिति में सुधार आयेगा।**
15	विदेश में पढाई के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति योजना		
16	**पाठ्य पुस्तकों का निशुल्क वितरण**		

8 पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण

क्र. स.	**योजना**	**सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां**	**संभावित परिणाम**
1	अल्पसंख्याकों के लिए मेरिट सह मिन्स छात्रवृत्ति योजना	1. पात्रता आवेदन की प्रक्रिया संभावित लाभ और लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यकताओं सहित इन योजनाओं के बार मे जागरूकता और जानकारी बढाना	**1. योजनाओं का दायरा बढेगा और लाभार्थियों द्वारा लाभ लेने की मात्रा का विस्तार होगा।**

2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक)	2. क्षेत्र में पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने और इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायकता करना।	**2. पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्याकों के बारे मे जनता में और अधिक जागरूकता आयेगी।**
3	पोस्ट मेट्रीक छात्रवृत्ति योजना (पिछडावर्ग)		
4	पिछडा वर्ग के विद्याथियों के लिये छात्र गृह योजना		
5	सिविल सेवा परीक्षा उत्तीण करने वाले विद्यार्थियों के लिए नगद पुरूस्कार योजना		
6	पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदेश में पढाई के लिए छात्रवृत्ति योजना		
7	पिछडे वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वोकेशन ट्रेनिग (रोजगार गांरटी योजना)	1. बेरोजगार युवाओं की पहचान करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए कार्य करेंगे। 2. अल्पसंख्यक आबादी की पहचान और स्वरोजगार योजना के लिए भर्ती करने के लिए उनकी सहायता करने के लिए कार्य करेंगे।	**ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से अल्पसंख्यक और पिछडे वर्गो में बेरोजगारी मे कमी हो सकेगी एवं रोजगार की तरफ अग्रसर हो सकेंगे।**
8	**मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना**		

9 अनुसूचित जाति कल्याण

क्र. स.	योजना	सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां	संभावित परिणाम
1	लडकियों के लिए साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 6)	1. अनुसूचित जाति की आबादी में लडकियों को शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता और ज्ञान का सृजन करना। 2. आवेदन के लिए दिशा निर्देश, पात्रता मानदंड और अन्य प्रक्रियागत आवश्यकताओं सहित लडकियों के लिए साक्षरता की योजना के बारे में लागों की जागरूक करना। 3. अनुसूचित जाति समुदाय से योग्य और गरीब लाभार्थियो की पहचान करने में संबंधित विभाग की सहायता करना।	**1. अनुसूचित जाति की आबादी की महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि होगी।** **2. लडकियों की साक्षरता की योजनाओं के उपयोग में विस्तार एवं सुधार निश्चित होगा।**
2	लडकियों के लिए साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 9)		
3	लडकियों के लिए साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11)		
4	छात्रावास/आश्रम योजना		
5	कक्षा 1 – 5 के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना	1. अनुसूचित जाति की आबादी में उनके कल्याण के लिए जारी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2. पात्रता आवेदन की प्रक्रिया, संभावित लाभ और लाभ प्राप्त करने के लिए। 3. अनुसूचित जाति समुदाय में योग्य और गरीब लाभार्थियों की पहचान करने में संबंधित विभाग की सहायता करना।	**1. अनुसूचित जाति लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के उपयोग में वृद्धि होगी।** **2. अनुसूचित जाति आबादी की साक्षरता दर में सुधार होगा।**
6.	कक्षा 6 – 10 के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना		
7	कक्षा 11–12 के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना		
8	कॉलेज की शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		
9	**अशुद्ध व्यवसाय छात्रवृत्ति योजना**		

10 खेल एवं युवा कल्याण

<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>योजना</th><th>सामुदायिक नेतृत्व द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियां</th><th>संभावित परिणाम</th></tr>
<tr><td>1</td><td>विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्म कालीन खेल शिविर</td><td rowspan="5">1. अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जीवन के सभी क्षेत्रों में खेल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।
2. सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए गाँव के युवाओं को प्रेरित करना।
3. खेल विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में गाँव की युवाओं की सहायता करना।</td><td rowspan="5">खेल गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी बढेगी।
युवाओं में राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संचार एवं विस्तार होगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जिला तथा संभागीय स्तरों पर खेज प्रशिक्षको की नियुक्ति</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पंचायत युवा क्रीडा एंव खेल अभियान (पायका)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पायका महिला खेलकूद प्रतियोगिता</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पायका ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अभिनव युवा अभियान</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>ग्रामीण युवा केन्द्र</td><td></td><td></td></tr>
</table>

म. प्र. सरकार के विभिन्न विभागों के तहत गठित ग्राम स्तरीय समितियों में सामुदायिक नेतृत्व की संभावित भूमिका

1. पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
	सतर्कता और निगरानी समिति (मनरेगा)	ग्राम स्तर पर समिति के सदस्य सचिव होते हैं और नियमित रूप से बैठकों का आयोजन कार्य स्थल का दौरा शुरू कर और समिति द्वारा दिए सुझाव की फालोअप कार्यवाई सुनिश्चित कर समिति का कामकाज सुचारू करना सुनिश्चित करते है।
	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति	समिति के सदस्य सचिव होंगे और गाँव में शौचालय का निर्माण करने में भी सहायता करेंगे। इसके अलावा स्वच्छता पर जागरूकता अभियान का आयोजन कर सकेंगे।
	ग्राम जल संचयन समिति	समिति के सदस्य होंगे और जल संचयन और संरक्षण, आजीवितका पैदा करने जैसी समिति की गतिविधियों में सहायता करना।

2. स्कूल शिक्षा विभाग

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1.	स्कूल प्रबंधन समिति (एसएसए)	समितियों का सदस्य होना और गाँव के शत प्रतिशत बच्चों का नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा स्कूल के दैनिक प्रबंधन के साथ ही भविष्य की कार्यवाही योजना को समय पर तैयार करने में सहायता करेंगे।
2.	स्कूल विकास और प्रबंधन समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	

3. जल संसाधन विभाग

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	जल उपभोक्ता समिति	सदस्य सचिव के रूप में जलीय स्रोतों के रखरखाव को सुनिश्चित करेंगे और अधिक सिचाई सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेंगे।

4. शहरी विकास

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	दीनदयाल अंत्योदय समिति	20 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी में सहायता कर सकेंगे। लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता करेंगे।
2	सामुदायिक विकास समिति	

5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	तदर्थ समिति	समिति के सदस्य सचिव होगें और गाँव में सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने में समिति की सहायता करना कल्याणकारी योजनाओं, जल परीक्षण और जल संरक्षण गतिविधियों में जगरूकता बढाने में सहायता करेंगे।

6. वन

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	वन सुरक्षा समिति (गहन वनों में)	इन दोनों समितियों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर सकते है और वन संरक्षण और पौधरोपण गतिविधियों को मदद करेंगे। प्रबंधन में मदद करेंगे।
2.	ग्राम वन समिति	

7. योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	अंत्योदय समिति	समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर सकते है और ग्राम स्तर पर राज्य की सभी विकास योजनाओं की निगरानी करने में मदद का सकेंगे।

8. पुलिस

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	थाना स्तरीय शांति समिति	समिति के सदस्य के रूप में विशेष त्यौहारों और कार्यो पर शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता करेंगे। क्षेत्र में (बीट) ड्यूटी की निगरानी और कोई भी अप्रिय घटना हो तो उसकी रिपोर्ट करेंगे।
2	वार्ड स्तारीय सुरक्षा समिति	
3.	गाँव स्तरीय सुरक्षा समिति	

9. खाद्य

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी समिति	समिति के सदस्य होंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली निगरानी करने में मदद करेंगे और उचित मूल्य की दुकानों पर सरकार द्वारा तय दाम पर उचित भोजन वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेंगे एवं किसी प्रकार की अनियमितताओं पर निगरानी कर सकेंगे।

10. जन अभियान परिषाद

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति	समिति के सदस्य सचिव होंगे और सभी विकास योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेंगे।

11. महिला एवं बाल विकास

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	ग्राम स्तरीय एकीकृत बाल संरक्षण समिति	इन समितियों के सदस्य सचिव होंगे और आंगनवाडी कार्यकर्ता की समिति के सुचारू संचालन में सहायता करना और ग्राम स्तर पर आईसीपीएस और आईसीडीएस योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करेंगे।
2	गाँव स्तरीय आंगनवाडी निगरानी	
3	मातृ सहयोगिनी समिति	
4	गाँव स्तरीय तदर्थ समिति	

12. स्वास्थ्य

क्र. स.	समिति का नाम	संभावित भूमिका
1	ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य तदर्थ समिति	समिति के सदस्य सचिव होंगे और गाँव को स्वच्छ रखने, रोगों के प्रसार को रोकने और गाँव के रोगियों के रेफरल कार्य के लिए नियमित गतिविधियां करने में सहायता करेंगे।

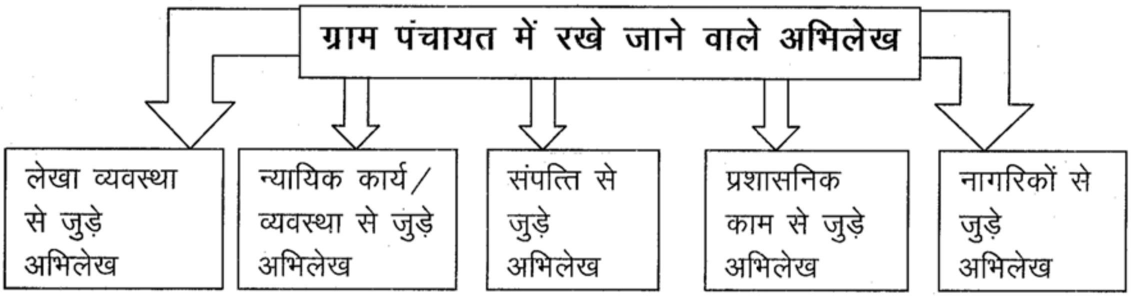
■■■

परिशिष्ट–पांच : ग्राम पंचायत के अभिलेख

प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का पारदर्शी और बेहतर ढंग से निर्वाह करने के लिए दस्तावेजों और अभिलेखों को तैयार करना पड़ता है। इन दस्तावेजों से पंचायतों को नियोजन, अपने काम की भौतिक तथा वित्तीय समीक्षा करने और तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में उचित फैसले लेने में आसानी होती है। मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और इस अधिनियम से जुड़े नियमों के आधार पर स्पष्ट होता है कि हर ग्राम पंचायत को 37 तरह के अभिलेखों को रखना चाहिए।

ग्राम पंचायत में रखे जाने वाले अभिलेख

ग्राम पंचायत में रखे जाने वाले सभी 37 अभिलेखों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–



लेखा व्यवस्था से जुड़े अभिलेख

पंचायत के कामों का हिसाब–किताब, लेन–देन आदि का दस्तावेज पंचायत में रखना आवश्यक इसलिए है कि पंचायत द्वारा किये गए सभी कार्यकलापों में हुए खर्चों का स्पष्ट विवरण पंचायत के पास उपलब्ध हों जिससे वह अपनी वित्तीय व्यवस्था की जानकारी रख सकें तथा आवश्यकतानुसार योजना आदि बना सकें। इन अभिलेखों के आधार पर हम अपनी मासिक प्रगति का आंकलन कर सकते हैं तथा किसी भी ग्राम सभा सदस्य या पंचायत सदस्य या विहित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। लेखा व्यवस्था से जुड़े अभिलेखों के आधार पर ही पंचायतों की संपरीक्षा की जाती है अतः उनका व्यवस्थित एवं नियमित रूप बनाया और रखा जाना आवश्यक है।

क्र.	अभिलेख का नाम	विवरण (यह अभिलेख क्यों)
1	रोकड़ बही (कैश बुक)	रोकड़ बही में ग्राम पंचायत की विभिन्न स्रोतों से होने वाली संपूर्ण आमदनी तथा विभिन्न मदों पर किये जाने वाले समस्त व्यय को अंकित किया जायेगा। प्रतिदिन के आय–व्यय का हिसाब अंकित होगा। किसी विशेष दिन आय–व्यय नहीं हुआ तो तिथि लिखकर निरंक बताते हुए ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर होगे।

2.	रसीद कट्टा	ग्राम पंचायत को जितनी भी वित्तीय प्रप्तियां होगी उसके लिए रसीद प्रदान की जायेगी तथा इसका प्रतिपर्ण काउंटर फाईल पर रसीद प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर लिये जायेगें।
3.	रसीद पुस्तक का **मूल (स्टॉक)** लेखा	पंचायत द्वारा जितनी रसीद पुस्तकें क्रय की गई उनका खर्च एवं बचत का हिसाब रखा जायेगा।
4.	बिल पंजी	ग्राम पंचायत द्वारा किये गये समस्त व्ययों का बिल तैयार किया जायेगा तथा बिल पंजी में अंकित किया जायेगा।
5.	वेतन बिल	पंचायत के कर्मचारियों का वेतन इस पत्रक पर तैयार किया जायेगा
6.	यात्रा भत्ता बिल	इसमें पंचायत के कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ता का ब्यौरा अंकित किया जायेगा।
7.	आकस्मिक व्यय **बिल**	विशेष परिस्थिति में किया गया खर्च जैसे स्टेशनरी आदि पर किया गया व्यय इस प्रपत्र पर बनाया जायेगा।
8.	प्राप्ति संक्षेप पंजी	ग्राम पंचायत को विभिन्न संस्थाओं से जो भी आय प्राप्त होगी उसका मदवार ब्यौरा इस पंजी में अंकित किया जायेगा।
9.	व्यय पंजी	पंचायत द्वारा जो भी खर्च किया जायेगा उसका मदवार ब्यौरा इस पंजी में अंकित किया जायेगा।
10.	वसूली योग्य अग्रिम **की पंजी**	किसी कर्मचारी या सदस्य को दिये गये अग्रिम से वसूल की गई राशि का हिसाब रखा जायेगा।
11.	पेशगी रिकार्ड बही :	इसमें अग्रिम दी गई राशि का विवरण रखा जायेगा।
12.	विशिष्ट प्रयोजन **अनुदान** का लेखा	निर्माण कार्यों से संबंधित राशि का हिसाब इस पंजी में रखा जायेगा।
13.	कर्मचारियों से ली **गई प्रतिभूतियों** की पंजी	पंचायत कर्मचारियों से बतौर जमानत जो राशि जमा कराई गई है उसका हिसाब इसमें रखा जायेगा।
14.	डाक टिकिट खर्च **पंजी**	जो भी पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा भेजे जाते है उन पर टिकिट का जो व्यय होगा उसका उल्लेख इस पंजी में किया जावेगा। प्रतिदिन अवशेष निकाल कर सरपंच से हस्ताक्षर करवाए जायेंगे।

■■■

परिशिष्ट –छ : एल.जी.डी. (लोकल गवरमेंट डायरेक्ट्री)

- एल.जी.डी. पूरे देश में प्रत्येक ग्रामीण एवं नगरीय निकाय को प्रदान **किये गये कोड** की डायरेक्ट्री है जिसमें प्रत्येक ग्रामीण एवं नगरीय निकाय को यूनिक आई.डी.नंबर दिया गया **है।**

- इस यूनिक् आई.डी. नंबर का उपयोग भारत सरकार की सभी वेबसाईट्स **पर निकायों** को पहचान देने के लिये किया जाता है।

- मध्यप्रदेश में भी पंचायतदर्पण पोर्टल पर एल.जी.डी. कोड से ही ग्राम **पंचायतों को** जोड़ा गया है तथा प्रत्येक कार्य की आई.डी. में ग्राम पंचायत कोड सम्मिलित होगा जिससे कि यह **पता लगाना** आसान होगा कि कौन सा कार्य किस ग्राम पंचायत का है।

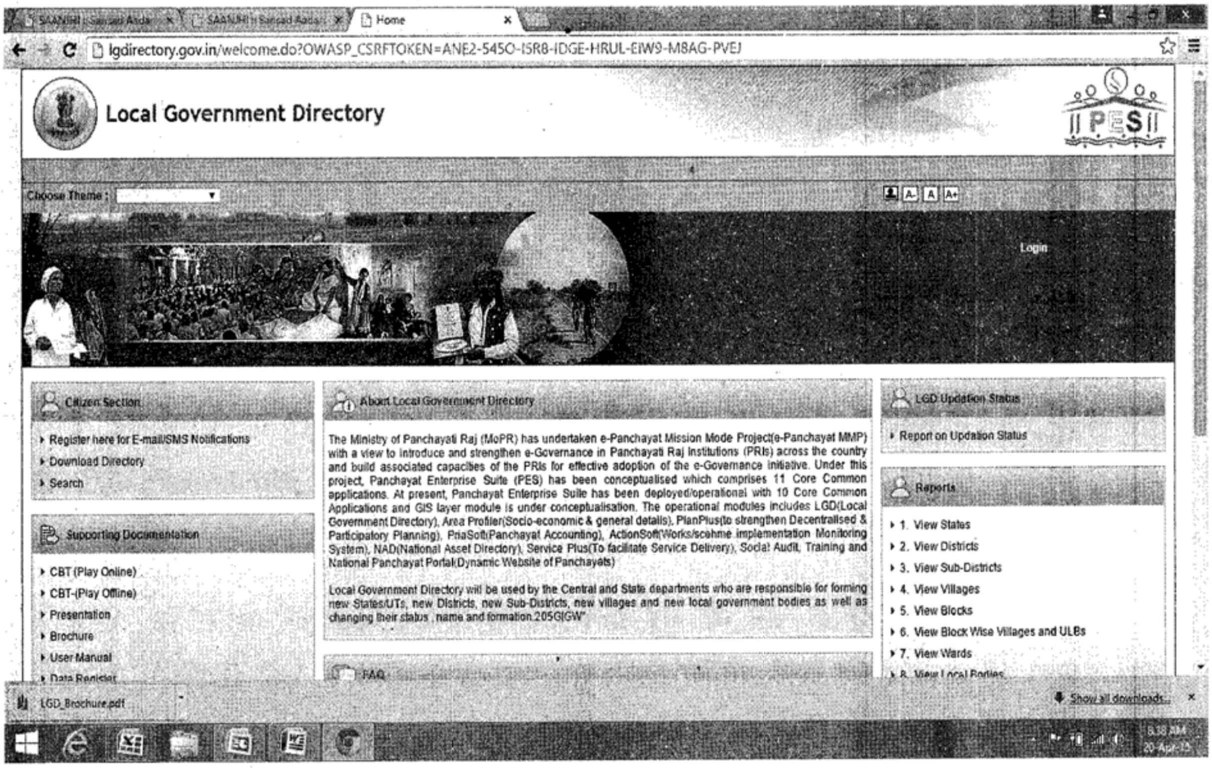
- प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक ही नाम की कई ग्राम पंचायतें होने से **कई बार प्रशास**निक आदेशों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जारी आदेश किस ग्राम पंचायत के **लिये है. एसी स्थिति** में प्रत्येक पंचायत के एल.जी.डी.कोड से यह भ्रम दूर किया जा सकेगा।

- प्रत्येक प्रशासनिक आदेश या कार्यवाही में ग्राम पंचायत के एल.जी.डी **कोड का उपयोग** करना अनिवार्य किया जा रहा है।

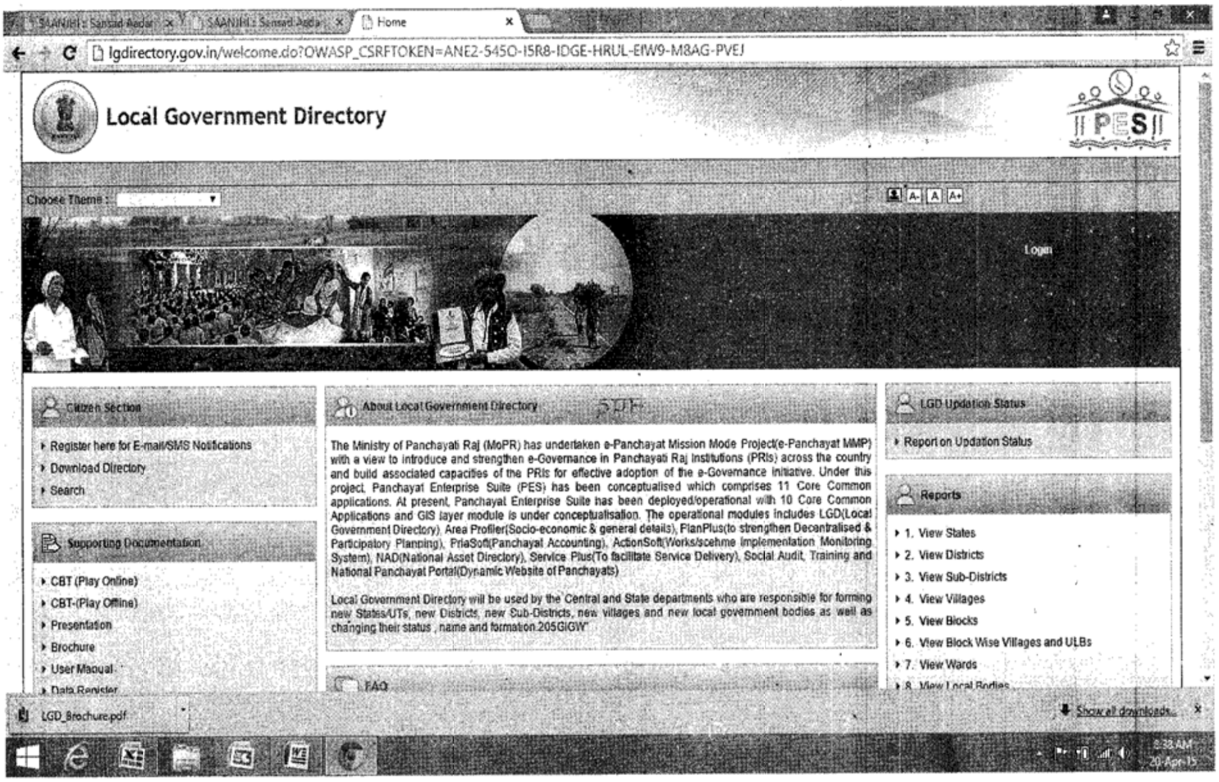
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के भवन पर तथा ग्राम पंचायत के समस्त पत्राचार **पर भी यह** कोड लिखा जाना अनिवार्य होगा।

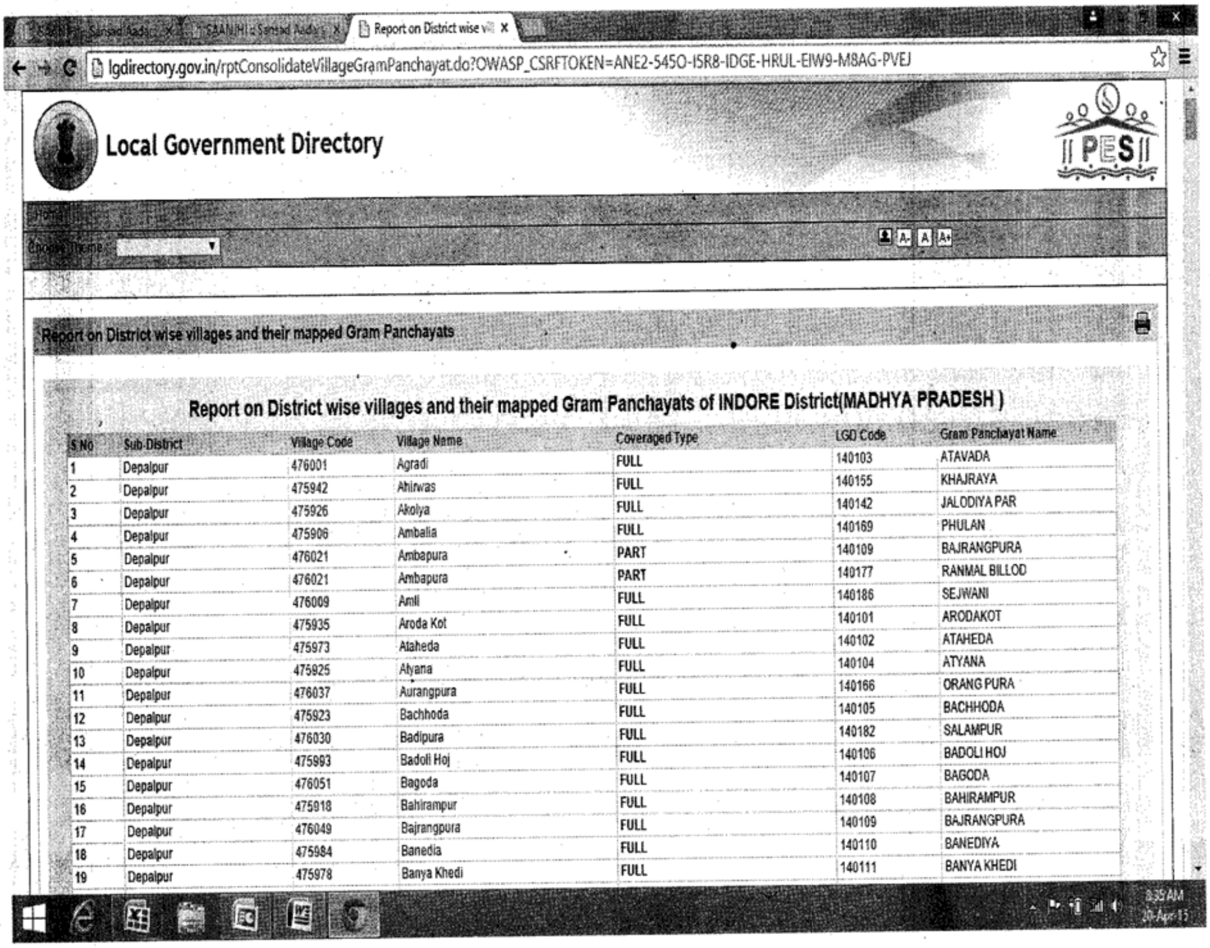
- प्रत्येक जिले को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ एल.जी.डी. को अपडेट **करना है. इसके** लिये जिला स्तर पर उक्त वेब साईट पर जाकर जिले के यूजन नेम और पासवर्ड से ऐसी ग्राम **पंचायतों को नगरीय** निकाय में स्थानातरित करना है जो कि विगत चुनाव में नगरीय निकाय में सम्मिलित हो **गयी है. यह कार्य**वाही करते समय गजट नोटीफिकेशन की आवश्यकता होगी।

- जिला स्तर पर यह कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत **को जिला** सूचना अधिकारी के साथ समन्वय करके करनी है। जिला स्तर से की गयी कार्यवाही को राज्य **स्तर से** लॉक करके एल.जी.डी. को अपडेट कर दिया जावेगा।



- एल.जी.डी. को अपडेट कर दिया जावेगा।




lgdirectory.gov.in/rptConsolidateVillageGramPanchayat.do?OWASP_CSRFTOKEN=ANE2-5450-I5R8-IDGE-HRUL-EIW9-M8AG-PVEJ

Local Government Directory

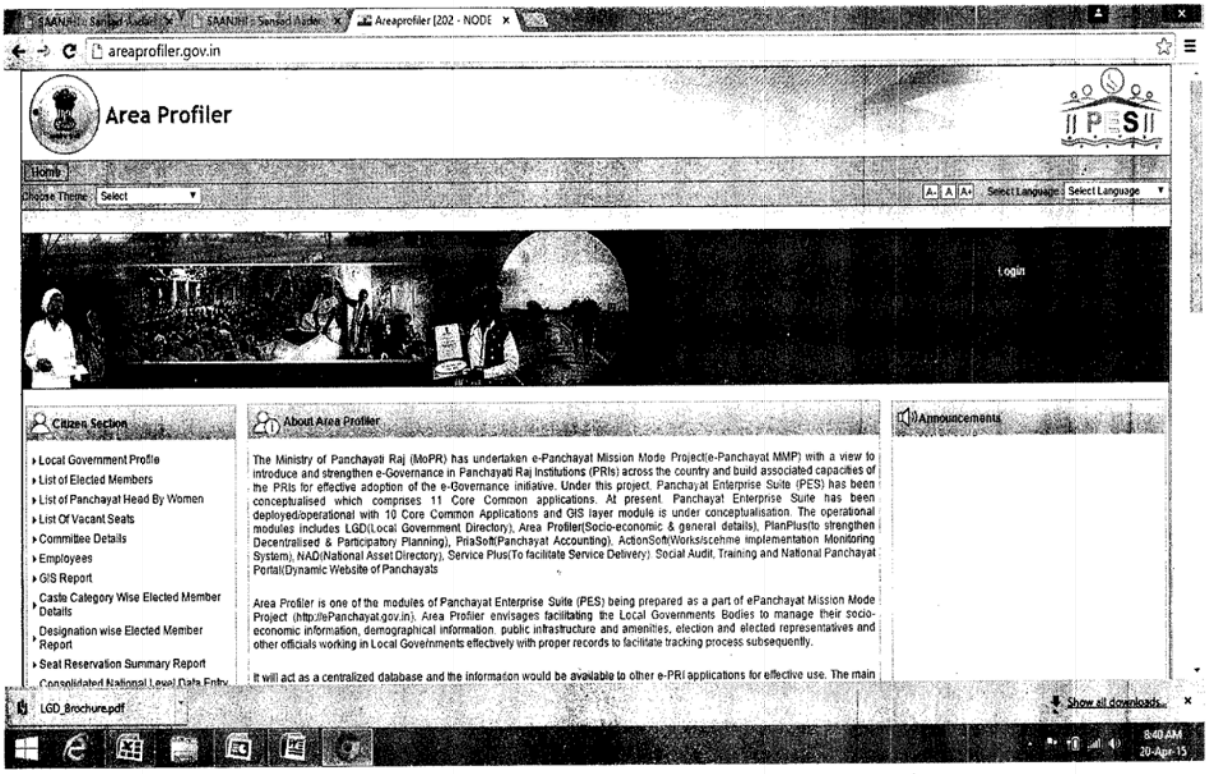
Report on District wise villages and their mapped Gram Panchayats

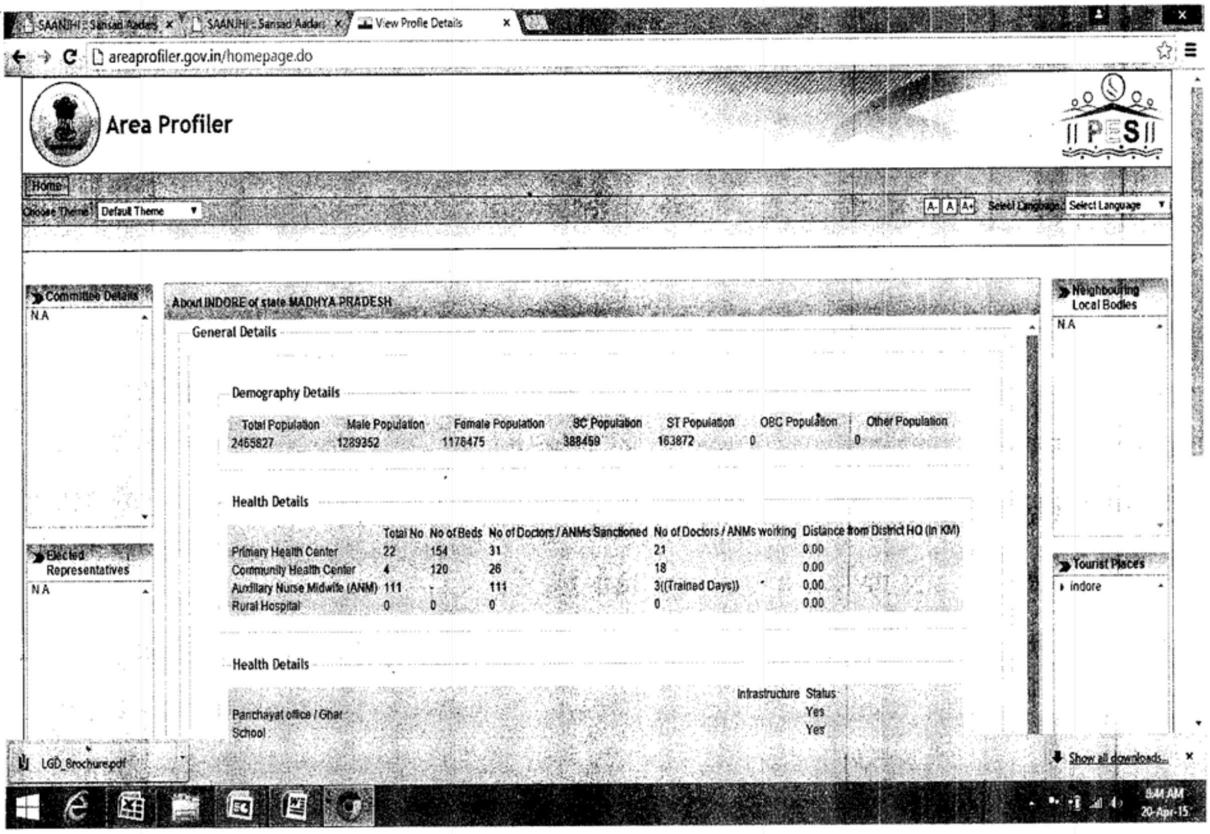
Report on District wise villages and their mapped Gram Panchayats of INDORE District(MADHYA PRADESH)

S.No	Sub District	Village Code	Village Name	Coveraged Type	LGD Code	Gram Panchayat Name
1	Depalpur	476001	Agradi	FULL	140103	ATAVADA
2	Depalpur	475942	Ahirwas	FULL	140155	KHAJRAYA
3	Depalpur	475926	Akolya	FULL	140142	JALODIYA PAR
4	Depalpur	475906	Ambalia	FULL	140169	PHULAN
5	Depalpur	476021	Ambapura	PART	140109	BAJRANGPURA
6	Depalpur	476021	Ambapura	PART	140177	RANMAL BILLOD
7	Depalpur	476009	Amli	FULL	140186	SEJWANI
8	Depalpur	475935	Aroda Kot	FULL	140101	ARODAKOT
9	Depalpur	475973	Ataheda	FULL	140102	ATAHEDA
10	Depalpur	475925	Atyana	FULL	140104	ATYANA
11	Depalpur	476037	Aurangpura	FULL	140166	ORANG PURA
12	Depalpur	475923	Bachhoda	FULL	140105	BACHHODA
13	Depalpur	476030	Badipura	FULL	140182	SALAMPUR
14	Depalpur	475993	Badoli Hoj	FULL	140106	BADOLI HOJ
15	Depalpur	476051	Bagoda	FULL	140107	BAGODA
16	Depalpur	475918	Bahirampur	FULL	140108	BAHIRAMPUR
17	Depalpur	476049	Bajrangpura	FULL	140109	BAJRANGPURA
18	Depalpur	475984	Banedia	FULL	140110	BANEDIYA
19	Depalpur	475978	Banya Khedi	FULL	140111	BANYA KHEDI

एरिया प्रोफाइलर

- एरिया प्रोफाइलर पोर्टल भी एल.जी.डी की तरह भारत सरकार , पंचायतराज मंत्रालय द्वारा संचालित है।
- इस पोर्टल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रोफाइल तैयार की जानी है। मुख्यतः ग्राम पंचायत की भौगोलिक तथा जनसंख्यातक स्थिति तथा मुख्य स्थानों का विवरण दर्ज किया जाना है।
- इस पोर्टल पर प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपूर्ण जानकारी की एन्ट्री ग्राम पंचायत स्तर से की जानी है।
- पोर्टल पर एन्ट्री संबधी समस्त कार्यवाही जिला सूचना अधिकारी के समन्वय से की जानी है।
- पोर्टल के यूजन नेम और पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है।
- किसी भी प्रकार की सहायता के लिये ई मेल epanchayat@mp.gov.in पर पत्राचार किया जा सकता है।


areaprofiler.gov.in
Area Profiler
Home
Choose Theme Select
Select Language
Login
Citizen Section
Local Government Profile
List of Elected Members
List of Panchayat Head By Women
List Of Vacant Seats
Committee Details
Employees
GIS Report
Caste Category Wise Elected Member Details
Designation wise Elected Member Report
Seat Reservation Summary Report
About Area Profiler
The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has undertaken e-Panchayat Mission Mode Project(e-Panchayat MMP) with a view to introduce and strengthen e-Governance in Panchayati Raj Institutions (PRIs) across the country and build associated capacities of the PRIs for effective adoption of the e-Governance initiative. Under this project, Panchayat Enterprise Suite (PES) has been conceptualised which comprises 11 Core Common applications. At present, Panchayat Enterprise Suite has been deployed/operational with 10 Core Common Applications and GIS layer module is under conceptualisation. The operational modules includes LGD(Local Government Directory), Area Profiler(Socio-economic & general details), PlanPlus(to strengthen Decentralised & Participatory Planning), PriaSoft(Panchayat Accounting), ActionSoft(Works/scehme implementation Monitoring System), NAD(National Asset Directory), Service Plus(To facilitate Service Delivery), Social Audit, Training and National Panchayat Portal(Dynamic Website of Panchayats
Area Profiler is one of the modules of Panchayat Enterprise Suite (PES) being prepared as a part of ePanchayat Mission Mode Project (http://ePanchayat.gov.in). Area Profiler envisages facilitating the Local Governments Bodies to manage their socio-economic information, demographical information, public infrastructure and amenities, election and elected representatives and other officials working in Local Governments effectively with proper records to facilitate tracking process subsequently.
It will act as a centralized database and the information would be available to other e-PRI applications for effective use. The main
Announcements
LGD_Brochure.pdf
Show all downloads...
8:40 AM
20-Apr-15


View Profile Details
areaprofiler.gov.in/homepage.do
Area Profiler
Home
Choose Theme Default Theme
Select Language
Committee Details
N A
About INDORE of state MADHYA PRADESH
General Details
Demography Details
Total Population Male Population Female Population SC Population ST Population OBC Population Other Population
2465827 1289352 1176475 388459 163872 0 0
Health Details
Total No No of Beds No of Doctors / ANMs Sanctioned No of Doctors / ANMs working Distance from District HQ (In KM)
Primary Health Center 22 154 31 21 0.00
Community Health Center 4 120 26 18 0.00
Auxillary Nurse Midwife (ANM) 111 - 111 3((Trained Days)) 0.00
Rural Hospital 0 0 0 0 0.00
Health Details
Infrastructure Status
Panchayat office / Ghar Yes
School Yes
Elected Representatives
N A
Neighbouring Local Bodies
N A
Tourist Places
indore
LGD_Brochure.pdf
Show all downloads...
8:41 AM
20-Apr-15



मध्य प्रदेश-गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org